RIN No.: MPBIL/2001/5256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : भोपाल/म.प्र./581/2021-2023
Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

वर्ष 22 अंक 07 05 मार्च 2022

जगत विज़न

केन-बेतवा लिंक परियोजना

विकास या विनाश?

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
मध्यप्रदेश संवाददाता	अर्चना शर्मा
राजनीतिक संवाददाता	समीर शास्त्री
विशेष संवाददाता	बिन्देश्वरी पटेल
छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ	मणिशंकर पाण्डेय
छत्तीसगढ़ संवाददाता	आनन्द मोहन श्रीवास्तव,
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय
गोवा ब्यूरो चीफ	अजय सिंह
गुजरात ब्यूरो चीफ	गौरव सेठी
दिल्ली ब्यूरो चीफ	विजय वर्मा
पटना संवाददाता	सौरभ कुमार
उत्तरप्रदेश ब्यूरो चीफ	वेद कुमार
बुंदेलखण्ड संवाददाता	रफत खान
विधिक सलाहकार	एडवोकेट राजेश कुंसारिया

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,

विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लाट नं. 28 सुरभि विहार बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com

Website: www.jagatvision.in

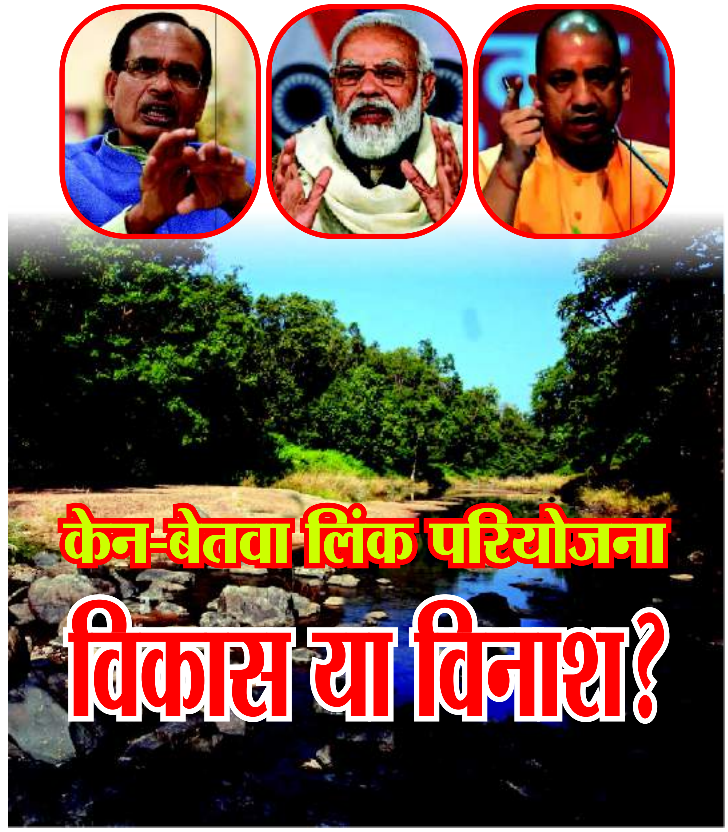

(पृष्ठ क्र.-6)

- चुनावी मुद्दा क्यों नही बन पाती 22
- सिंधिया समर्थक मंत्रियों के विभागों में किया 29
- पंजाब में आम आदमी पार्टी बना सकती है सरकार 33
- पश्चिम बंगाल बन रहा रोहिंग्या मुसलमानों का अवैध ठिकाना 34
- रूस-यूक्रेन मुद्दा : परिणाम सारा विश्व भुगतेगा 36
- अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित.....46
- जैविक खेती में देश में अग्रणी है मध्यप्रदेश 48
- 38 को फांसी : आजाद भारत की सबसे बड़ी सजा 52
- राज हठ अलोकतांत्रिक होता है 56
- Dance of dance forms 62

किसानों के हाल यूपी में ही बेहाल हैं.. हमारे छग में तो बहुत खुशहाल हैं!
सर, ऑल इज वेल
विजया:)

संपादकीय

देश की दिशा और दशा पर ध्यान कौन दें

वर्तमान में देश के हालात बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। मोदी सरकार भले ही चुनावी चकाचौंध में मशगूल हो लेकिन हालातों से बेफिक्र नहीं हो सकती है। चारों ओर बेरोजगारी, मंहगाई और अराजकता से देश का नागरिक परेशान है। वह चुनाव से पहले अपनी रोजी-रोटी की चिंता में ग्रस्तर है। इस विषम परिस्थितियों से लोगों को बाहर निकालने में सरकार नाकाम है। आलम ये है कि हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। खासकर पिछले दो सालों से कोरोनाकाल में तो स्थितियां और ज्यायदा चिंतनीय हो गई हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद जिंदगी पटरी पर नहीं लौट पा रही है। इसके साथ ही सरकारों की अनदेखी इस मुसीबत को और फिक्रमंद बना रही है।

2022 की शुरुआत ही महामारी की तीसरी लहर से हुई है, जिसका मतलब जिंदगी आसान न हो पाना है। असंख्य गरीब-मजदूरों के सामने कमाई के रास्ते का सिमटना है। छोटे व्यापारियों के लिए खुद को खड़ा कर पाना और मुश्किल है। किसानों के लिए मंडी पहुंच पाना आसान नहीं है। शिक्षा ऑनलाइन है तो बेरोजगारी का दर्द ऑफलाइन है, जो सड़कों पर लाठियां खा रहा है। रोजगार की जगह मुफ्त अनाज बांटना ही सरकार अपनी उपलब्धि करार देने से नहीं हिचकती है। असल में चुनावी जीत में जब सारी असफलताओं को ढंक लेने की क्षमता हो तो फिर चुनाव के लिए ही जीने-मरने में देश को उलझा देना गलत कहां है।

देश के जमीनी सवाल गायब हैं। पटरी से उतरती अर्थव्यवस्था को भी महामारी तले दबाने का ही प्रयास हुआ। 2014 में जीडीपी 152 लाख करोड़ रुपये थी। जो कोविड से पहले यानी 2019 में घटकर 146 लाख करोड़ रुपये की हो गई थी। महामारी से पहले ही अर्थव्यवस्था कैसे डावांडोल हुई, इस पर बहस न हो इसलिए ढाल कोविड काल को बनाया गया। 2021-22 में जीडीपी बढ़कर 148 लाख करोड़ की हुई लेकिन 2014 के मुकाबले फिर भी कम है। यही हाल रोजगार का है। संगठित-अंसगठित सभी क्षेत्रों को मिलाकर 2014 में कुल रोजगार 46.96 करोड़ था, जो 2019 में घटकर 40.40 करोड़ हो गया और 2021 में 39.40 करोड़ रह गया। तो सवाल गवर्नेंस का है। सवाल नीतियों के ऐलान और उन्हें लागू कराने का है। अगर सत्ता के कॉरपोरेटीकरण के हालात को परखें तो भी दो सवाल बेचैन कर देंगे। एक तरफ देश की जीडीपी का नीचे जाना और दूसरी तरफ कॉरपोरेट के नेटवर्थ में ऐतिहासिक बढ़ोतरी होना। एक तरफ कॉरपोरेट के जरिये देश चलाने के हालात पैदा करना, दूसरी तरफ कॉरपोरेट का सबसे कम पैसा इसी दौर में बाजार में लगाना। इसी दौर में सबसे ज्यादा सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में कौड़ियों के मोल देने से सरकार घबराई नहीं। लेकिन नए बरस का असल पाठ जमीनी मुद्दों को चुनावी सफलता के आगे बेमानी करार देने का है। यह संयोग से सबसे बड़े सूबे यूपी के चुनाव पर जा टिका है। तो, संभले कौन और संभाले कौन। 2022 में सबसे बड़ा शून्य इसी सवाल से जा जुड़ा है।

कई मायने में यूपी सहित कई प्रदेशों के चुनाव महत्वपूर्ण बन चुके है। इन चुनावों के परिणाम ही वर्तमान नेतृत्व पर छाप छोडने वाले हैं। क्योकि यह चुनाव ऐसे समय पर हो रहे है जब देश के हालात बदतर है और लोगों की मुसीबतें चरम पर हैं। इन्हें ही फैसला करना है कि वह किस दिशा में जाना चाहते हैं। साथ ही सरकार के कामों पर भी मुहर साबित होंगे। जिनकी दुहाई दे दे कर सरकार थक नहीं रही है।

विजया पाठक

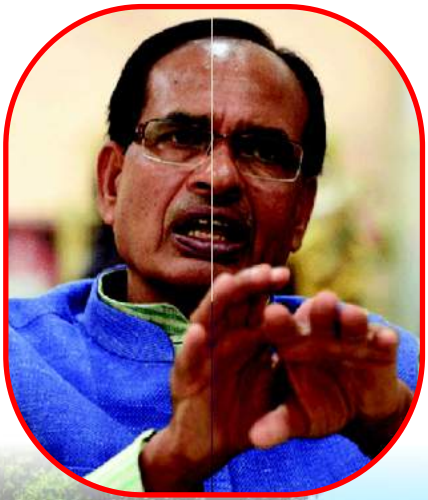

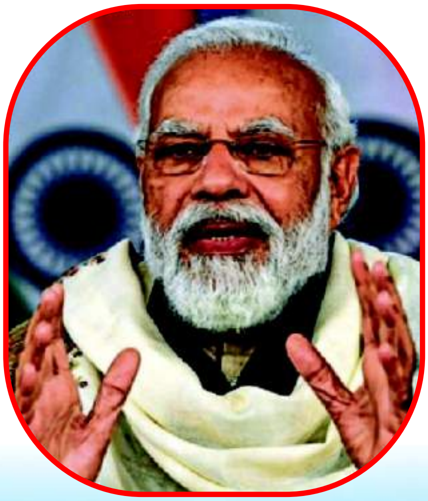

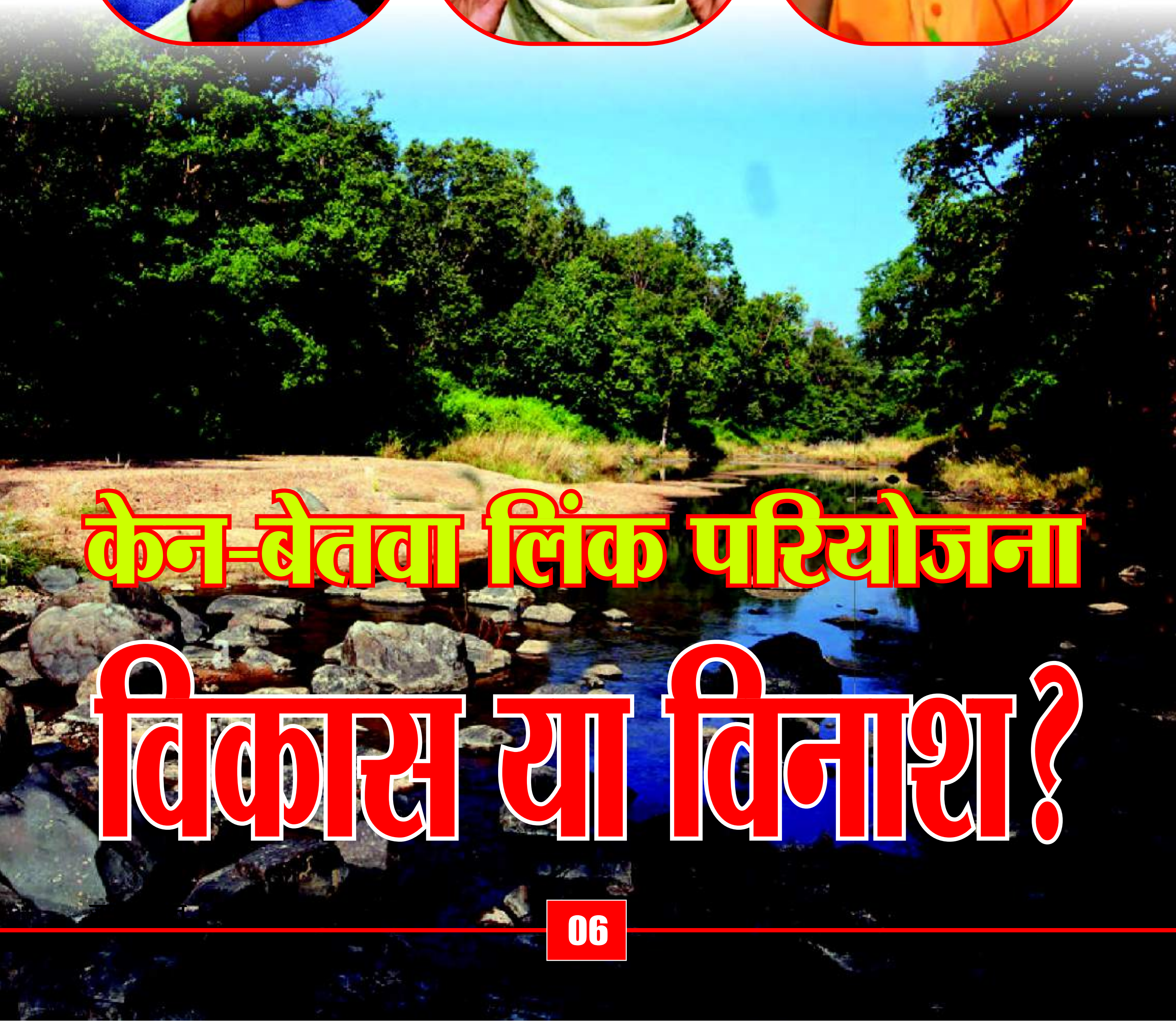

केन-बेतवा लिंक परियोजना

विकास या विनाश?

दिसम्बर 2021 में बहुचर्चित केन-बेतवा लिंक परियोजना को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की मंजूरी मिलते ही यह सवाल भी उठने लगे हैं कि यह परियोजना विकास के लिए है या विनाश के लिए। क्योंकि पिछले कई वर्षो से इस परियोजना को लेकर आपत्तियां दर्ज की जाती रही हैं। कभी पर्यावरण संरक्षण को लेकर तो कभी सानीय निवासियों को लेकर तो कभी वन्यजीवों को लेकर। लेकिन तमाम चिंताओं को दरकिनार कर आखिरकार मोदी सरकार ने इसे मंजूरी दे दी। इससे पहले इस इलाके की लाइफ-लाइन कही जाने वाली केन-बेतवा लिंक परियोजना लंबे समय से कागजों में दौड़ रही थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से होने वाली पर्यावरणीय क्षति को रोकना एक गंभीर चुनौती है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान की सम्भावनाओं के बीच इस परियोजना के उद्देश्यों को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। यह योजना 44 हजार करोड़ से भी यादा की है। इसके अंतर्गत 176 किलोमीटर की लिंक कनाल का निर्माण किया जाएगा, जिससे दोनों नदियों को जोड़ा जा सके। उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश की सीमा पर केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों की मदद से नदियों को जोड़ने के पहले फेज का काम केन-बेतवा लिंक शुरू कर दिया है। इस परियोजना के पूरा होते ही देश की 30 नदियों को जोड़ने की योजना का शुभारंभ हो जाएगा। इन सबके बीच परियोजना के शुरू होते ही पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं और विशेषज्ञों ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ मानते हैं कि बेतवा का बहाव नीचे की ओर है, जबकि केन ऊपर बहती है। ऐसे में दोनों नदियों को जोड़ना बेहद मुश्किल है। नदियों की स्वाभाविक गति को मोड़ने को किसी अनहोनी को दावत देने जैसी बात कही जा रही है। अतीत से सबक, पानी को लेकर बंटवारे के मुकदमे और दूसरे देशों के अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इससे फायदा कम और नुकसान यादा होगा। इस परियोजना के तहत मंत्रालय ने इन क्षेत्रों में कम से कम 23 लाख पेड़ों का काटने की इजाजत दी है, जिसमें से बेहद संवेदनशील पन्ना टाइगर रिजर्व का 4141 हेक्टेयर वन क्षेत्र भी शामिल है। हालांकि ऐसा करते हुए मंत्रालय ने ये शर्त रखी थी कि सरकार को प्रभावित वनभूमि के एवज में बराबर गैर-वनभूमि (6017 हेक्टेयर) वन विभाग को उपलब्ध कराना होगा। लेकिन ऐसा कर पाने में सरकार विफल रही है। सरकार का दावा है इसके जरिये 9.04 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी, जिसमें से मध्यप्रदेश का 6.53 लाख हेक्टेयर और उत्तरप्रदेश का 2.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित किया जा सकता है। हालांकि केन नदी पर बने बरियापुर बांध से पहले ही उत्तरप्रदेश में 2.14 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का प्रावधान किया गया था। इस तरह केन-बेतवा प्रोजेक्ट से प्रदेश को महज 0.38 लाख हेक्टेयर (2.52 लाख हेक्टेयर 2.41 लाख हेक्टेयर) का लाभ होगा। जबकि मध्यप्रदेश ने बांध से खुद के लिए मिली सिंचाई क्षमता का अभी तक पूरी तरह उपयोग ही नहीं किया है।

23 लाख पेड़ों के विनाश की जिम्मेदारी कौन लेगा?

विजया पाठक

भौतिकवादी महत्वाकांक्षाओं ने पर्यावरण में इतना अधिक परिवर्तन ला दिया है कि मानव और प्रकृति के बीच का संतुलन, जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है, धराशायी होने के कगार पर पहुँच गया है। साथ ही मानव की अदूरदर्शी विकास प्रतिक्रियाओं ने विनाशात्मक रूप धारण कर लिया है। ऐसे में डर है कि मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की बहुचर्चित केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना कहीं अदूरदर्शी विकास प्रतिक्रियाओं का एक उदहारण न बन जाए। दिसम्बर 2021 में केन-बेतवा लिंक परियोजना को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की मंजूरी मिलते ही यह सवाल भी उठने लगे हैं कि यह परियोजना विकास के लिए है या विनाश के लिए। क्योंकि पिछले कई वर्षो से इस परियोजना को लेकर आपत्तियां दर्ज की जाती रही हैं। कभी पर्यावरण संरक्षण को लेकर तो कभी स्थानीय निवासियों को

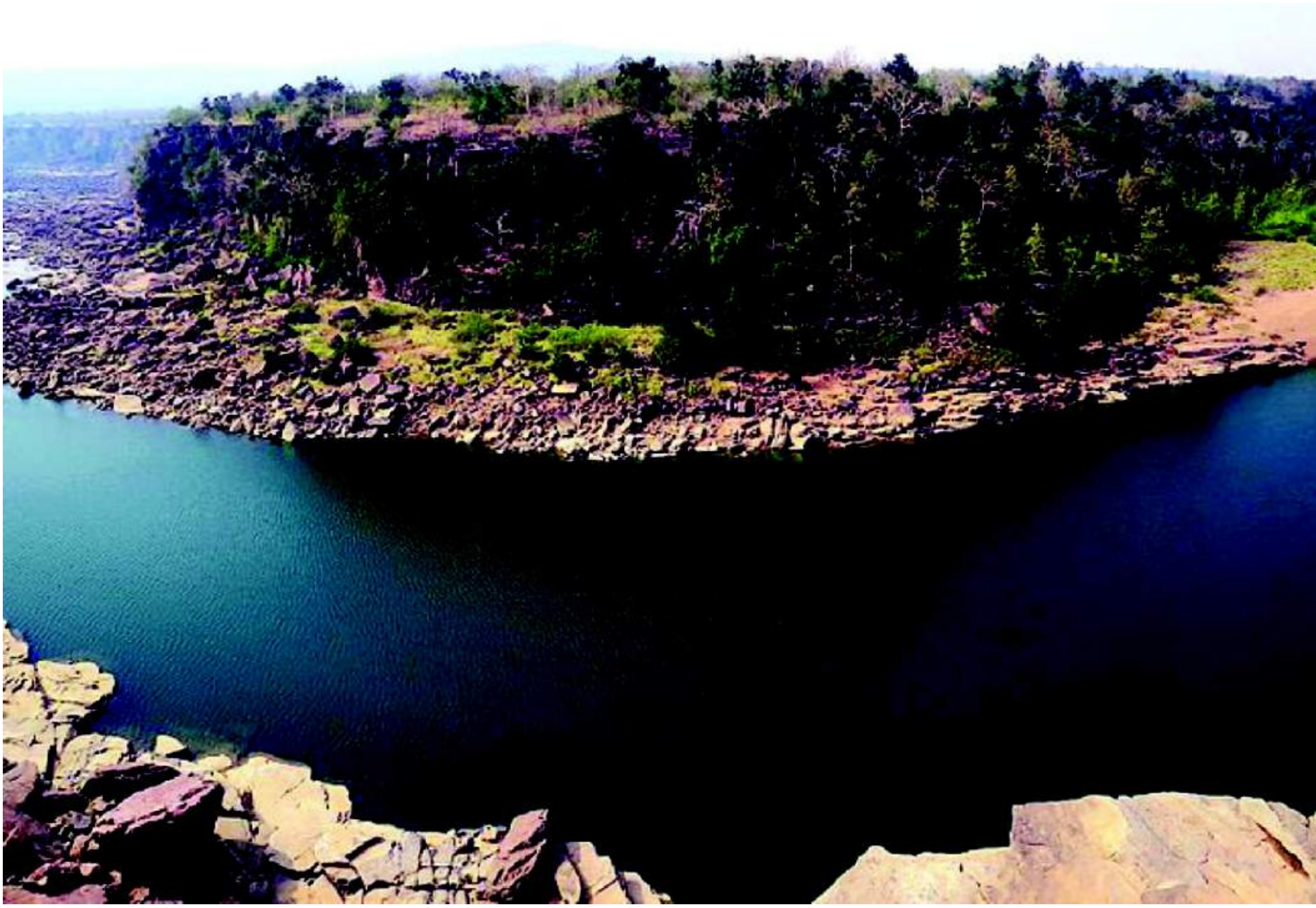

तमाम चिंताओं को दरकिनार कर आखिरकार मोदी सरकार ने इसे मंजूरी दे दी। इससे पहले इस इलाके की लाइफ-लाइन कही जाने वाली केन-बेतवा लिंक परियोजना लंबे समय से कागजों में दौड़ रही थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से होने वाली पर्यावरणीय क्षति को रोकना एक गंभीर चुनौती है।

लेकर तो कभी वन्यजीवों को लेकर। लेकिन तमाम चिंताओं को दरकिनार कर आखिरकार मोदी सरकार ने इसे मंजूरी दे दी। इससे पहले इस इलाके की लाइफ-लाइन कही जाने वाली केन-बेतवा लिंक परियोजना लंबे समय से कागजों में दौड़ रही थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से होने वाली पर्यावरणीय क्षति को रोकना एक गंभीर चुनौती है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान की सम्भावनाओं के बीच इस परियोजना के उद्देश्यों को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं।

इस प्रोजेक्ट में 44,605 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसका 90 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। इसके अंतर्गत 176 किलोमीटर की लिंक कनाल का निर्माण किया जाएगा, जिससे दोनों नदियों को जोड़ा जा सके। बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट के अस्तित्व में आने के बाद मध्यप्रदेश के 12 जिलों को पानी मिलेगा। इसके साथ ही 10 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। इस महत्वाकांक्षी केन-बेतवा लिंक परियोजना से लगभग 62 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। साथ ही बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन होगा। यह प्रोजेक्ट 8 साल में पूरा कर लिया जाएगा।

इस प्रोजेक्ट के तहत 20 सेंटीमीटर और उससे अधिक की लंबाई वाले लगभग 23 लाख पेड़ों को काटा जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) ने अक्टूबर 2019 में सौंपे अपने रिपोर्ट में कहा था कि केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेज-1 की जांच दौरान पाया कि इस क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर से कम लंबाई वाले पौधों की काफी संख्या है, जिनकी गणना नहीं की गई है।

केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इस परिकल्पना पर आधारित है कि केन बेसिन में पानी की मात्रा ज्यादा है, इसलिए केन नदी पर दौधन बांध और नहर बनाकर इस पानी को बेतवा बेसिन में डाला जा सकता है। हालांकि सरकार ने आज तक उन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया है, जिसके आधार पर उन्होंने ये दावे किए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार इसी वजह से आंकड़े सार्वजनिक नहीं कर रही है क्योंकि उन्हें भी पता है कि केन नदी में इतना पानी नहीं है कि उसे कहीं और ले जाया जाए। आरोप है कि इस संबंध में सरकार ने जो भी अध्ययन करवाए हैं, उनमें काफी त्रुटियां हैं। लेकिन इन आपत्तियों को दरकिनार कर इस परियोजना के पहले चरण में केन नदी के पास में स्थित दौधन गांव में एक बांध बनाया जाना है, जो 77 मीटर ऊंचा और 2,031 मीटर लंबा होगा। इसके अलावा 221 किलोमीटर लंबी केन-बेतवा लिंक नहर बनाई जाएगी, जिसके जरिये केन का पानी बेतवा बेसिन में लाया जाएगा। साथ ही 1.9 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर लंबी दो सुरंग भी बनाई जाएगी। दौधन बांध के चलते 9,000 हेक्टेयर का क्षेत्र डूबेगा, जिसमें से सबसे यादा 5,803 हेक्टेयर पन्ना टाइगर रिजर्व का

होगा, जो कि बाघों के रहवास का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है।

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का मुख्य उद्देश्य केन नदी घाटी के अधिशेष जल के प्रतिस्थापन के माध्यम से ऊपरी बेतवा घाटी में पानी की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों के लिये पानी उपलब्ध कराना है। उपरी बेतवा घाटी बुन्देलखण्ड से बाहर स्थित है, इसका अर्थ यह हुआ कि पहले से ही जलसंकट ग्रस्त बुन्देलखण्ड से पानी खींचकर बुन्देलखण्ड के बाहर पहुँचाया जाएगा। जानकारों एवं स्थानीय लोगों का मानना है इस लक्ष्य को दूसरे रास्ते से भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सरकार इसी परियोजना को लागू कर व्यापक स्तर पर पर्यावरणीय नुकसान और वन्यजीव को खतरा पहुंचाने के लिए उतारू है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 35(6) में कहा गया है कि किसी भी वन्यजीव को नष्ट करना या हटाना, किसी भी जंगली जानवर के आवास को नष्ट करना, नुकसान पहुंचाना या मोड़ना और नेशनल पार्क या अभ्यारण्य के अंदर या बाहर पानी के प्रवाह को रोकना या बढ़ाना, जैसे कार्यो के लिए केवल तभी अनुमति दी जा सकती है जब यह वन्यजीवों के सुधार और बेहतर प्रबंधन के लिए आवश्यक हो। इस टाइगर रिजर्व में सिर्फ बाघ ही नहीं, बल्कि गिद्ध, सुअर, हिरण, भालू, तेंदुआ, चिंकारा, महाशीर मछली, हाइना, गीदड़, लोमड़ी, चीतल, भेड़िया, सोनकुत्ता, लाल एवं काले मुंह वाले बंदर, जंगली सुअर, सियार जैसे कई जानवर हैं। बांध बनाने के चलते केन घड़ियाल अभ्यारण्य तक भी प्रभावित होगा, जो घड़ियालों के जीवन के लिए खतरा है। इसके साथ इस परियोजना में 10 गांव भी डूबेंगे, जिसके चलते कम से कम करीब 8,340 लोग प्रभावित होंगे।

इस प्रोजेक्ट के तहत 20 सेंटीमीटर और उससे अधिक की लंबाई वाले लगभग 23 लाख पेड़ों को काटा जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी

क्या है केन–बेतवा

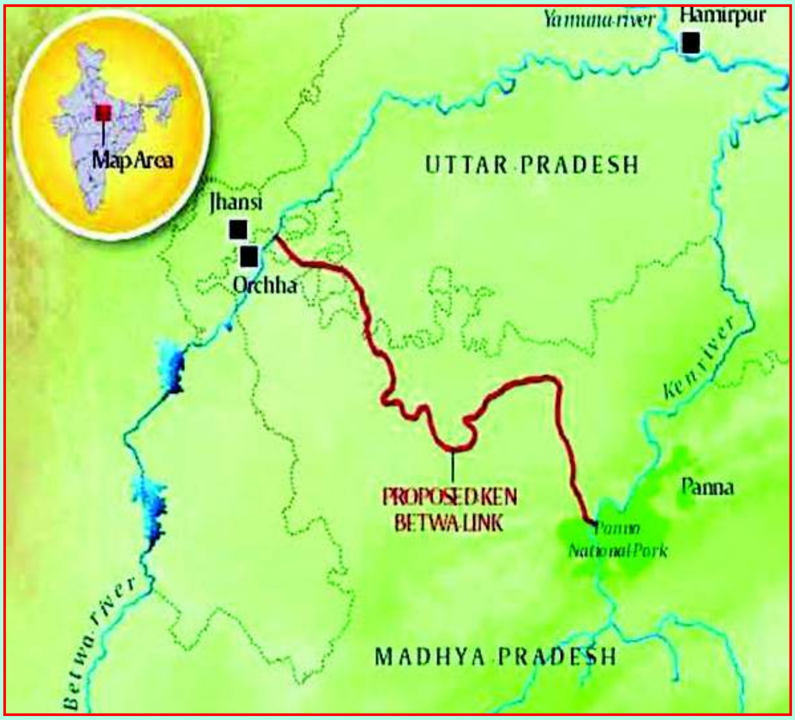

सूखी नदियों को सदा जल से भरी रहने वाली नदियों से जोड़ने की बात आज़ादी के समय से ही शुरू हो गई थी लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने, ख़र्चीली परियोजना होने और अपेक्षित नतीजे न मिलने के डर से ऐसी परियोजनाओं पर क्रियान्वयन नहीं हो पाया। नदियों का पानी समुद्र में न जाए इसे लेकर नदियों को जोड़ने के पक्ष में तर्क दिये जाते रहे हैं और माना जा रहा है भारत में नदी जोड़ो उपक्रम का आरम्भ केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के साथ ही हो जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत केन और बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने वाले 230 किलोमीटर लंबी नहर और विभिन्न बैराज और बाँधों की एक श्रृंखला का निर्माण करना है जिससे उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि में फसलों की सिंचाई सुलभ होने की उम्मीद है। सर्वप्रथम इस परियोजना के अंतर्गत 9,000 हेक्टेयर के जलाशय का निर्माण कर उसमें पानी रोका जाएगा। इस जलाशय के पास ही दो पॉवर हाउस बनाए जाएंगे जिनसे 78 मेगावाट हाइड्रो पॉवर का उत्पादन किया जाएगा। फिर 230 किमी लंबी नहर निकाली जाएगी। इस नहर के मध्यम से एक व्यापक क्षेत्र को सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध कराया जाएगा और उसके बाद भी एक निश्चित मात्रा में केन नदी से बेतवा नदी में पानी छोड़ा जाएगा, हालाँकि यहाँ पर सबसे वाजिब सवाल यह है कि क्या

नदी जोड़ो परियोजना?

केन और बेतवा नदियों में इतना पानी उपलब्ध है? केन-बेतवा लिंक परियोजना के पूरा हो जाने से जहां 8 लाख 11 हज़ार हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा पहुंचाई जा सकेगी, वहीं 41 लाख लोगों को सहज तौर पर पीने का पानी मिल पाएगा। 44 हजार 605 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना के मूर्त रूप लेने के बाद 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी उत्पन्न की जा सकेगी।

कितना पानी है केन और बेतवा में?- केन और बेतवा में कितना पानी है! यह अभी तक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि यह जानकारी सार्वजानिक अधिकार क्षेत्र के दायरे के बाहर रखी गई है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले जल संसाधन मंत्रालय द्वारा नदियों को आपस में जोड़ने पर गठित तत्कालीन समिति के एक सदस्य ने यह जानकारी माँगी कि केन और बेतवा नदियों में कितना पानी है, आश्चर्य कि बात है कि उन्हें यह कहकर मना कर दिया गया कि केन-बेतवा, गंगा नदी घाटी के भाग हैं जो कि एक अन्तराष्ट्रीय नदी घाटी है। अंतराष्ट्रीय नियमों के अनुसार संबंधित नदियों में पानी की मात्रा के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जा सकती।

चूँकि केन-बेतवा परियोजना की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि दोनों नदियों में कितना पानी है,यदि नदियों में जल का स्तर कम हुआ तो जलाशय में पानी इकट्ठा कर न तो बिजली उत्पादन हो सकता है और न ही नहर निकाली जा सकती है। पहले केन-बेतवा में कितना पानी है इसका ईमानदारी से आंकलन करना होगा।

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के संबंध में अन्य चिंताए- जंगल केवल पशु-पक्षियों के आश्रय स्थल नहीं हैं बल्कि यह नदियों के लिये परिपोषण का भी कार्य करता है। हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में उल्लेख किया गया है कि केन नदी के जलग्रहण क्षेत्र में मौज़ूद पन्ना टाइगर रिजर्व की 10,500 हेक्टेयर भूमि इस परियोजना के द्वारा नष्ट हो जाएगी। विदित हो कि इतने बड़े पैमाने पर वन्य भूमि के नष्ट हो जाने से जीव-जंतु प्रभावित तो होंगें ही साथ में नदी के पारिस्थितिकी तंत्र में भी व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात है, कृषि वित्त निगम लिमिटेड द्वारा किये गए पर्यावरण प्रभाव आकलन में इसका उल्लेख तक नहीं है। इस परियोजना से प्रभावित होने वाले गाँवों में कमजोर आय वर्ग और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं और कुल 7000 के करीब लोगों के विस्थापन की एक महत्वपूर्ण चुनौती सामने होगी। इस परियोजना में निर्माण कार्य, विस्थापन और पुनर्वास एवं अन्य कार्यो पर अनुमानित लागत हजारों करोड़ रुपए तक हो सकती है। ऐसी सम्भावना व्यक्त की जा रही है कि राजनेताओं, नौकरशाहों और व्यवसाइयों का एक बड़ा भ्रष्टाचारी वर्ग इस परियोजना की तरफ गिद्धदृष्टि से देख रहा है।

(सीईसी) ने अक्टूबर 2019 में सौंपे अपने रिपोर्ट में कहा था कि केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेज-1 की जांच दौरान पाया कि इस क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर से कम लंबाई वाले पौधों की काफी संख्या है, जिनकी गणना नहीं की गई है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चूंकि इस परियोजना को पूरा होने में करीब आठ साल का समय लगेगा, इसलिए ये पेड़ 20 सेमी. लंबाई की सीमा को पार कर जाएंगे और अंततः इन्हें काट दिया जाएगा, लेकिन इन पेड़ों की कटाई के आंकड़ों में इनकी गणना नहीं की गई है, जो चिंताजनक है। दूसरे शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट कमेटी का मानना था कि जितने पेड़ काटने का अनुमान लगाया गया है, उसी तुलना में काफी ज्यादा पेड़ खत्म हो जाएंगे। यहां पर सागौन, खैर, सैजा, सलैया, गुंजा, पलाश, धवा, तेंदू, कुल्लू, करघई, बेल, महुआ, बांस इत्यादि के पेड़ पाए जाते हैं।

उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश की सीमा पर केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों की मदद से नदियों को जोड़ने के पहले फेज का काम केन-बेतवा लिंक शुरू कर दिया है। इस परियोजना के पूरा होते ही देश की 30 नदियों को जोड़ने की योजना का शुभारंभ हो जाएगा। इन सबके बीच परियोजना के शुरू होते ही पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं और विशेषज्ञों ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ मानते हैं कि बेतवा का बहाव नीचे की ओर है, जबकि केन ऊपर बहती है। ऐसे में दोनों नदियों को जोड़ना बेहद मुश्किल है। नदियों की स्वाभाविक गति को मोड़ने को किसी अनहोनी को दावत देने जैसी बात कही जा रही है। अतीत से सबक, पानी को लेकर बंटवारे के मुकदमे और दूसरे देशों के अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। हालांकि सरकार इसकी सफलता को लेकर आश्वस्त हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन संरक्षण डिविजन ने वन सलाहकार समिति की सिफारिश पर 25 मई 2017 को केन-बेतवा

सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने उठाए थे सवाल

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) ने केन-बेतवा लिंक की विस्तृत जांच कर 30 अगस्त 2019 को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि यदि इस परियोजना का लागू किया जाता है तो 10,500 हेक्टेयर में फैले पूरे वन्यजीवों का घर उजाड़ हो जाएगा, जो पन्ना टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र है। इस प्रोजेक्ट के तहत वन भूमि के 6,017 हेक्टेयर भूभाग को खत्म किया जाएगा, जिसके चलते कम से कम 23 लाख पेड़ कटेंगे। इसके साथ-साथ घड़ियाल अभयारण्य और गिद्धों का प्रजनन केंद्र भी गंभीर रूप से प्रभावित होगा। ऐसे कई दुष्प्रभावों को संज्ञान में लेते हुए समिति ने कहा था कि सरकार अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाश सकती है। सरकार का दावा है इसके जरिये कुल 9.04 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होगी, जिसमें से 6.53 लाख हेक्टेयर मध्यप्रदेश और 2.51 लाख हेक्टेयर उत्तरप्रदेश का क्षेत्र सिंचित होगा। इसके अलावा दोनों राज्यों के 62 लाख लोगों को पेयजल मुहैया कराने का भी प्रावधान किया गया है। इस पर सीईसी ने कहा कि केन बेसिन में पहले से ही 11 बड़े और मध्यम परियोजनाएं तथा 171 छोटी सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं, इन्हीं का क्षमता विस्तार कर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने इस पूरे प्रोजेक्ट की डिजाइन पर ही सवाल उठाते हुए कहा था कि डीपीआर के मुताबिक अपर बेतवा बेसिन में अनुमानित 384 एमसीएम पानी की कमी इसी वजह से है क्योंकि बेतवा बेसिन में बनाए गए पूर्ववर्ती सिंचाई परियोजनाओं के तहत यही वादा किया गया था कि बेतवा बेसिन में इकट्ठा होने वाले पूरे पानी को इसके निचले क्षेत्रों में भेजा जाएगा। सीईसी ने कहा कि अपर बेतवा बेसिन की कीमत पर निचले बेतवा बेसिन में सिंचाई व्यवस्था करने की त्रुटिपूर्ण प्लानिंग से सबक लेकर इस परियोजना के तहत ऐसी किसी गुंजाइश को खत्म करने पर विचार किया जाना चाहिए। समिति ने कहा कि सरकार केन नदी के पानी को इसके निचले क्षेत्रों और बेतवा के अपर बेसिन में भेजने का जो दावा कर रही है, उसके चलते अपर केन बेसिन के किसान जरूर जल से वंचित हो जाएंगे, नतीजन इस प्रोजेक्ट की उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। इसलिए केन बेसिन के ऊपरी क्षेत्रों में सिंचाई की बेहतर सुविधा करने की संभावनाओं को तलाशे बिना ये कहना कि केन बेसिन के अतिरिक्त पानी को बेतवा बेसिन में भेजा जा सकता है, यह अपरिपक्व प्रतीत होता है जबकि इस परियोजना के तहत करदाताओं के बेतहाशा पैसे खर्च होने वाले हैं। इसके अलावा समिति ने कहा था कि केन और बेतवा नदी के क्षेत्र में औसतन करीब 90 सेमी ही वर्षा होती है, इसलिए सूखे के समय इसके गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं क्योंकि तब दोनों नदियों के बेसिन में उतना पानी इकट्ठा नहीं होगा, जितना की विभिन्न अध्ययनों में बताया गया है। हालांकि केंद्र ने इन सभी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया है।

नदी जोड़ो परियोजना के लिए 6,017 हेक्टेयर वन भूमि को गैर-वन कार्यो (डाइवर्जन) में इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान की थी। दूसरे शब्दों में कहें तो करीब 8,427 फुटबॉल के मैदान के बराबर की भूमि में लगे पेड़ों को खत्म किया जाना है।

इस परियोजना के तहत मंत्रालय ने इन क्षेत्रों में कम से कम 23 लाख पेड़ों का काटने की इजाजत दी है, जिसमें से बेहद संवेदनशील पन्ना टाइगर रिजर्व का 4141 हेक्टेयर वन क्षेत्र भी शामिल है। हालांकि ऐसा करते हुए मंत्रालय ने ये शर्त रखी थी कि सरकार को प्रभावित वनभूमि के एवज में बराबर गैर-वनभूमि (6017 हेक्टेयर) वन विभाग को उपलब्ध कराना होगा। लेकिन ऐसा कर पाने में सरकार विफल रही है। उलटे पिछले करीब तीन सालों से पर्यावरण मंत्रालय पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वे इस प्रावधान को बदल दें। जल मंत्रालय के तत्कालीन सचिव ने 30 जुलाई 2018 को पर्यावरण मंत्रालय के तत्कालीन सचिव को पत्र लिखकर कहा था कि मध्यप्रदेश सरकार अपेक्षित 6,017 हेक्टेयर में से 4,206 हेक्टेयर ही गैर-वनभूमि का पता लगा पाई है, इसलिए इस शर्त को हल्का किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि वे अतिरिक्त गैर-वनभूमि का इंतजाम करने में असमर्थ हैं। सचिव ने कहा था कि बाकी की जो 1,811 हेक्टेयर (6,017 हेक्टेयर - 4,206 हेक्टेयर) जमीन बच रही है, उसके बदले में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की दोगुनी बिगड़ी या खराब वनभूमि अर्थात 3,622 हेक्टेयर क्षेत्र को प्रतिपूरक वनीकरण करने के लिए दिया जा सकता है। हालांकि इस कदम को विशेषज्ञों ने पर्यावरण नियम का घोर उल्लंघन और जंगल के दृष्टिकोण से खतरनाक बताया है। इसके बाद केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को लागू कर रही जल शक्ति मंत्रालय की एजेंसी राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) के महानिदेशक ने 22

सरकार के खोखले दावे

सरकार का दावा है कि इसके जरिये 9.04 लाख हेक्टेयर की भूमि सिंचित होगी, जिसमें से मध्यप्रदेश में 6.53 लाख हेक्टेयर और उत्तरप्रदेश में 2.51 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। साथ ही 62 लाख लोगों को पेयजल भी मिलेगा। हालांकि बुंदेलखंड के विकास के नाम पर प्रचारित की जा रही इस परियोजना के तहत जहां एक तरफ क्षेत्र के 13 जिलों में से आठ जिले (पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दामोह, दतिया, बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर) को ही लाभ मिलने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे क्षेत्रों को भी लाभ देने का प्रावधान किया गया है, जो बुंदेलखंड से बाहर हैं। केन–बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फ़ेज़–2 में जिन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, वे बुंदेलखंड के बाहर स्थित शिवपुरी, विदिशा, रायसेन और सागर जिले को लाभ पहुंचाएंगे। जानकारों का कहना है कि हकीकत में ये परियोजना बुंदेलखंड के लिए है ही नहीं। इसके तहत क्षेत्र के जिन इलाको को सींचने का दावा किया ज़ा रहा है, वो पहले से ही पूर्व की परियोजनाओं के तहत सिंचित क्षेत्र के दायरे में हैं। इस परियोजना का असली मकसद बेतवा नदी के ऊपरी क्षेत्रों में पानी पहुंचाना है, जो बुंदेलखंड से बाहर है। दावों की पड़ताल के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) ने 30 अगस्त 2019 को सौंपे अपने रिपोर्ट में कहा था केन बेसिन में पहले से ही 11 बड़े और मध्यम परियोजनाएं तथा 171 छोटी सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं, इन्हीं का क्षमता विस्तार कर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी ने कहा था कि केन नदी पर बने बरियापुर बांध से पहले ही उत्तरप्रदेश में 2.14 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का प्रावधान किया गया है। इस तरह केन–बेतवा प्रोजेक्ट से प्रदेश को महज 0.37 (2.51-2.14) लाख हेक्टेयर का लाभ होगा। जबकि मध्यप्रदेश ने बांध से खुद के लिए मिली सिंचाई क्षमता का अभी तक पूरी तरह उपयोग ही नहीं किया है। इसी तरह केन नदी पर एक रनगवां बांध बनाया गया है। रबी सीजन में इसमें से 1,019 एमसीएम (36 टीएमसी) पानी यूपी को देने का करार किया गया है। लेकिन आलम ये है कि दस्तावेजों के मुताबिक पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश इसमें से औसतन महज 39 एमसीएम पानी ही इस्तेमाल कर पाया है। ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं, जहां ये देखा है कि इन क्षेत्रों में पहले से ही बनीं परियोजनाओं की क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी कि सिंचाई का ख़्वाब दिखाने के बाद प्रोजेक्ट से उतनी सिंचाई नहीं हो पा रही है, जितने का लक्ष्य रखा गया था। इन्हीं आधार पर सीईसी ने सिफारिश की थी कि नए बांध और इकोलॉजी को नुकसान पहुंचाए बिना पूर्ववर्ती योजनाओं का क्षमता विस्तार कर पानी की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। हालांकि इन सब तथ्यों को सिरे से खारिज करते हुए मोदी सरकार ने केन–बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की डील साइन कर दी है।

जून 2020 को वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव को पत्र लिखकर परियोजना के लिए दी गई वन मंजूरी की शर्तो में ढील देने की मांग की। हालांकि यहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इस मामले को लेकर सरकार की बेचैनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है पिछले करीब दो सालों में इस परियोजना को लेकर जितनी बैठकें हुई हैं, संभवतः हर एक में पर्यावरण मंत्रालय की शर्तो पर ढील दिलाने पर चर्चा हुई है।

दस्तावेजों से यह भी खुलासा होता है कि मध्यप्रदेश सरकार और एनडब्ल्यूडीए ने मिलकर जिस 4,206 हेक्टेयर जमीन को गैर-वनभूमि बताकर वन विभाग को देने की

44 हज़ार करोड़ होगी परियोजना की लागत

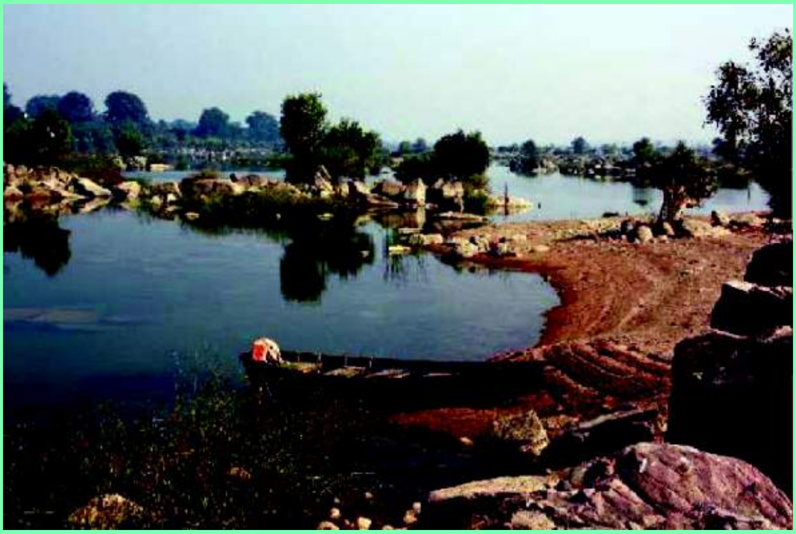

केन नदी मध्यप्रदेश के जबलपुर के पास कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर 427 किमी उत्तर की ओर बहने के बाद उत्तरप्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में जाकर गिरती है। बेतवा नदी मध्यप्रदेश के रायसेन जिले से निकलकर 576 किमी बहने के बाद उत्तरप्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में मिलती है। लगभग 44 हजार करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले केन–बेतवा लिंक में उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के हिस्से शामिल हैं। इस परियोजना के तहत मध्यप्रदेश से केन नदी के अतिरिक्त पानी को 231 किमी लंबी एक नहर के जरिये उत्तरप्रदेश में बेतवा नदी तक लाया जाएगा। केन और बेतवा नदियों को जोड़ने का काम मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की सरकारें शुरू कर चुकी हैं। परियोजना को पूरा करने के लिए नहरों एवं बांधों के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू हो चुका है और डूब क्षेत्र भी तैयार हो रहा है।

सात हज़ार लोग होंगे प्रभावित- उत्तरप्रदेश को केन नदी का अतिरिक्त पानी देने के बाद मध्यप्रदेश करीब इतना ही पानी बेतवा की ऊपरी धारा से निकाल लेगा। परियोजना के दूसरे चरण में मध्यप्रदेश चार बांध बनाकर रायसेन और विदिशा जिलों में नहरें बिछाकर सिंचाई का इन्तजाम करेगा। केन–बेतवा नदी जोड़ो योजना की राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण (एनडब्ल्यूडीए) की रिपोर्ट के अनुसार डोढ़न गाँव के निकट 9000 हेक्टेयर क्षेत्र में एक बांध बनाया जाएगा। इसके डूब क्षेत्र में छतरपुर जिले के बारह गांव आएंगे। पांच गांव आंशिक व सात गांव पूर्ण रूप से डूब जाएंगे। इस क्षेत्र के 7000 लोग प्रभावित व विस्थापित हो जायेंगे। जानकार दावा करते हैं कि परियोजना में सबसे बड़ी अड़चन प्राकृतिक है क्योंकि शताब्दियों पहले नदियों का एक स्वाभाविक ढाल बना, जिसे कृत्रिम तरीके से बदलना सम्भव नहीं है।

शुरुआती दौर से ही राज्यों में मतभेद- केन बेतवा के जुड़ने से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। यहां बाघों के प्रजनन, आहार एवं आवास व प्रवास को लेकर भी सरकार चुप है। इसके साथ ही उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के बीच एक तरह के जल विवाद की भी संभावना हमेशा बनी रहेगी क्योंकि परियोजना के शुरू होने से पहले ही दोनों राज्यों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए थे और इन्हीं मतभेदों के कारण कई वर्ष तक परियोजना अधर में लटकी थी। विवादों और विरोधों के बीच शुरू हो रहे इस प्रोजेक्ट के बताये जा रहे लाभों को लेकर पर्यावरणविद सशंकित हैं।

4000 तालाबों का जीर्णोद्धार होता तो बेहतर होता

गौरतलब है कि अकेले बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 4000 से भी ज़्यादा तालाब हैं और इनमें से आधे तालाब कई किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल के हैं। यह ही सत्य है कि बुंदेलखंड देश के अत्यधिक पिछड़े हुए इलाकों में से एक है, यदि यहाँ के लोगों की समस्याओं को दूर करना है तो सरकार को इन तालाबों को गहरा करने व उनकी मरम्मत पर विचार करना चाहिए। यदि इन सभी तालाबों को सँवार लिया जाए तो इन नदियों को जोड़ने की ज़रूरत तो रह ही नहीं जाएगी और कई हजार करोड़ रुपए इस परियोजना पर खर्च होने से भी बच जाएँगे। इस परियोजना को पूरा करने का समय 10 साल बताया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ भूमि अधिग्रहण और वन भूमि में निर्माण कार्य की स्वीकृति में जो अड़चनें आती हैं, उनके चलते यह परियोजना 20-25 साल से पहले सम्पूर्ण नहीं हो पाएगी। भारत में नदियों को जोड़ने की पहली पहल ऑर्थर कॉटन ने की थी। लेकिन फिरंगी हुकूमत का नदियों को जोड़ने का मकसद देश में गुलामी के शिकंजे को और मज़बूत करने के साथ, बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा का दोहन करना था। हालाँकि आज़ादी के बाद भी नदियों को जोड़ने की माँग होती रही है लेकिन अब तक इस परियोजना को अमल में नहीं लाया गया है क्योंकि इस परियोजना को अमल में लाने में व्यापक चुनौतियाँ तो हैं ही, साथ में यदि यह परियोजना अमल में लाई जाती हैं, तो नदियों की अविरलता खत्म होने की आशंका भी है। यदि नदियों को जोड़ो अभियान के तहत केन–बेतवा नदियाँ जुड़ जाती हैं तो इनकी अविरल बहने वाली धारा टूट सकती है। उत्तराखण्ड में गंगा नदी पर टिहरी बांध बनने के बाद एक तरफ तो गंगा की अविरलता प्रभावित हुई है, वहीं दूसरी तरफ पूरे उत्तराखण्ड में बादल फटने और भूस्खलन की आपदाएँ बढ़ गई हैं। लेकिन हमारे नीति निर्माताओं ने इससे कोई सीख नहीं लिया है। एक तथ्य यह भी है कि केन की सहायक नदियाँ जैसे बन्ने, केल, उर्मिल, धसान आदि वर्षा के मौसम में पानी से लबालब भर जाती हैं। यदि केन को उसकी सहायक नदियों से जोड़ा जाए तो शायद पानी की समस्या का कारगर उपाय निकल सकता है।

बात की है, उसमें से 823 हेक्टेयर जमीन स्थानीय लोगों की है, जहां वे रहते हैं और इसकी जानकारी पर्यावरण मंत्रालय को नहीं दी गई है।

वन्यजीव अभ्यारण्य को जोड़ने को लेकर भी टाल-मटोल- जल शक्ति मंत्रालय ने सिर्फ वन क्षेत्र ही नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश के नौरादेही एवं रानी दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य और उत्तरप्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को पन्ना टाइगर रिजर्व में मिलाने या इसके साथ जोड़ने के बाद परियोजना के कार्यो को शुरू करने की शर्त में भी ढील देने की मांग की थी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति की 39वीं बैठक में इस परियोजना के चलते बाघों के निवास स्थान के 105 स्क्वॉयर किमी क्षेत्र खत्म होने को लेकर गहरी चिंता जाहिर की थी। इसलिए एनटीसीए ने मध्य प्रदेश के नौरादेही एवं रानी दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य और उत्तरप्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को पन्ना टाइगर रिजर्व से जोड़ने के लिए कहा था।

अभ्यारण्य जोड़ने के साथ-साथ ही छतरपुर और दक्षिण पन्ना डिवीजन के क्षेत्र को पन्ना टाइगर रिजर्व का बफर क्षेत्र घोषित करने के लिए कहा गया था, क्योंकि यहां पर पहले से ही बाघों का ठिकाना रहा है। हालांकि वर्तमान में कोई भी पर्याप्त आंकड़ा नहीं है जो यह साबित कर सके कि केन-बेतवा परियोजना के तहत बाघों के मौजूदा रहवास क्षेत्र को बर्बाद करने के बाद अभ्यारण्य वगैरह जोड़कर इसे बचाया जा सकता है। माना जा रहा है कि इन सबके चलते यहां तेजी से बाघ गायब होने लगेंगे। सरकार

नदी जोड़ो अभियान से क्या नुकसान?

हर परियोजना के लाभ और साथ ही कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। नदिया शुरू से हमारे प्रकृति का अभिन्न अंग मानी जाती रहीं हैं तथा इनमें किसी भी प्रकार का मानव हस्तक्षेप विनाशकारी भी सिद्ध हो सकता है। नदी जोड़ो परियोजना को पूरा करने हेतु कई बड़े बाँध, नहरें और जलाशय बनाने होंगे जिससे आस पास की भूमि दलदली हो जाएगी और कृषि योग्य नहीं रहेगी। इससे खाद्यान उत्पादन में भी कमी आ सकती है। कहाँ से कितना पानी लाना है, किस नहर को स्थानांतरित करना है, इसके लिए पर्याप्त अध्ययन और शोध करना अनिवार्य है। देखा जाए तो 2001 में इस परियोजना की लागत 5 लाख साठ हजार करोड़ आंकी गई थी परन्तु वास्तविक में इससे कई ज्यादा होने की संभावना है।

नदी जोड़ो परियोजना का उद्देश्य भारतीय नदियों को जलाशयों और नहरों के माध्यम से आपस में जोड़ना है। इससे सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं का समाधान होगा। किसानों को भी लाभ होगा आदि। नदी जोड़ो परियोजना एक सिविल इंजीनियरिंग परियोजना है, जिसका उद्देश्य भारतीय नदियों को जलाशयों और नहरों के माध्यम से आपस में जोड़ना है। इससे किसानों को खेती के लिए मानसून पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और साथ ही बाढ़ या सूखे के समय पानी की अधिकता या कमी को दूर किया जा सकेगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व में जितना भी पानी उपलब्ध है उसका केवल चार फीसदी ही भारत के पास है और भारत की आबादी विश्व की कुल आबादी का लगभग 18 फीसदी है। परन्तु हर साल करोड़ों क्यूबिक क्यूसेक पानी बहकर समुद्र में चला जाता है और भारत को केवल 4 फीसदी पानी से ही अपनी जरूरतों को पूरा करना पड़ता है। हर योजना के दो पक्ष होते हैं परन्तु हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इसका लाभ कितना अधिकाधिक लोगों तक पहुंचेगा।

नदी जोड़ो परियोजना का इतिहास- नदी जोड़ो परियोजना पर काफी लंबे समय से विचार–विमर्श चल रहा है। भारत में जिन क्षेत्रों की नदियों में अधिक पानी है और जिनमें कम पानी है उनको जोड़ने का सुजाव काफी समय से हो रहा है।

- सबसे पहले नदियों को जोड़ने का विचार 150 वर्ष पूर्व 1919 में मद्रास प्रेसीडेंसी के मुख्य इंजीनियर सर आर्थर कॉटन द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
- 1960 में फिर तत्कालीन उर्जा और सिंचाई राज्यमंत्री केएल राव ने गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने के विचार को पेश कर इस विचार धरा को फिर से जीवित कर दिया था।
- पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने 1982 में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया था।
- सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर, 2002 में एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को इस योजना को शीघ्रता से पूरा करने को कहा और साथ ही 2003 तक इस पर प्लान बनाने को कहा और 2016 तक इसको पूरा करने पर ज़ोर दिया गया था।
- पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया था और यह अनुमान लगाया गया था कि इस परियोजना में लगभग 5,60,000 करोड़ रुपयों की लागत आएगी।
- 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना को समयबद्ध तरीके से अमल करके शुरू किया जाए ताकि समय ज्यादा बढ़ने की वजह से इसकी लागत और न बढ़ जाए।

केन नदी पर बने बरियापुर बांध से पहले ही उत्तरप्रदेश में 2.14 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का प्रावधान किया गया था। इस तरह केन-बेतवा प्रोजेक्ट से प्रदेश को महज 0.38 लाख हेक्टेयर (2.52 लाख हेक्टेयर 2.41 लाख हेक्टेयर) का लाभ होगा। जबकि मध्यप्रदेश ने बांध से खुद के लिए मिली सिंचाई क्षमता का अभी तक पूरी तरह उपयोग ही नहीं किया है।

द्वारा मुहैया कराई सूचनाओं से पता चलता है कि टाइगर रिजर्व की बाउंड्री से नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य 108.2 किमी, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य 102.1 किमी और रानीपुर अभ्यारण्य 73.8 किमी है।

सरकार का दावा है कि इसके जरिये 9.04 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी, जिसमें से मध्यप्रदेश का 6.53 लाख हेक्टेयर और उत्तरप्रदेश का 2.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित किया जा सकता है। हालांकि केन नदी पर बने बरियापुर बांध से पहले ही उत्तरप्रदेश में 2.14 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का प्रावधान किया गया था। इस तरह केन-बेतवा प्रोजेक्ट से प्रदेश को महज 0.38 लाख हेक्टेयर (2.52 लाख हेक्टेयर 2.41 लाख हेक्टेयर) का लाभ होगा। जबकि मध्यप्रदेश ने बांध से खुद के लिए मिली सिंचाई क्षमता का अभी तक पूरी तरह उपयोग ही नहीं किया है। इसके अलावा एनडब्ल्यूडीए द्वारा दी गई जानकारी से पता चलता है कि केन बेसिन में पहले से ही 11 बड़े और मध्यम परियोजनाएं तथा 171 छोटी सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं। इस आधार पर सीईसी ने सिफारिश की थी कि दौधन बांध को बनाए बिना और इकोलॉजी को नुकसान पहुंचाए बिना पूर्ववर्ती योजनाओं का क्षमता विस्तार कर जरूरतों को पूरी किया जा सकता है। हालांकि इन सब तथ्यों को सिरे से खारिज करते हुए मोदी सरकार ने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की डील साइन कर दी है।

दस्तावेज़ों से पता चलता है कि केन-बेतवा प्रोजेक्ट के तहत सरकार जितनी ज़मीन प्रतिपूरक वनीकरण के रूप में दिखा रही है, उसमें से भी काफ़ी स्थानीय निवासियों की निजी भूमि है। केन नदी से करीब दौधन गांव है, जो पन्ना टाइगर रिजर्व के भीतर में स्थित है। गांव में बड़ी संख्या में आदिवासी भी हैं, इस नदी और इससे सटे जंगल पर निर्भर हैं। वे यह बात सुनकर सिहर उठते हैं कि केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के नाम पर अब यहां पर एक बहुत बड़ा बांध बनाया जाएगा, जिसके चलते उन्हें हटाया जाएगा और लाखों की संख्या में पेड़ कटेंगे। स्थानीय गांववालों का जीवन इन्हीं जंगलों से चलता था। महुआ बीनते हैं, लकड़िया बेचते हैं, बांस काटते

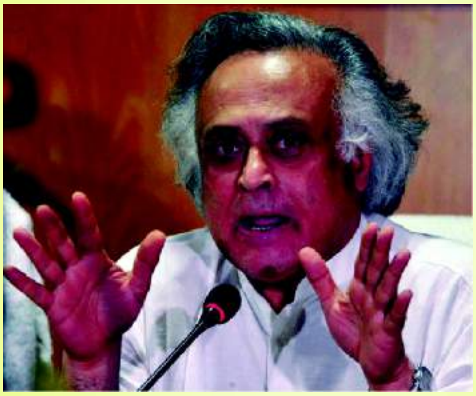

यूपीए सरकार ने मंजूरी नहीं दी थी

कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बताते हुए इस प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी थी। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद इसने फिर से तेजी पकड़ी, क्योंकि इस परियोजना की परिकल्पना के तार अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से जुड़ते हैं। केंद्र ने इसे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की भीष्म प्रतिज्ञा और ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के दो-तीन साल के भीतर सारे जरूरी विभागों से मंजूरी दिलवा दी।

हैं। इन पेड़ों को काटने से जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार उन शर्तो में भी ढील दिलाने की कोशिश की जिसके आधार पर पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को प्रथम स्तर की वन मंजूरी प्रदान नहीं कर पा रही थी। सरकार को ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वे भरपाई के लिए उतनी उचित जमीन नहीं ढूंढ पाए हैं, जितने क्षेत्र के पेड़ों को काटा जाएगा। इतना ही नहीं, वन भूमि के बदले अन्य जगह की भूमि देने के लिए जितने क्षेत्र की पहचान हुई है, उसमें से काफी जमीन सरकार की नहीं, बल्कि स्थानीय निवासियों की है।

केन-बेतवा लिंक परियोजना: विकास और विस्थापन के मुंहाने पर ग्रामीण

मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत मध्यप्रदेश के छतरपुर ज़िले में 10 गांवों को विस्थापित किया जाना है। पहले से ही तमाम बुनियादी सुविधाओं के बिना चल रही उनकी ज़िंदगी को यह प्रोजेक्ट यातनागृह में तब्दील कर देगा। उन्हें यह डर भी है कि तमाम अन्य परियोजनाओं की तरह उन्हें उचित मुआवज़ा नहीं मिलेगा। विडंबना ये है कि इस प्रोजेक्ट के तहत 44,000 करोड़ रुपये से भी अधिक की राशि खर्च कर बांध, बैराज, नहर, पावरहाउस इत्यादि बनाए जाने हैं, लेकिन इस कार्य के लिए जिनकी जमीनें ली जाएंगी। उन्हें आज तक एक अदद मोबाइल टावर भी नसीब नहीं हो सका। मोदी सरकार की तमाम योजनाएं जैसे कि

आवास, शौचालय, उजवला, बिजली, डिजिटल इंडिया इत्यादि की यहां कोई पहुंच नहीं है। मनरेगा के तहत भी लोगों को कोई काम नहीं मिल रहा है। इसके अलावा 221 किलोमीटर लंबी केन-बेतवा लिंक नहर बनाई जाएगी, जिसके जरिये केन का पानी बेतवा बेसिन में लाया जाएगा। साथ ही 1.9 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर लंबी दो सुरंग भी बनाई जाएगी। इस बांध के बनने के चलते 9,000 हेक्टेयर भूमि डूबेगी, जिसमें से सबसे यादा 5,803 हेक्टेयर क्षेत्र पन्ना टाइगर रिजर्व का होगा। इसी रिजर्व क्षेत्र में दौधन गांव स्थित है, नतीजतन यह भी डूबेगा।

उल्लेखनीय है कि 22 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के सहमति ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले दोनों राज्यों के बीच साल 2005 में इस परियोजना को लेकर समझौता ज्ञापन साइन किया गया था। बाद में सरकारें आती-जाती रहीं, लेकिन कई कारणों से ये परियोजना लंबित ही रही।

केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इस दलील पर आधारित है कि केन नदी में पानी की मात्रा यादा है, इसलिए दोनों नदियों को जोड़कर केन के पानी को बेतवा में पहुंचाया जाएगा, जिससे लोगों को सिंचाई एवं पेयजल का लाभ मिलेगा। वैसे तो केन और बेतवा दोनों नदियां प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जो अंत में जाकर यमुना में मिल जाती हैं लेकिन सरकार जिस कृत्रिम तरीके से इन्हें जोड़ना चाह रही है,

उसे विशेषज्ञों ने विनाशकारी बताया है। सरकार ने अभी तक न तो उन आंकड़ों को सार्वजनिक किया है और न ही इसकी स्वतंत्र विशेषज्ञों से जांच कराई गई है, जिसके आधार पर वे केन में पानी यादा होने का दावा कर रहे हैं।

इस परियोजना को लागू करने के लिए 6,017 हेक्टेयर वनभूमि को खत्म किया जाएगा, जो कि दस या बीस नहीं, बल्कि 8,427 फुटबॉल फील्ड के बराबर है। इसके चलते कम से कम 23 लाख पेड़ काटे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि मुंबई की आरे कॉलोनी में काटे गए पेड़ों की तुलना में एक हजार गुना (1,078) अधिक पेड़ यहां काटे जाएंगे। मेट्रो कार शेड बनाने के लिए साल 2020 में आरे कॉलोनी में 2,135 पेड़ काटने के चलते व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ, न्यायालयों में याचिकाएं दायर हुई, मीडिया ने खूब कवरेज भी किया, जिसके चलते चुनाव के बाद शिवसेना सरकार को फैसले को पलटना पड़ा था। पन्ना के जंगलों में सागौन, महुआ, बेलपत्र, आचार, जामुन, खैर, कहवा, शीशम, जंगल जलेबी, गुली, आंवला समेत अन्य प्रमुख प्रजातियों के बड़े पेड़ हैं। इसके साथ-साथ यहां घड़ियाल अभ्यारण्य और गिद्धों का प्रजनन केंद्र भी गंभीर रूप से प्रभावित होंगे।

करीब 11 साल पहले ही आरटीआई आवेदन दायर कर इस प्रोजेक्ट को लागू कर रही जल शक्ति मंत्रालय की एजेंसी राष्ट्ीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) से प्रभावित लोगों के विस्थापन के बारे में जानकारी मांगी थी। जो जवाब मिले वो बेहद चौंकाने वाले थे। एनडब्ल्यूडीए ने एक जुलाई 2010 को भेजे अपने जवाब में कहा था कि 10 में से चार गांवों (मैनारी, खरयानी, पलकोहा और दौधन) को पूर्व में ही विस्थापित कराया जा चुका है। गांव वाले इस सरकारी कागज को लेकर एकदम अचंभित हैं, उन्हें किसी

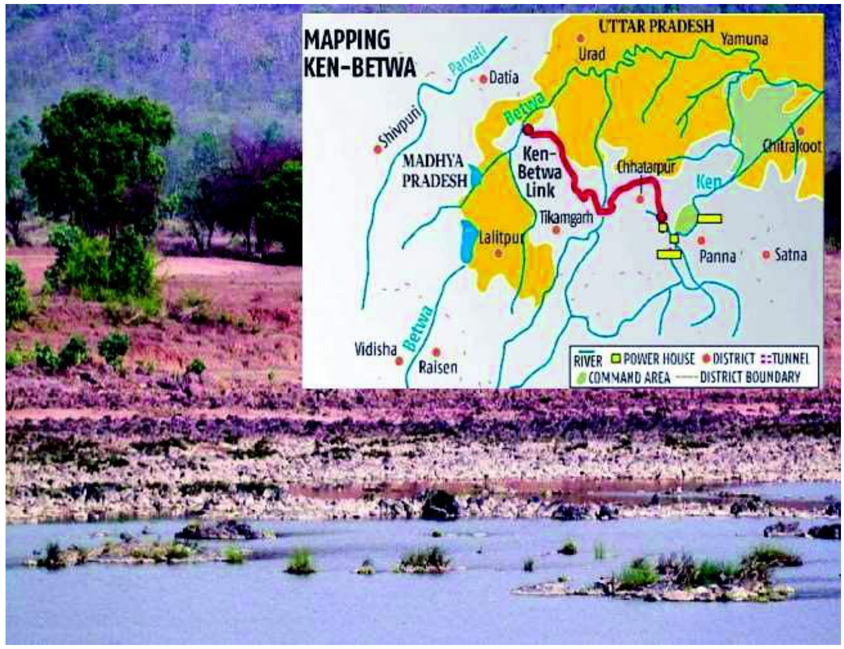

अनहोनी का डर सताने लगता है। वे कहते हैं, हमें तो इसकी हवा तक नहीं लगी। हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो। सुप्रीम कोर्ट को ये पता होना चाहिए कि हमारा गांव पूरी तरह आबाद है, हमें एक पैसा भी नहीं मिला है।

केंद्र सरकार ने कहा है कि साल 2013 के कानून के तहत प्रभावित परिवारों को विस्थापित किया जाएगा, जो राज्य सरकार को करना है। केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के सहमति ज्ञापन में कहा गया है, संबंधित राज्य सरकारें अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुन- स्थापना तथा परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य, पुनर्वास एवं पुन- स्थापना अधिनियम, 2013 या संबंधित राय नीति के अनुसार या अनुमोदित पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से करेंगी।

दस्तावेज दर्शाते हैं कि 10 गांवों के कुल 1913 परिवारों के 8339 लोगों को विस्थापित किया जाना है। हालांकि ग्रामीणों का मानना है कि ये आंकड़ा सही नहीं है, क्योंकि जब ये आंकलन कराया गया होगा, तब से लेकर अब तक परिवारों एवं लोगों की संख्या में काफी वृद्धि हो चुकी है। सरकार का ये आंकलन साल 2011 की जनगणना पर आधारित है। जाहिर है कि इसी साल 2021 में होने वाली जनगणना में यहां के लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। केन-बेतवा परियोजना पर तैयार की गई व्यापक रिपोर्ट अक्टूबर 2018 में आई थी। इसके मुताबिक साल 2013 के कानून के तहत पुनर्वास एवं पुन- स्थापना में 248.84 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। यदि विस्थापित होने वालों के सरकारी आंकड़े को मानते हैं, तब भी इस हिसाब से प्रति व्यक्ति को विस्थापित करने में महज 2.98 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। यह गांव वालों की उम्मीद से काफी कम है। वहीं दस्तावेजों के मुताबिक परियोजना के तहत दौधन बांध बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण करने में करीब 324 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साल 2017-18 के मूल्य स्तर के आधार पर पूरे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में 35,111 करोड़ रुपये खर्च बताया गया था।

किसान हितैषी बनने का ढोंग करते हैं भूपेश बघेल

खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार किसानों की कितनी चिंता है उसका पता पिछले दिनों चल गया। जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलने गये किसानों के ऊपर हुए लाठीचार्ज किया गया। इस लाठीचार्ज में कई किसान घायल हो गए।

अपने आपको किसान, किसान पुत्र और किसान हितैषी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सिर्फ ढोंग है। आखिरकार खुद को किसानों का हितैषी बताने वाली छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार का असली चेहरा सामने आ गया है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार किसानों की कितनी चिंता है उसका पता पिछले दिनों चल गया। जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलने गये किसानों के ऊपर हुए लाठीचार्ज किया गया। इस लाठीचार्ज में कई किसान घायल हो गए। किसानों के साथ पशुओं के समान वर्ताव किया गया। जैसे पशुओं के लिये बाड़ा बना दिया जाता है वैसे ही किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिये बाड़ा बना दिया गया। ऐसा अन्न दाताओं के साथ वर्ताव से पूरे देश का मान नीचे चला गया है। यह देश के अन्न दाताओं साथ किसान पिछले कई दिनों से अपनी 09 मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। किसानों के ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इशारे पर दुर्व्यहार किया गया। दरअसल पिछले दिनों किसानों का एक बड़ा जत्था राहुल गांधी से मिलने एयरपोर्ट पहुंचा था। हजारों की संख्या में किसानों को देख पुलिस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इशारे पर न सिर्फ किसानों को राहुल गांधी से मिलने से रोकने की कोशिश की बल्कि उनके साथ सख्ती का प्रदर्शन भी किया। यही नहीं राहुल गांधी से किसानों की मुलाकात रोकने के पीछे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सख्त रवैया था। किसानों के साथ हर मुद्दे से कंधे से कंधा लगाकर लड़ने वाले राहुल गांधी को उनके ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नीचा दिखा दिया। इस पूरे वाक्याध के पीछे की कहानी कुछ और ही है। भूपेश बघेल को इस बात का भय था कि कहीं किसान राहुल गांधी से मिलकर राज्य में फैले भ्रष्टाचार और किसानों के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार का भांडा न फोड़ दें। इसलिए भूपेश बघेल ने किसानों को राहुल गांधी से नहीं मिलने दिया। बावजूद उसके किसानों ने अपना संघर्ष जारी रखा और पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। दिनांक 05-10-2021 के दिन को शायद भूपेश बघेल खुद ही भूल गये। इस दिन लखीमपुर खिरी में हुई घटना के विरोध स्वरुप पीडितों से मिलने जाना था, पर इनको लखनऊ हवाइअड्डे पर ही सरकार द्वारा रोक दिया गया था। यह कदम अगर उस समय गलत था तो किसानों का हितैषी बताने वाली छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी मांगों के लिये राहुल गांधी से मुलाकात कर अपनी मांगों का पत्र देने वालो किसानों की आवाज क्यों दबाई।

भूपेश बघेल का अब असली चेहरा सामने आ गया है।

घायल हुए कई किसान नेता- किसान तेजराम साहू ने बताया कि किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी से मुलाकात कर समस्या बताना चाहता था। इसके लिए जिला कलेक्टर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम को पत्र लिखा गया था। लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात करवाने के बजाए किसानों को जगह-जगह बैरिकेड लगाकर रोका गया। एनआरडीए बिल्डिंग से आगे निकलने पर कायाबंद चौक में बैरिकेडिंग की गई थी। किसान बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़े। इसके बाद एयरपोर्ट की बाउंड्री से लगे बरोदा गांव में एक और बैरिकेड लगाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि रैली में आगे युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस के लाठीचार्ज की घटना में कई किसान घायल हो गए।

मुख्यमंत्री को पहले ही अवगत करा चुके हैं किसान- किसान आंदोलन के प्रमुख रूपन चंद्राकर के अनुसार रैली में हजारों किसान शामिल थे। जो राहुल गांधी से मिलना चाहते थे। लेकिन पुलिस ने रोक दिया। सीएम बघेल ने एयरपोर्ट पर ही 11 किसानों के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा की। इसके बाद किसान नेता ने कहा कि सीएम के आश्वासन से हम संतुष्ट नहीं हैं। किसानों का आन्दोलन आगे भी चलता रहेगा।

बड़ा आंदोलन करने की है तैयारी- अपने अड़ियल स्वभाव के लिए खास पहचान रखने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात से किसान नेता बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि वो इस बात को भलीभांति जानते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सिर्फ बतौले बाज मुख्यमंत्री हैं। जो मीठी बात करते हैं, लेकिन आजतक उन्होंने किसानों के हित में कोई ऐसा फैसला नहीं लिया, जिससे किसान उन्हें अपना आदर्श मुख्यमंत्री बता सकें। किसान नेताओं ने तो

यहां तक कहा है कि यदि राज्य सरकार उनकी मांगें जल्द नहीं मांगती तो वो दिन दूर नहीं जब किसान इस शांतिप्रिय आंदोलन को वृहद स्वरूप दे दे।

लंबित 9 मांगों को लेकर दे रहे धरना- कई सालों से लंबित अपनी 09 मांगों को लेकर नवा रायपुर क्षेत्र के 27 गांवों के किसान आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के जोर पकड़ने के बाद क्षेत्रीय विधायक और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव डहरिया ने बात करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उनके तरीके से ग्रामीण भड़क गए।

इन मांगों को लेकर चल रहा है आंदोलन- नवा रायपुर पुनर्वास योजना के अनुसार अर्जित भूमि के अनुपात में उद्यानिकी, आवासीय और व्यावसायिक भूखंड पात्रतानुसार निःशुल्क मिलने के प्रावधान का पालन किया जाए।

● भू-अर्जन कानून के तहत हुए अवार्ड में भू-स्वामियों को मुआवजा प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें बाजार मूल्य से 04 गुना मुआवजा मिले।

● नवा रायपुर क्षेत्र में ग्रामीण बसाहट का पट्टा मिले।

● वार्षिकी राशि का पूर्णरूपेण आवंटन किया जाए।

● पुनर्वास पैकेज 2013 के तहत सभी वयस्कों को मिलने वाला 1200 वर्गफीट प्लॉट दिया जाए।

● साल 2005 से भूमि क्रय-विक्रय पर लगे प्रतिबंध को तत्काल हटाया जाए।

● आबादी से लगी गुमटी, चबूतरा, दुकान, व्यावसायिक परिसर को 75 प्रतिशत प्रभावितों को लागत मूल्य पर देने के प्रावधान का पालन किया जाए।

एक तरफ भूपेश बघेल अपने समस्त भ्रष्टाचारी, दागी अफसर, जो वास्तविक सरकार चलाते हैं, उनके सलाहकार हो या उनके पैसे इकट्ठा करने वाले एजेंट, सबको उस दौरे से दूर रखा गया। छत्तीसगढ में इस समय सिर्फ भ्रष्टाचार, दमन, अत्याचार का राज है और भूपेश बघेल किसी राजा के माफिक राज्य चला रहे हैं। भ्रष्टाचार और अय्याशी में डूबे मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर सभी आवाज को दबाकर रख दिया है। कांग्रेस आलाकमान भी मानो आंख मूंदकर बैठी है। छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री की जो मीडिया परसेप्टेशन वाली इमेज जिसके लिए करोडों पैसे विज्ञापन में खर्च किए जा रहे हैं, उसका कोई औचित्य आगे नहीं रहेगा। यह कांग्रेस आलाकमान को समझना होगा अन्यथा आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता इस भ्रष्ट, विनाशी मुख्यमंत्री और इनकी सरकार को सबक सिखाएगी।

चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन पाती पृथक बुंदेलखंड की मांग?

समता पाठक

उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के 13 ज़िलों में फैले बुंदेलखंड को पृथक राज्य बनाने की मांग क़रीब 65 वर्ष पुरानी है। नब्बे के दशक में इसने आंदोलन का रूप भी लिया। समय-समय पर नेताओं ने इसके सहारे वोट भी मांगे लेकिन अब यह मतदाताओं को प्रभावित कर सकने वाला मुद्दा नहीं रह गया है। चार फरवरी को संसद के लोकसभा सदन में उत्तरप्रदेश के हमीरपुर से सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने एक निजी विधेयक के माध्यम से बुंदेलखंड को पृथक राज्य बनाने की मांग फिर से उठाई थी। उनका तर्क था कि बुंदेलखंडी संस्कृति की रक्षा के लिए बुंदेलखंड राज्य का गठन जरूरी है। गौरतलब है कि यह मांग उस समय उठाई गई जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की सरगर्मी चरम पर थी। बुंदेलखंड का दायरा मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के कुल 13 जिलों में फैला हुआ है। इनमें सात जिले (झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट) उत्तरप्रदेश के हैं। गाहे-बगाहे यह मांग पहले भी उठती रही है कि एमपी-यूपी के बीच विभाजित बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी जिलों को मिलाकर अलग बुंदेलखंड प्रांत का गठन कर दिया जाए। अगर इस मांग के इतिहास में जाएं तो यह करीब 65 वर्ष पुरानी मांग है, क्योंकि 31 अक्टूबर 1956 से पहले बुंदेलखंड राज्य का अस्तित्व हुआ करता था। भारत की आजादी के बाद विलय प्रक्रिया के तहत बुंदेलखंड की 33

रियासतों के साथ भारत सरकार ने एक लिखित संधि की थी कि भाषाई आधार पर हमारा अलग राज्य होगा, जिसके तहत 12 मार्च 1948 को बुंदेलखंड राज्य अस्तित्व में आया। पहले मुख्यमंत्री कामता प्रसाद सक्सेना बने और राजधानी नौगांव को बनाया गया लेकिन 31 अक्टूबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर बुंदेलखंड राज्य को समाप्त करके उत्तरप्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच विभाजित कर दिया गया। 1955 की राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रथम रिपोर्ट में भी बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाए जाने की बात थी। उसके बावजूद इसे दो हिस्सों मे बांट दिया गया, जिसके विरोध में 1 नवंबर 1956 से ही यह आंदोलन शुरू हो गया कि हमारा राज्य हमें वापस दो। तब से ही पृथक बुंदेलखंड का मुद्दा लगातार सुर्खियों में आता रहा लेकिन कभी ऐसा जनांदोलन नहीं बन सका जिसका दबाव केंद्र की सरकारों को झुका सके। जानकारों के मुताबिक इसी कड़ी में 1970 में वैद्यनाथ

अब तक जितने भी नए राज्य बने उनमें किसी न किसी प्रदेश के दो हिस्से किए गए। जैसे- उत्तरप्रदेश से उत्तराखंड, मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड औ आंध्रप्रदेश से तेलंगाना। लेकिन बुंदेलखंड बनाने के लिए मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश, दोनों राज्यों के कुछ-कुछ जिलों को तोड़कर एक तीसरा राज्य बनाना है। इसके लिए दोनों राज्यों की सहमति और केंद्र सरकार की संस्तुति जरूरी है। इस लिहाज से वर्तमान दौर पृथक बुंदेलखंड बनाने के लिए सबसे मुफीद है क्योंकि दोनों राज्यों और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। केंद्र चाहे तो आसानी से बुंदेलखंड बन सकता है, लेकिन अहम बात यह है कि जनता के लिए ही यह मुद्दा नहीं है। मांग के पक्ष में जो लोग आंदोलन चला रहे हैं, वे वैसा जनसमर्थन नहीं दिखा सके हैं, जिसकी जरूरत थी। लोगों की सोच इस मसले पर यह है कि जब होना होगा, हो जाएगा। लोगों से पूछेंगे कि बुंदेलखंड बनना चाहिए तो वे हां कहेंगे, लेकिन पृथक बुंदेलखंड के नाम पर एक जनसभा करा लीजिए तो 500 लोग भी नहीं जुटेंगे। इसी तरह बुंदेलखंड क्रांति दल भी हमेशा इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ता है। पूर्व में बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा ने भी चुनाव लड़ा लेकिन सबका वोट शेयर 1,000 से 3,000 के बीच रहता है। हकीकत यही है कि इस मसले पर चुनाव लड़ने वाले को जनता वोट भी नहीं देती। वोट देती तो सरकार जरूर कोई कदम उठाती। हालांकि इस संबंध में यहां जिक्र करना जरूरी हो जाता है कि उत्तरप्रदेश में बसपा की मायावती सरकार के पिछले कार्यकाल (2007-12) के अंतिम दिनों में बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने का एक प्रस्ताव जरूर आया था। मायावती ने तब उत्तर प्रदेश को चार राज्यों में विभाजित करने की रूपरेखा तैयार की थी जिसमें एक राज्य बुंदेलखंड भी प्रस्तावित था। लेकिन वह प्रस्ताव केवल एक ऐसा राजनीतिक कदम माना गया जो मायावती ने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए उठाया था। उस प्रस्ताव में चारों राज्यों की सीमाओं तक का उल्लेख नहीं था।

आयुर्वेद के मालिक विश्वनाथ शर्मा ने बुंदेलखंड एकीकरण समिति का गठन करके एक जन जागरण अभियान चलाने की कोशिश की थी। बाद में वे भाजपा में शामिल होकर सांसद बन गए। वर्तमान में उनके बेटे अनुराग शर्मा भी बुंदेलखंड क्षेत्र की झांसी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद हैं। 1989 में शंकरलाल मेहरोत्रा ने बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया, जिसके नेतृत्व में पृथक बुंदेलखंड की मांग ने सही मायनों में केवल नब्बे के दशक में जोर पकड़ा था। मांग के समर्थन में 1994 में मध्यप्रदेश विधानसभा और 1995 में लोकसभा में पर्चे फेंके गए। इसी वर्ष शंकरलाल और उनके कुछ साथियों को केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ही शंकरलाल ने उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की मांग को लेकर संयुक्त मोर्चा का भी गठन किया था लेकिन बुंदेलखंड निर्माण आंदोलन के तहत 1998 में झांसी में एक हिंसक घटना हुई। तब आंदोलन से जुड़े रहे लोग बताते हैं कि उक्त घटना में एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी और एक बस को आग लगा दी गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए केंद्र की तत्कालीन भाजपा सरकार ने शंकरलाल व उनके साथियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून (रासुका) लगाकर जेल में डाल दिया।

बाद में सन 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड, मध्यप्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ और उत्तरप्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आए। पर पृथक बुंदेलखंड का सपना अधूरा रह गया, जो आज तक अधूरा ही है। इस बीच 2013

में एक और नया राज्य तेलंगाना भी अस्तित्व में आ गया लेकिन पृथक बुंदेलखंड हकीकत नहीं ही बन सका।

अब तक जितने भी नए राज्य बने उनमें किसी न किसी प्रदेश के दो हिस्से किए गए। जैसे- उत्तरप्रदेश से उत्तराखंड, मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड औ आंध्रप्रदेश से तेलंगाना। लेकिन बुंदेलखंड बनाने के लिए मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश, दोनों राज्यों के कुछ-कुछ जिलों को तोड़कर एक तीसरा राज्य बनाना है। इसके लिए दोनों राज्यों की सहमति और केंद्र सरकार की संस्तुति जरूरी है। इस लिहाज से वर्तमान दौर पृथक बुंदेलखंड बनाने के लिए सबसे मुफीद है क्योंकि दोनों राज्यों और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। केंद्र चाहे तो आसानी से बुंदेलखंड बन सकता है, लेकिन अहम बात यह है कि जनता के लिए ही यह मुद्दा नहीं है। मांग के पक्ष में जो लोग आंदोलन चला रहे हैं, वे वैसा जनसमर्थन नहीं दिखा सके हैं, जिसकी जरूरत थी। लोगों की सोच इस मसले पर यह है कि जब होना होगा, हो जाएगा। लोगों से पूछेंगे कि बुंदेलखंड बनना चाहिए तो वे हां कहेंगे, लेकिन पृथक बुंदेलखंड के नाम पर एक जनसभा करा लीजिए तो 500 लोग भी नहीं जुटेंगे। इसी तरह बुंदेलखंड क्रांति दल भी हमेशा इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ता है। पूर्व में बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा ने भी चुनाव लड़ा लेकिन सबका वोट शेयर 1,000 से 3,000 के बीच रहता है। हकीकत यही है कि इस मसले पर चुनाव लड़ने वाले को जनता वोट भी नहीं देती। वोट देती तो सरकार जरूर कोई कदम उठाती।

हालांकि इस संबंध में यहां जिक्र करना जरूरी हो जाता है कि उत्तरप्रदेश में बसपा की मायावती सरकार के पिछले कार्यकाल (2007-12) के अंतिम दिनों में बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने का एक प्रस्ताव जरूर आया था। मायावती ने तब उत्तर प्रदेश को चार राज्यों में विभाजित करने की रूपरेखा तैयार की थी जिसमें एक राज्य बुंदेलखंड भी प्रस्तावित था। लेकिन वह प्रस्ताव केवल एक ऐसा राजनीतिक कदम माना गया जो मायावती ने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए उठाया था। उस प्रस्ताव में चारों राज्यों की सीमाओं तक का उल्लेख नहीं था। नब्बे के दशक में शंकरलाल की अगुवाई में यह जरूर चुनावी मुद्दा रहा। उन्होंने सही ढंग और इस दिशा में ईमानदारी से काम करते हुए मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश, दोनों ही राज्यों के लोगों को जोड़कर पदयात्राएं कीं और दोनों राज्यों के बीच समन्वय बनाया। मतदाताओं को केवल जातिगत मुद्दा ही प्रभावी नज़र आता है। वर्तमान चुनावों को ही देख लीजिए, नेता अपनी-अपनी जातियों की उपेक्षा होने का हवाला देकर दल बदल रहे हैं। लेकिन बुंदेलखंड के 19 विधायकों

सन 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड, मध्यप्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ और उत्तरप्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आए। पर पृथक बुंदेलखंड का सपना अधूरा रह गया, जो आज तक अधूरा ही है।

में से पृथक बुंदेलखंड की मांग के समर्थन में किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी।

बता दें कि 2017 में इन सभी 19 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के वर्तमान अध्यक्ष हरिमोहन विश्वकर्मा ने भी शंकरलाल मेहरोत्रा के साथ रासुका के तहत करीब तीन महीने जेल में बिताए थे। वे भी इस तथ्य को स्वीकारते हैं कि शंकरलाल मेहरोत्रा के बाद आंदोलन कमजोर हुआ। बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के पास साधन-संसाधनों का अभाव है। बुंदेलखंड के लोगों की पहली प्राथमिकता अपना पेट पालना है। वे पश्चिमी उत्तरप्रदेश के किसानों की तरह समृद्ध नहीं हैं कि महीनों तक घर-परिवार छोड़कर आंदोलन कर सकते हैं या जेल जा सकते हैं। यहां के लोग प्रवासी हैं जो रोजगार के लिए पलायन कर जाते हैं। जब आंदोलन के लिए लोग ही उपलब्ध नहीं होंगे तो भीड़ कैसे दिखेगी?

आखिर बुंदेलखंड का मतदाता पृथक बुंदेलखंड की मांग पर एकजुट होकर वोट क्यों नहीं डालता? क्यों बुंदेलखंड के स्थानीय राजनीतिक दल, जैसे कि बुंदेलखंड क्रांति दल, बुंदेलखंड विकास दल और बुंदेलखंड कांग्रेस को बुंदेलखंडी मतदाता का समर्थन नहीं मिलता है? उत्तरप्रदेश में 403 विधानसभा हैं लेकिन बुंदेलखंड में केवल 19, इसलिए बुंदेलखंड की आवाज को कोई भी राजनीतिक दल तवज्जो नहीं देता है। फिर मतदाता भी सोचता है कि अगर मैंने बुंदेलखंडी दलों को वोट भी दे दिया तो भी असर तो कुछ होगा नहीं क्योंकि 19 विधायक क्या कर लेंगे और संभव है कि जीतकर वे दलबदल करके मुख्य दलों में शामिल हो जाएं। इसलिए मतदाता सत्ता की हवा में बह जाते हैं। राजस्थान में बसपा के विधायकों के साथ यही तो हुआ कि सातों कांग्रेसी हो गए।

आखिर बुंदेलखंड का मतदाता पृथक बुंदेलखंड की मांग पर एकजुट होकर वोट क्यों नहीं डालता? क्यों बुंदेलखंड के स्थानीय राजनीतिक दल, जैसे कि बुंदेलखंड क्रांति दल, बुंदेलखंड विकास दल और बुंदेलखंड कांग्रेस को बुंदेलखंडी मतदाता का समर्थन नहीं मिलता है?

अगर बात उमा भारती की करें तो जानकारों का कहना है कि उन्होंने एक बार नहीं, बल्कि दो बार पृथक बुंदेलखंड के नाम पर लोगों को छला। उमा भारती ने नब्बे के दशक में एक सभा में कहा था कि हमारी सरकार बनी तो हम बुंदेलखंड प्रांत बनाएंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद उन्होंने स्वयं यह कहकर अड़ंगा लगाया कि मध्यप्रदेश के लोग नहीं चाहते हैं। जबकि, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के सांसदों ने तब संसद में सामूहिक रूप से लिखकर दिया था कि हम दोनों प्रांतों के लोग तैयार हैं। उमा भारती की इस वादाखिलाफी 2014 में जब उमा भारती झांसी से लोकसभा चुनाव लड़ने आईं तो उन्होंने तब भगवान राम को साक्षी मानकर ये वादा किया था कि अगले तीन सालों में बुंदेलखंड राज्य बनाया जाएगा। इसी कड़ी में डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा के सामने भी खड़े होकर उन्होंने कहा

यूपी में किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा सत्ता पर काबिज ?

उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान चरम पर है तो अधिकतर वोटर्स पर अपना मन बना चुके हैं कि ईवीएम में उन्हें किस निशान के आगे बटन दबाना है। यूपी चुनाव में 07 चरणों के मतदान के बाद किसकी सरकार बनेगी यह तो 10 मार्च को तय होगा। फिलहाल 05 सर्वे एजेंसियों ने ओपिनियन पोल के नतीजे जारी किए हैं। इनमें से 04 में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है तो एक एजेंसी ने सपा को पूर्ण बहुमत मिलने की भविष्यवाणी की है।

सीवोटर का अनुमान, बीजेपी को मिलेगी पूर्ण बहुमत

सी-वोटर और एबीपी न्यूज की ओर से किए गए सर्वे के मुताबिक यूपी में योगी आदित्यनाथ की अगुआई में बीजेपी आसानी से बहुमत हासिल कर सकती है तो समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद सत्ता से दूर रह जाएगी। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक, बीजेपी को 225-237 सीटें मिल सकती हैं तो सपा 139-151 सीटों पर कब्जा कर सकती है। बसपा को 13-21 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। कांग्रेस के हाथ में 4-8 सीटें ही रह सकती हैं तो अन्य को 2-6 सीटें मिल सकती हैं।

क्या कहता है इंडिया टुडे के सर्वे ?

इंडिया टुडे के सर्वे के मुताबिक, 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा में बीजेपी को 241-245 सीटें मिल सकती हैं। सपा गठबंधन को 144-148 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। बीएसपी को 5-9 सीटें मिल सकती हैं तो कांग्रेस 3-7 सीटों पर कब्जा कर सकती है। अन्य के खाते में 1-3 सीटें जा सकती हैं।

था कि तीन सालों में बुंदेलखंड बनाकर दलित भाइयों को हम तोहफा देने जा रहे हैं ताकि उन्हें काम की तलाश में बाहर न जाना पड़े। उमा भारती के चुनाव प्रचार के लिए जब राजनाथ सिंह यहां आए तो वे भी कह गए कि उमा बहन इतनी समर्थ हैं कि अपने वादे पूरे करा लेंगी। लेकिन फिर भी मैं स्वयं ये वादा कर रहा हूं कि उनके सारे वादे पूरे होंगे। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी वचन दिया कि उमा भारती के सपने साकार करेंगे। लेकिन, तीन साल वाले उस लोकलुभावन वादे को आज आठ साल

टीवी9 भारतवर्ष और पोलस्ट्रैट के सर्वे में बीजेपी 200 पार

टीवी-9 भारतवर्ष और पोलस्ट्रैट की ओर से प्रसारित सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 205 से 221 सीटें मिल सकती हैं तो समाजवादी पार्टी 144 से 158 सीटें हासिल कर सकती है। बीएसपी को 21-31 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 2-7 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है तो अन्य के खाते में 0-2 सीटें रह सकती हैं।

इंडिया न्यूज ने भी की बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी

इंडिया न्यूज-जन की बात की ओर से किए गए फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपी में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन सकती है। बीजेपी को 228-254 सीटें मिल सकती हैं तो सपा गठबंधन 138-163 सीटों पर कब्जा कर सकती है। बीएसपी को 5-6 सीटें ही मिलने का अनुमान जताया गया है तो कांग्रेस के साथ 2 और अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं।

डीबी लाइव के सर्वे में सपा को बहुमत

डीबी लाइव और इलेक्ट लाइन की ओर से किए गए ओपनियन पोल के मुताबिक यूपी में सपा गठबंधन बहुमत हासिल कर सकता है। सपा को 210-218 सीटें मिल सकती हैं तो बीजेपी 149-157 सीटों पर सिमट सकती है। बीएसपी को 17-25 सीटें हासिल हो सकती हैं तो कांग्रेस को 6-12 सीटें और अन्य को 3-9 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है।

12 फीसदी वाली ब्राह्मण आबादी होगी निर्णायक

उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव के दो चरणों के मतदान हो चुके हैं। तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होने वाला है। इसके साथ ही कयास भी लगाये जाने लगे हैं कि 2022 में सूबे में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। जातिगण समीकरणों से निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं कि कौनसी जाति से कौनसी पार्टी को नफा-नुकसान हो रहा है। इन सबके बीच जो आबादी सबसे ज्यादा चुनाव परिणामों को प्रभावित करने वाली है, वह है ब्राह्मण आबादी। प्रदेश में इस आबादी की भले ही 12 फीसदी हो लेकिन सत्ता में दखल रखने की काबिलियत काफी बड़ी है। तब ही तो हर एक विधानसभा चुनाव में इस आबादी की भागीदारी अहम होती है। यही कारण है कि 2022 के उत्तरप्रदेश के विस चुनाव में ब्राह्मण वोटर्स की डिमांड बढ़ गई है।

होने को आए।

बुंदेलखंडवासियों की गरीबी एक बड़ा कारण है जिसके चलते पृथक राज्य की मांग जनांदोलन में तब्दील होकर जोर नहीं पकड़ पाती है। बुंदेलखंड के पास महज 19 विधानसभा सीटें हैं, जबकि पश्चिमी उत्तरप्रदेश की बात करें तो 136 सीटें हैं। कहां 19 और कहां 136? बस इसलिए बुंदेलखंड को तवज्जो नहीं मिलती। पृथक बुंदेलखंड की मांग को बुलंद करने के लिए ऐसा कोई नेतृत्व मौजूद नहीं है जिसका त्याग और कुर्बानी देखकर लोग उसके पीछे खड़े

उप्र में ब्राह्मण वोटरों की संख्या करीब 12 फीसदी है। 403 में 60 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां, ब्राह्मण वोटर्स ही निर्णायक की भूमिका में हैं। यहां ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 20ऽ से भी अधिक है। प्रयागराज समेत चार ऐसे भी विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां ब्राह्मणों की संख्या 40 प्रतिशत से भी ज्यादा है। मतलब साफ है, यूपी की सत्ता हासिल करने में ब्राह्मण वोटर्स की अहमियत काफी अहम है। सूबे में सबकी नजर ब्राह्मण वोटर्स पर है। राजनीतिक पार्टियां इन वोटर्स को साधने में किसी तरह की कोई कसर छोड़ना नहीं चाहतीं हैं। सभी दलों ने ब्राह्मण वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है।

यह भी सच है कि ओबीसी, एससी और मुस्लिम वोटर्स के बाद सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोटर्स की संख्या ही ह। करीब 12 प्रतिशत ब्राह्मण वोटर्स न केवल चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, बल्कि चुनावी माहौल बनाने में भी आगे हैं। संख्या ठीक-ठाक होने के बावजूद ब्राह्मणों के लिए कोई खास पार्टी तय नहीं है। जैसे यादव वोटर्स को समाजवादी पार्टी के साथ, दलित वोटर्स को बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़कर देखा जाता है, उस तरह से ब्राह्मण वोटर्स को किसी एक विशेष पार्टी के साथ नहीं जोड़कर देखा जाता है। पहले कांग्रेस में ब्राह्मणों की भूमिका जरूर अहम थी, लेकिन अब नई पीढ़ी के आने के बाद से वह लगभग समाप्त हो चुकी है। ब्राह्मण वोटर्स के साथ सामान्य वर्ग की अन्य जातियों के वोटर्स भी जुड़ते हैं। कायस्थ, भूमिहार, बरनवाल, बनिया, राजपूत समेत अन्य जातियां इसमें शामिल हैं। आमतौर पर ठाकुर और ब्राह्मणों में मतभेद की बात कही जाती है, लेकिन कई मुद्दों पर ब्राह्मण और ठाकुर भी एक हो जाते हैं। ऐसे में किसी पार्टी के साथ ब्राह्मण वोटर्स के जुड़ने से अन्य सामान्य वर्ग की जातियों पर भी प्रभाव पड़ता है।

ब्राह्मण वोटर्स को साधने के जतन

चुनाव से ठीक पहले बसपा ने प्रदेश के सभी जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन कराया था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया था और भाजपा ने ब्राह्मण वोटर्स को साधने के लिए ब्राह्मण नेताओं की एक कमेटी बनाई थी। ऐसे में सवाल उठता है आखिर ब्राह्मण वोटर्स यूपी की सियासत के लिए क्यों जरूरी हैं? 2007 चुनाव में बसपा ने 63 ब्राह्मण उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और इनमें 41 ने जीत हासिल की थी। मायावती की सरकार बनी थी। तब उन्होंने नारा दिया था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा, विष्णु महेश है। मायावती का ये बड़ा सियासी दांव था और सफल भी हुआ। दलित और ब्राह्मण वोटर्स का कॉम्बिनेशन बना और सभी ने एक होकर बसपा को वोट दिया। 2012 में भाजपा ने सबसे ज्यादा 62 ब्राह्मण उम्मीदवारों को उतारा था, जबकि बसपा ने बसपा 58, सपा ने 38 और कांग्रेस ने 52 ब्राह्मण प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। तब ब्राह्मण वोटों का बंटवारा हो गया और समाजवादी पार्टी ने यादव-मुस्लिम का गठजोड़ बनाते हुए सत्ता हासिल कर ली। 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा के 312 विधायकों में से 58 ब्राह्मण चुने गए थे। इस वक्त प्रदेश में नौ ब्राह्मण मंत्री हैं।

ब्राह्मणों को रिझाने के लिए पार्टियों ने क्या-क्या किया?

बसपा- बसपा ने 75 जिलों में का ब्राह्मण सम्मेलन कराया। मायावती खुद बोल चुकी हैं कि बसपा की सरकार बनने पर ब्राह्मणों को उचित सम्मान मिलेगा।

समाजवादी पार्टी- अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया। यह भी एलान किया कि अगर सरकार बनती है तो उत्तरप्रदेश में भगवान परशुराम की सबसे बड़ी मूर्ति बनवाई जाएगी। सपा ने कई ब्राह्मण सभाओं को भी संबोधित किया।

भाजपा- सत्ताधारी भाजपा में नौ ब्राह्मण मंत्री हैं और 58 ब्राह्मण विधायक हैं। भाजपा ने ब्राह्मण वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए एक टीम का गठन किया। इसमें कई ब्राह्मण नेताओं और मंत्रियों को शामिल किया था।

हो जाएं। सिर्फ जात-पात का नेतृत्व यहां मौजूद है। राष्ट्रवाद के दौर में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो छोटे राज्यों के निर्माण की बात पर तर्क देते हैं कि ऐसा करना भारत को आजादी से पहले के दौर में ले जाना होगा, जिन छोटी-छोटी रियासतों को जोड़कर भारत संघ बना था, छोटे राज्यों की कल्पना भारत को वापस उस रियासतकाल में ले जाएगी। आज बुंदेलखंड बनेगा तो कल पूर्वांचल और फिर बिहार में मिथिलांचल। ऐसी मानसिकता भी पृथक बुंदेलखंड की मांग को जोर नहीं पकड़ने देती है।

सिंधिया समर्थक मंत्रियों के विभागों को मिला प्रदेश में भ्रष्टाचार का तमगा

भ्रष्टाचार में स्वास्थ्य, राजस्व और पंचायत विभाग अव्वल

प्रभुराम चौधरी

गोविन्द सिंह राजपूत

विजया पाठक

कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामने वाले बागी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्रियों के बीच प्रदेश में भ्रष्टाचार करने की होड़ लगी हुई है। खास बात यह है कि इस होड़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाने वाले प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत सबसे आगे हैं। राजपूत और उनके समर्थक मिलकर न सिर्फ परिवहन विभाग में बल्कि राजस्व विभाग में भी जमकर धांधली करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। जानकारों की मानें तो सिर्फ गोविन्द सिंह राजपूत ही नहीं बल्कि ग्रामीण पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभु राम चौधरी भी इस दौड़ में शामिल हैं।

प्रदेश में सिंधिया समर्थित मंत्रियों ने किस तरह का भ्रष्टाचार मचा रखा है, यह किसी से भी नहीं छुपा है। हाल ही में लोकायुक्त और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने कोरोनाकाल 2021 में 341 भ्रष्ट अफसरों के नकाब उतारे। कोई रंगे हाथ धराया तो किसी के घर से अकूत संपत्ति का भांडाफोड़ किया। इसमें बड़ा खुलासा हुआ कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट अफसर राजस्व विभाग के पकड़ाए हैं। पंचायत विभाग के अफसर घूसखोरी और काली कमाई में अव्वल है। 2021 के दौरान मप्र में भ्रष्टाचार के मामले भी चार साल की तुलना में ज्यादा हुए हैं। लोकायुक्त पुलिस और ईओडब्ल्यू की रिपोर्ट के अनुसार लोकायुक्त ने 250 और ईओडब्ल्यू ने 91 केस रजिस्टर्ड किए। 2020 में सिर्फ 118 मामले सामने आए थे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई कार्रवाई में 60 करोड़ 71 लाख से ज्यादा की जब्ती की गई। इसमें राजस्व विभाग से जुड़े पटवारी, बाबू, नायब तहसीलदार, तहसीलदार से लेकर एसडीएम को ट्रैप

कमलनाथ के नेतृत्व में शुरू हुए घर-घर चलो अभियान से घबराई भाजपा

मध्यप्रदेश की राजनीति बहुत दिलचस्प हो गई है, आज के समय में कमलनाथ अगर डाल-डाल तो भाजपा पात-पात वाली स्थिती दिखती है। सरकार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को जितनी सीरियसली ले रही है उससे उनकी ताकत का अंदाजा हो रहा है और आने वाले 2023 के चुनाव में स्थिति का अंदाजा भी दिख रहा है। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर मध्यप्रदेश में सक्रिय दोनों राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। पिछला विधानसभा चुनाव जीत कर 15 महीनों के लिए सत्ता पर काबिज हुई पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से पूरे जोर-शोर के साथ जनमत जुटाने के लिए सड़कों पर निकल चुकी है। पिछले चुनावों में हुई गलतियों से सीखते हुए प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने घर-घर चलो अभियान शुरू किया है। खास बात यह है कि इस पूरे अभियान के जरिए कांग्रेस नेता प्रदेश की जनता तक अपनी पहुंच को और मजबूती देने का काम कर रहे है। कांग्रेस पार्टी के इस अभियान ने सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी की सरकार व उनके नेताओं को सख्ते में ला दिया है।

कमलनाथ को फॉलो किया भाजपा ने, लगातार हो रहा मंथन

कांग्रेस पार्टी द्वारा जनमत जुटाओं इस अभियान की शुरुआती सफलता को देख भाजपा नेता व पार्टी आलाकमान गंभीर विचार मंथन के कार्यो में र्जुट गई है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक भाजपा कार्यालयों में केवल कमलनाथ द्वारा शुरू किये गए घर-घर चलो

महेन्द्र सिंह सिसोदिया

किया गया। वहीं, पंचायत विभाग में ट्रैप के दौरान सचिव, सरपंच रंगे हाथ पकड़ाए तो नगरीय निकाय में बाबू से लेकर जनपद के सीईओ तक रहे। यही नहीं इन मंत्रियों द्वारा अपने-अपने विभागों के उच्चाधिकारियों को समय-समय पर मोटी रकम पहुंचाने का भी दबाव बनाया जा रहा है। मंत्री यह सब अपने आका श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया के इशारे पर कर रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि सिंधिया और उनके समर्थित मंत्री अभी से ही आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए फंड जुटाने की व्यवस्था में लग गए है।

कोरोना की आपदा को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने भ्रष्टााचार का अवसर बना दिया- स्वाभस्यं मंत्री का पूरा परिवार ही इस काम में लगा रहता है। बल्कि सूत्रों के अनुसार मंत्री जी के घर में लेनदेन के लिए बकायदा एक कमरा बना है। कोरोना काल के इन्होंहने अस्पतालों से उगाही का काम किया और जो अस्प ताल पैसा न दे सके उनको पार्टनर बना दिया गया। ऐसे तीन-चार अवैध अस्पतताल में यह पार्टनरशिप इनके बड़े बेटे पर्व यह वाला काम संभालता है।

केपी यादव और सिंधिया आमने सामने- गुना के महाराज कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनकी जीती हुई सीट से बीते लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद से ही ज्योतिरादित्य

अभियान की सफलता की चर्चाओं का दौर जारी है। अगर कांग्रेस पार्टी का यह अभियान इस गति से ही अपनी सफलता की ओर अग्रसर रहा तो निश्चित ही आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी भाजपा को कड़ी टक्कर देने में कामयाब होगी। कांग्रेस नेता कमलनाथ द्वारा चलाए जा रहे अभियान की सफलता को देख अब भारतीय जनता पार्टी ने बूथ विस्तारक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य यही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार इस अभियान की सफलता से डरी हुई है और वो भी बूथ विस्तारक अभियान चलाकर जनमत जुटाने की कोशिश कर रही है। खास बात यह है कि कमलनाथ वो नेता है जो खुद इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन भाजपा में फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। भाजपा की स्थिति वर्तमान में कमलनाथ की नीतियों का पीछा करने जैसी हो रही है। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी का जोरदार आई.टी.सेल की काट में भाजपा ने अपना आईटी सेल को ताकतवर बनाने का बहुत प्रयास किया।

सिंधिया बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि पहले तो उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा की गाड़ी में बैठने का फैसला किया। उसके बाद अब भाजपा की सीट से गुना लोकसभा चुनाव जीत चुके सांसद केपी यादव द्वारा जिले में किये जा रहे विकास कार्यो मे सिंधिया और उनके समर्थक बाधक बने हुए हैं। लोकसभा चुनाव के लगभग तीन साल बीत जाने के बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी हार का गम भुला नहीं सके हैं और लगातार केपी यादव को परेशान करने के तरीके अपना रहे हैं।

यादव पर लगाए जा रहे झूठे आरोप- पहले से ही गुना सीट से मिली करारी शिकस्त से बौखलाए सिंधिया ने सांसद केपी यादव के खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गंभीर आरोप लगाना शुरू कर दिये है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सांसद केपी यादव पर गुंडागर्दी करने और जमीन हड़पने के आरोप लगाए हैं। जिसको लेकर गुना जिले से बीजेपी के कई कार्यकर्ता राजधानी भोपाल स्थित प्रदेश मुख्यालय पहुंचे थे। इसके अलावा उन पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के इशारे पर काम करने का आरोप भी लगाया गया है। गुना जिले के स्थानीय बीजेपी नेता प्रेम नारायण वर्मा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के इशारे पर सांसद केपी यादव पर गुंडागर्दी और जमीनों के हड़पने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सांसद के समर्थकों ने उनसे 5 लाख की फसल छीन ली और उनके परिवार के साथ मारपीट भी की।

केपी यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखा था पत्र- कुछ दिन पहले ही बीजेपी सांसद केपी यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सर्मथक मंत्रियों पर बड़ा आरोप लगाया। जिसके बाद से सिंधिया समर्थक नेताओं ने भी केपी यादव पर निशाना साधा। जिसके बाद यह मामला प्रदेश की राजनीति में गरमाया हुआ है। केपी यादव ने लिखा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में सिंधिया समर्थक मंत्रियों और नेताओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले सरकारी कार्यक्रमों में उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता है। यदि इस विकट समस्या का समाधान नहीं किया गया तो पार्टी से निष्ठा खत्म होकर व्यक्तिनिष्ठा बढ़ जाएगी। केपी यादव ने लिखा कि उन्हें और उनके समर्थकों को सिंधिया समर्थकों द्वारा दरकिनार किया जा रहा है।

इसलिए भी बढ़ रहा मुद्दा- बीजेपी

कमलनाथ को मीडिया स्पेलस नही मिलने के लिये सरकार दे रही दबाव

इस समय सरकार की पुरजोर कोशिश यह रहती है की कमलनाथ को मीडिया स्पेस न मिल पाए। पहले या आवरण पृष्ठ से खबर को अंदर और छोटा करवाने के लिए सरकार से प्रेशर दिया जाता है। जबकि विगत 16 वर्षो में भाजपा ने कांग्रेस को इतना गंभीरता से नहीं लिया। संगठन के ताजा सर्वे में भी 2023 की स्थिति ठीक नहीं दीखती। इस समय सरकार पूरे तरह अपने ही बनाये मकड़जाल में फंस गई है, सिंधिया कैम्पह के कारण भितरघात हो, पिछड़ा वर्ग का कार्ड, आदिवासी कार्ड, बेरोजगारी और किसानों की नाराजगी सब भाजपा पर उल्टा पड़ता दिख रहा है। इसी के कारण आलाकमान से मुख्येमंत्री बदलने का शिगुफा समय-समय पर छोड़ा जाता है। इसका पूरा श्रेय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को जाता है। इससे पहले कांग्रेस का संगठन प्रदेश में मजबूत करने के लिये किसी अध्य क्ष ने इतना काम पिछले 17 वर्षो में नंही किया था, कांग्रेस तीन-चार छत्रपों की पार्टी बन कर रह गई थी। इस बीच कमलनाथ को दो फ्रंटों पर एक साथ लड़ना पड़ा। कांग्रेस के कुछ छत्रपों ने अंदर ही अंदर अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष वाले मामले को ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग करके कुछ पत्रकारो के माध्यम से मुद्दा उठवाया जिसे बाद में आलाकमान का विटो प्राप्त होने के बाद खत्म करवाया गया। कुर्सी पाने की लालच में ज्योतिरादित्य सिंधिया व उनके समर्थित मंत्रियों ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। जिसके कारण कमलनाथ ने नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार 15 महीने में ही सत्ता से बाहर हो गई थी। कमलनाथ की नेतृत्व क्षमता का ही यह परिणाम है कि वो रुके नहीं और लगातार उन्होंने संघर्ष करते हुए प्रदेश की जनता के बीच अपने सकरात्मक छवि बनाने में कामयाबी हासिल की। उसी का परिणाम है कि अब कमलनाथ के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी घर-घर चलो अभियान के जरिए जनता के सामने एकजुटता का संदेश देना चाहते है। आज कांग्रेस की पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति बन गई है की आज के दिन चुनाव होने की स्थिति में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी।

सांसद केपी यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच सामने आई इस सियासी तकरार के मायने इसलिए भी हैं क्योंकि केपी यादव एक जमाने में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सांसद प्रतिनिधि हुआ करते थे। लेकिन, 2019 लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी ने केपी यादव को ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मैदान में उतार दिया था। दिलचस्प यह रहा कि केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव में शिकस्त दे दी। हालांकि, बाद में बदले सियासी घटनाक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी में शामिल हो गए और गुना संसदीय क्षेत्र को लेकर तकरार सामने आने लगी और सिंधिया को एक भय यह भी है कि केपी यादव के आने के बाद उनकी लोकसभा सीट हमेशा के लिए उनके हाथ से जा सकती है। सिंधिया द्वारा ज्या दा परेशान किये जाने पर के.पी. यादव कांग्रेस में शामिल हो सकते है।

बैठक में तोमर के साथ अनबन दिखे सिंधिया- मध्यप्रदेश सरकार और भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया के दखल के साइड इफेक्ट नजर आने लगे हैं। खासकर ग्वालियर-चंबल में सिंधिया की सक्रियता से सियासी घमासान के संकेत हैं। दरासल कुछ महीने पहले ग्वालियर में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया भी मौजूद थे। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया पर अफसरों को अलग-अलग बयान दिए। पहले सिंधिया ने सोशल मीडिया पर लिखा- कोरोना संक्रमण की समीक्षा बैठक में ग्वालियर संभाग में ऑक्सीजन, दवा व बेड की कमी को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कुछ घंटे बाद केंद्रीय मंत्री तोमर ने बैठक की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने भी लिखा- अफसरों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं। तोमर ने भी मुख्यमंत्री को टैग किया, लेकिन सिंधिया को नहीं। सूत्रों के अनुसार सिंधिया और तोमर के बीच दूरियां बढ़ने की शुरुआत तो उपचुनाव के दौरान ही हो चली थी और नतीजे आने के बाद यह दूरी साफ नजर आने लगी थी। मुरैना शराब कांड ने साफ कर दिया है कि दोनों नेताओं के रिश्ते

सिंधिया और तोमर के बीच दूरियां बढ़ने की शुरुआत तो उपचुनाव के दौरान ही हो चली थी और नतीजे आने के बाद यह दूरी साफ नजर आने लगी थी।

पंजाब में आम आदमी पार्टी बना सकती है सरकार

अर्चना शर्मा

पंजाब में विधानसभा चुनाव में सरकार किसकी बनेगी, यह तो दस मार्च को नतीजे आने के बाद ही पता चलेंगे। इस बीच टीवी चैनलों और सर्वे एजेंसियों के महापोल में जो डेटा सामने आ रहे हैं, वे बताते हैं कि बहुमत तो किसी भी दल को नहीं मिल रहा है, सबसे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी के पास जा रही हैं। खास बात यह है कि भाजपा लड़ाई से भी बाहर है। अब तक जितने भी सर्वे हुए हैं, उनमें किसी में भी भाजपा को दस सीट नहीं मिल रही है। एबीपी न्यूज चैनल की ओर से कराए गए ABP-C Voter के सर्वे में कांग्रेस को 37-43 सीटें, आप को 52-58 सीटें, शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) को 17-23 सीटें और भाजपा को 1 से 3 सीटें मिल रही हैं। यानी आम आदमी पार्टी ही बहुमत के करीब है। कांग्रेस उससे काफी पीछे है। आम आदमी पार्टी राज्य की मुख्य विपक्षी दल भी है। दूसरी तरफ ZEE- डिजाइन बाक्स्ड के सर्वे के नतीजे में एसएसडी की सीटें कुछ बढ़ी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें इसमें भी आम आदमी पार्टी के पास ही है। इसके नतीजे इस तरह हैं, जिसमें कांग्रेस को 35-38 सीटें, आप को 36-39 सीटें, एसएडी को 32-35 सीटें और भाजपा को 4 से 7 सीटें मिल रही हैं। रिपब्लिक- P MARQ ने अपने सर्वे में जो नतीजे दिए हैं, उसमें भी आम आदमी पार्टी का ही बोलबाला दिख रहा है। इसमें कांग्रेस को 42-48 सीटें, आप को 50-56 सीटें, एसएडी को 13-17सीटें और भाजपा को 1 से 3 सीटें मिल रही हैं। Polstrat-NewsX के महापोल के नतीजे भी कुछ ऐसी ही बात बता रहे हैं, लेकिन यहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सीटों की संख्या काफी करीब हैं। इसमें कांग्रेस को 40-45 सीटें, आप को 47-52 सीटें, एसएडी को 22-26 सीटें और भाजपा को 1 से 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। India Ahead-ETG के सर्वे में भी कांग्रेस दूसरे नंबर पर चल रही है, लेकिन यहां एसएडी की सीटें घट गई हैं, जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा रही हैं। इसका नतीजे ऐसे हैं, जिसमें कांग्रेस को 40-44 सीटें, आप को 59-64 सीटें, एसएडी को 8-11 सीटें और भाजपा को 1 से 2 सीटें मिल रही हैं। Times Now-VETO की टीम के सर्वे में भी यही हाल है यानी एसएडी की सीटें घटी हैं और आप की सीटें बढ़ी हैं। इसमें सीटों की संख्या इस तरह है- कांग्रेस को 41-47 सीटें, आप को 54-58 सीटें, एसएडी को 11-15 सीटें और भाजपा को 1 से 3 सीटें जाती दिख रही हैं। India news and जन की बात के सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को साफ बहुमत मिल रहा है। कांग्रेस को 32-42 सीटें, आप को 58-65 सीटें, एसएडी को 15-18 सीटें और भाजपा को 1 से 2 सीटें मिल रही हैं। Poll of Polls ने अपने सर्वे में किसी को बहुमत नहीं दिया है। इसके नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस को 41-46 सीटें, आप को 49-53 सीटें, एसएडी को 16-20 सीटें और भाजपा को 1 से 3 सीटें मिल सकेंगी। सबसे चौंकाऊ सर्वे देशबंधु लाइव (DB LIVE) का है। इनके सर्वे में कांग्रेस पार्टी फिर सत्ता में लौट रही है। साथ ही आम आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में कायम रहेगी। इसके महापोल के नतीजे इस तरह हैं- कांग्रेस को 62-64 सीटें, आप को 34-36 सीटें, एसएडी को 12-14 सीटें और भाजपा को 2 से 4 सीटें। यानी इनके मुताबिक कांग्रेस की सरकार बनेगी।

पश्चिम बंगाल बन रहा रोहिंग्या मुसलमानों का अवैध ठिकाना

अमित राय/मणिशंकर पाण्डेय

पश्चिम बंगाल की सीमा के साथ बांग्लादेश का करीब 2 हज़ार किलोमीटर लंबा...बॉर्डर लगा हुआ है। इनमें से कई इलाके ऐसे हैं जहां सुरक्षा के इंतज़ाम कमज़ोर हैं और घुसपैठ करवाने वाले लोग इसी का फायदा उठाते हैं। घुसपैठ के बाद पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को संगठित तरीके से बसाने के इंतज़ाम भी किये जाते हैं। इन लोगों को UNHRC कार्ड यानी United Nations High Commissioner for Refugees कार्ड मिल जाता है। इस कार्ड की मदद से ये लोग शरणार्थी बन जाते हैं। आप इस कार्ड को Refugees बनने का लाइसेंस भी कह सकते हैं। कार्ड मिलने के बाद रोहिंग्या मुसलमान देश के दूसरों इलाकों में बस जाते हैं और धीरे-धीरे आपके हिस्से के संसाधनों का इस्तेमाल करने लगते हैं। भारत में करीब 40 हज़ार रोहिंग्या मुसलमान अवैध रूप से रहते हैं। ये लोग घुसपैठ करके बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते भारत में दाखिल हुए और फिर देश के कई राज्यों में फैल गए। हैरानी की बात ये है कि केन्द्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है कि रोहिंग्या मुसलमानों से देश की सुरक्षा को खतरा है। क्योंकि बहुत से आतंकवादी संगठन रोहिंग्या मुसलमानों के संपर्क में है, लेकिन इसके बावजूद इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। ज़ाहिर है हमारा सिस्टम इस मामले राजनीति और धर्म

के चश्मे से देख रहा है। जिससे वोट बैंक के खूबसूरत दृश्य नज़र आते हैं।

2016 में देश में अवैध बांग्लादेशी 2 करोड़ हैं। प.बंगाल में अवैध बांग्लादेशी 57 लाख हैं और अवैध रोहिंग्या मुस्लिम घुसपैठिए 40 हजार हैं। 1971 से 2017 के बीच 80 हजार से कम की पहचान हुई। हर साल सिर्फ 1 हजार 740 घुसपैठियों की शिनाख्त होती है। अगस्त 2017 तक 29 हजार 738 ही वापस भेजे गए MHA के मुताबिक बंगाल में 57 लाख अवैध बांग्लादेशी हैं।

जम्मू में गैरकानूनी ढंग से रह रहे रोहिंग्याओं की स्क्रीनिंग शुरू हुआ और 155 रोहिंग्या मुसलमानों को हीरानगर के होल्डिंग सेंटर भेजा गया था तो इसका सीधा असर बंगाल के विधानसभा चुनाव में पर पड़ने लगा था। बीजेपी नेता शुर्वेदु अधिकारी ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला था। टीएमसी ने चुनावी बिसात में ममता के बंगाल की बेटी होने का मुद्दा उठाया था, इस पर बीजेपी के शुर्वेदु ने ममता को बंगाल की बर्बादी का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें रोहिंग्याओं की खाला बताया था। वहीं शुर्वेदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को ममता को रोहिंग्याओं की फूफी बताया था।

शुर्वेदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला करते हुए पूछा था कि ममता बुआ हैं, दीदी हैं या रोहिंग्याओं की खाला?

वोट के लिये बदलती ममता

वर्ष 1998 में ममता बनर्जी ने घुसपैठियों का समर्थन किया था। उन्होंने मुंबई में अवैध रूप से बसे बांग्लादेशियों को निकालने का विरोध किया था। बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाले जाने को अत्याचार बताया था। वर्ष 2005 में ममता बनर्जी ने घुसपैठियों का विरोध किया था। उन्होंने लेफ्ट पर बंगाल में बांग्लादेशियों की घुसपैठ बढ़ाने का आरोप लगाया था और बांग्लादेशी घुसपैठियों को आपदा बताया, बाहर करने की मांग की थी। वर्ष 2019 में ममता बनर्जी ने फिर घुसपैठियों का समर्थन किया। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स लाने का कड़ा विरोध किया और रोहिंग्या मुस्लिमों और बांग्लादेशी घुसपैठियों का खुलकर बचाव किया।

घोषणा : प्रारूप चार : नियम आठ

1. प्रकाशन का स्थान	- भोपाल
2. प्रकाशन की अवधि	- मासिक
3. मुद्रक का नाम	- जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स, भोपाल
4. प्रकाशक का नाम	- विजया पाठक
5. क्या आप भारत के नागरिक है	- हाँ (भारतीय)
6. संपादक का नाम	- विजया पाठक, भारतीय
7. पत्र के स्वामी का नाम व पता	- विजया पाठक एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल

मै विजया पाठक यह घोषणा करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरे ज्ञान ओर विश्वास के आधार पर पूर्णतः सत्य है।

1 मार्च 2022

विजया पाठक
प्रकाशक

रूस-यूक्रेन युद्ध

परिणाम सारा विश्व भुगतेगा

अमेरिका जिसके बल पर यूक्रेन ने रूस से पंगा लेने की हिम्मत जुटाई थी आज वही अमेरिका एक जगह खड़ा होकर तमाशा देख रहा है। जबकि रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर अंदर तक घुस आया है। यूक्रेन में रूसी हमले के कई दिन हो गए हैं। अब सड़कों पर भी लड़ाई देखने को मिल रही है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रवेश किया और सड़कों पर घमासान शुरू हो गया। घमासान के बाद हुई झड़पों में सैकड़ों लोग हताहत हुए हैं। पुलों, स्कूलों और अपार्टमेंट की इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन की सरकार को उखाड़ फेंकने और इसे अपने शासन के अधीन करने को कृतसंकल्प हैं।

नवीन शर्मा

सारी दुनिया इस समय तीसरे युद्ध की आहट को लेकर परेशान है। विश्व को लग रहा है कि रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उससे आने वाले दिनों में कई अन्य देश भी शामिल हो जायेंगे। आशंका यह भी जताई जा रही है कि रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा और अपने देश में शामिल कर लेगा। ताजा हालातों से तो यहीं लग रहा है

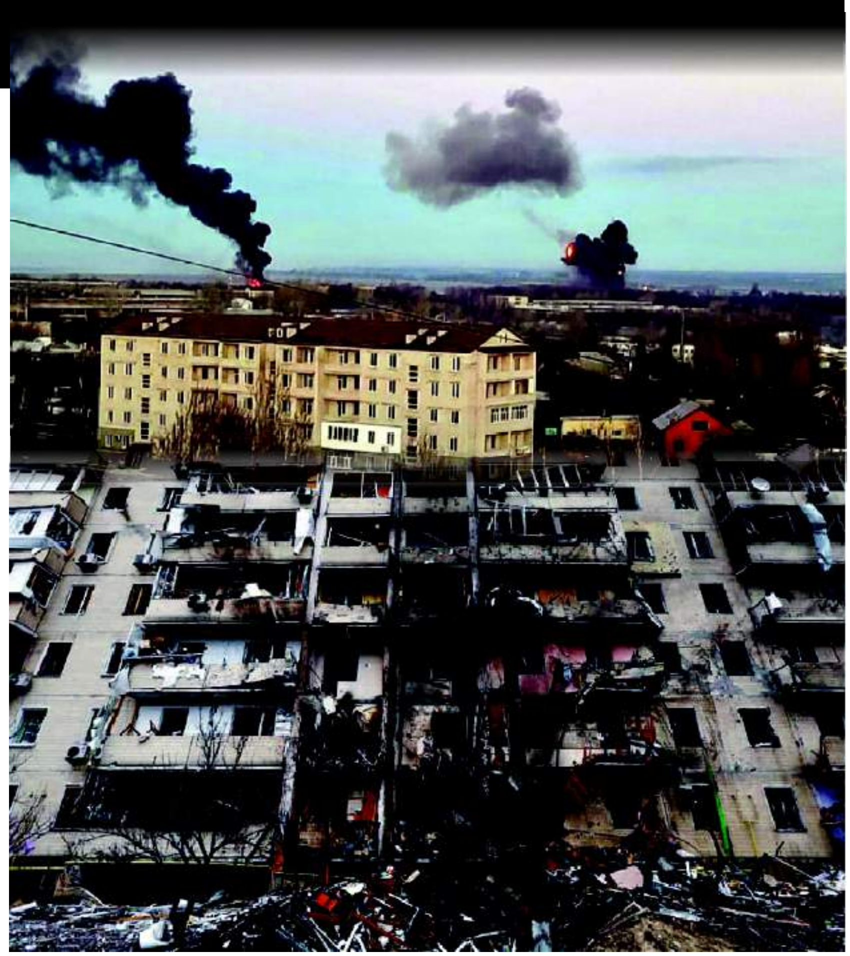

कि रूस फिलहाल पीछे हटने वाला नहीं है और वह इस लडाई को कोई अंजाम तक पहुंचाने के बाद ही दम लेगा। उधर अमेरिका जिसके बल पर यूक्रेन ने रूस से पंगा लेने की हिम्मत जुटाई थी आज वही अमेरिका एक जगह खड़ा होकर तमाशा देख रहा है। जबकि रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर अंदर तक घुस आया है। यूक्रेन में रूसी हमले के कई दिन हो गए हैं। अब सड़कों पर भी लड़ाई देखने को मिल रही है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रवेश किया और सड़कों पर घमासान शुरू हो गया। घमासान के बाद हुई झड़पों में सैकड़ों लोग हताहत हुए हैं। पुलों, स्कूलों और अपार्टमेंट की इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन की सरकार को उखाड़ फेंकने और इसे अपने शासन के अधीन करने को कृतसंकल्प हैं। रूसी आक्रमण को समाप्त करने के लिए नए अंतरराष्ट्रीय प्रयास शुरू हुए हैं, जिनमें पुतिन पर सीधे तौर पर

रूस और यूक्रेन के विवाद की क्या है असली वजह

क्यों NATO में शामिल होना चाहता है यूक्रेन?

रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। यूक्रेन की सीमाओं पर 1,25,000 रूसी सेना के जवान खड़े हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि नाटो देशों और रूसी सेना के बीच कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। विवाद यह है कि यूक्रेन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का सदस्य देश बनना चाहता है और रूस इसका विरोध कर रहा है। नाटो अमेरिका और पश्चिमी देशों के बीच एक सैन्य गठबंधन है, इसलिए रूस नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश नाटो का मित्र बने। नाटो देशों पर ठने इस पूरे विवाद ने एक नई युद्ध की संभावना को जन्म दिया है जिसमें एक से ज्यादा देश भाग ले सकते हैं। रूस ने यूक्रेन से लगी 450 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अपने 1,25,000 सैनिकों को तैनात किया

प्रतिबंध भी शामिल हैं। विस्फोटों और बंदूकों की आवाज से दहल रहे यूक्रेन का भविष्य अधर में है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदोमीर जालेंस्की ने संघर्ष विराम की अपील की है। उन्होंने अपने हताश बयान में चेतवानी दी कि देश के कई शहरों पर हमले किये जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति बन गई है और इस तनाव से पश्चिमी देशों में भारी चिंताएं हैं। पश्चिमी देशों की चिंताएं हैं कि

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति बन गई है और इस तनाव से पश्चिमी देशों में भारी चिंताएं हैं। पश्चिमी देशों की चिंताएं हैं कि अगर यह तनाव बढ़कर युद्ध की दहलीज़ तक पहुँचा तो इसकी आग पूरे यूरोप में फैल सकती है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतने ख़राब हालात देखे नहीं गए होंगे।

अगर यह तनाव बढ़कर युद्ध की दहलीज़ तक पहुँचा तो इसकी आग पूरे यूरोप में फैल सकती है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतने ख़राब हालात देखे नहीं गए होंगे। पश्चिमी देशों की ख़ुफ़िया संस्थाओं का अनुमान है कि यूक्रेन की सीमा पर टैंकों और तोपों के साथ रूस के अभी एक लाख सैनिक तैनात हैं। अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि यूक्रेन पर रूस के किसी भी हमले के गंभीर आर्थिक

है। इन जवानों को यूक्रेन की पूर्वी और उत्तर-पूर्वी सीमा पर तैनात किया गया है। रूस ने काला सागर में अपने युद्धपोत भी तैनात किए हैं जो खतरनाक मिसाइलों से लैस हैं। 2014 में रूस ने यूक्रेन में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह क्षेत्र क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और तब से संघर्ष कभी खत्म ही नहीं हुआ है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर ड्रोन भी तैनात किए हैं, जो पलक झपकते ही किसी भी सैन्य अड्डे को तबाह कर सकते हैं। रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है। रूस-यूक्रेन संघर्ष ने दुनिया को दो गुटों में बांट दिया है। एक तरफ रूस है, जिसे चीन जैसे देशों का समर्थन प्राप्त है और दूसरी तरफ यूक्रेन है, जिसे अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य नाटो देशों से समर्थन मिल रहा है।

रूस क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो देशों में शामिल हो?- नाटो एक सैन्य समूह है जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 30 देश शामिल हैं। अब रूस के सामने चुनौती यह है कि उसके कुछ पड़ोसी देश पहले ही नाटो में शामिल हो चुके हैं। इनमें एस्टोनिया और लातविया जैसे देश हैं, जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। अब अगर यूक्रेन भी नाटो का हिस्सा बन गया तो रूस हर तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा और अमेरिका जैसे देश उस पर हावी हो जाएंगे। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है और रूस भविष्य में उस पर हमला करता है तो समझौते के तहत इस समूह के सभी 30 देश इसे अपने खिलाफ हमला मानेंगे और यूक्रेन की सैन्य सहायता भी करेंगे।

रूसी क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन ने एक बार कहा था कि यूक्रेन को खोना रूस के लिए एक शरीर से अपना सिर काट देने जैसा होगा। यही वजह है कि रूस नाटो में यूक्रेन के प्रवेश का विरोध कर रहा है। यूक्रेन रूस की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। जब 1939 से 1945 तक चले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस पर हमला किया गया तो यूक्रेन एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां से रूस ने अपनी सीमा की रक्षा की थी। अब अगर यूक्रेन नाटो देशों के साथ चला गया तो रूस की राजधानी मास्को, पश्चिम से सिर्फ 640 किलोमीटर दूर होगी। फिलहाल यह दूरी करीब 1600 किलोमीटर है।

यूक्रेन नाटो में क्यों शामिल होना चाहता है?- यूक्रेन के नाटो देश में शामिल होने की वजह 100 साल पुरानी है, जब अलग देश का अस्तित्व भी नहीं था। 1917 से पहले रूस और यूक्रेन रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे। 1917 में रूसी क्रांति के बाद, यह साम्राज्य बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। हालांकि यूक्रेन मुश्किल से तीन साल तक स्वतंत्र रहा और 1920 में यह सोवियत संघ में शामिल हो गया। यूक्रेन के लोग हमेशा से खुद को स्वतंत्र देश मानते रहे। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो यूक्रेन सहित 15 नए देशों का गठन हुआ। सही मायनों में यूक्रेन को साल 1991 में आजादी मिली। हालांकि, यूक्रेन शुरू से ही समझता है कि वह रूस से कभी भी अपने दम पर मुकाबला नहीं कर सकता और इसलिए वह एक ऐसे सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता है जो उसकी आजादी को महफूज रख सके। नाटो से बेहतर संगठन कोई और नहीं है जो यूक्रेन की रक्षा कर सके। यूक्रेन के पास न तो रूस जैसी बड़ी सेना है और न ही आधुनिक हथियार। यूक्रेन में 1.1 मिलियन सैनिक हैं जबकि रूस के पास 2.9 मिलियन सैनिक हैं। यूक्रेन के पास 98 लड़ाकू विमान हैं, रूस के पास करीब 1500 लड़ाकू विमान हैं। रूस के पास यूक्रेन की तुलना में अधिक हमलावर हेलीकॉप्टर, टैंक और बख्तरबंद वाहन भी हैं।

परिणाम होंगे लेकिन फिर भी रूस एक खेल खेलने में लगा हुआ है। कई विश्लेषकों का मानना है कि रूस यह दबाव की रणनीति के तहत कर रहा है ताकि यूक्रेन को पश्चिमी देशों के सुरक्षा संगठन नाटो में जगह न मिल सके। रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बना तो नाटो के ठिकाने उसकी सीमा के नजदीक खड़े कर दिए जाएंगे। हालांकि नाटो ने रूस को भरोसा दिलाया है कि उससे उसको कोई खतरा नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद को अभी नाटो से जोड़कर देखा जा रहा है लेकिन दोनों के बीच कई मौंको पर संघर्ष हो चुका है। इनमें 2014 की जंग भी शामिल है, जब रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा।

> **कई विश्लेषकों का मानना है कि रूस यह दबाव की रणनीति के तहत कर रहा है ताकि यूक्रेन को पश्चिमी देशों के सुरक्षा संगठन नाटो में जगह न मिल सके। रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बना तो नाटो के ठिकाने उसकी सीमा के नजदीक खड़े कर दिए जाएंगे।**

कभी रूसी साम्राज्य में था यूक्रेन- यूक्रेन कभी रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ

विवाद का असली विलेन है अमेरिका!

रूस और यूक्रेन के विवाद में अमेरिका की अहम भूमिका है। अमेरिका ने अपने 3000 सैनिकों को यूक्रेन की मदद के लिए भेजा है और उनकी तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि वे यूक्रेन की मदद के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सच्चाई यह है कि मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूक्रेन का इस्तेमाल सिर्फ अपनी छवि मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। पिछले साल अमेरिका को अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी थी। इसके अलावा ईरान में अमेरिका कुछ हासिल नहीं कर पाया और तमाम प्रतिबंधों के बावजूद उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण भी कर रहा है। इन घटनाओं ने अमेरिका की सुपर पॉवर इमेज को नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि जो बाइडेन यूक्रेन-रूस विवाद के साथ इसकी भरपाई करना चाहते हैं। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने भी यूक्रेन का समर्थन किया है। इन देशों का समर्थन कब तक चलेगा यह एक बड़ा सवाल है क्योंकि यूरोपीय देश अपनी गैस की एक तिहाई जरूरत के लिए रूस पर निर्भर हैं। अब अगर रूस इस गैस की आपूर्ति बंद कर देता है तो इन देशों में भयानक पॉवर क्राइसिस होगा।

अमेरिका की हो रही खूब बेइज्जती- यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर अमेरिका चौतरफा आलोचना का सामना कर रहा है। आम लोगों के बीच धारणा बन रही है कि अमेरिका मुश्किल वक्त में अपने दोस्त देशों का साथ छोड़ रहा है। पिछले साल अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी के बाद तालिबान के कब्जे ने अमेरिका के सुपरपावर होने की नींव हिला दी थी। अब रही-सही कसर को रूस के हमले ने खत्म कर दिया है। अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि वह यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए अपनी फौज नहीं भेजेगा। बावजूद इसके अमेरिका ने रूस के ऊपर कई तरह के आर्थिक और सैन्य प्रतिबंधों का ऐलान किया है। अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद भी दी है, लेकिन ये सभी रूसी आक्रमण के आगे नाकाफी साबित हो रहे हैं।

करता था और 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन को स्वतंत्रता मिली और तभी से यूक्रेन रूस की छत्रछाया से निकलने की कोशिशें करने लगा। इसके लिए यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से नज़दीकियां बढ़ाईं। उसने ऐसा फ़ैसला तब लिया, जब उसके उत्तर और पूर्वी हिस्से की एक लंबी सीमा रूस से लगती है। साल 2010 में विक्टर यानूकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने

यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर अमेरिका चौतरफा आलोचना का सामना कर रहा है। आम लोगों के बीच धारणा बन रही है कि अमेरिका मुश्किल वक्त में अपने दोस्त देशों का साथ छोड़ रहा है।

और उन्होंने रूस से बेहद करीबी संबंध बनाए। इन संबंधों की बुनियाद पर उन्होंने यूरोपीय संघ में शामिल होने के समझौते को ख़ारिज कर दिया। इसकी प्रतिक्रिया ये हुई कि भारी विरोध प्रदर्शन के कारण साल 2014 में उन्हें अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा। इसके बाद रूस ने यूक्रेन के ख़िलाफ़ आक्रामकता दिखाई और कथित तौर पर वहाँ के अलगाववादियों की मदद की

किसके साथ खड़ा है भारत?

रूस-यूक्रेन के विवाद में भारत की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। रूस और अमेरिका दोनों भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत अभी भी अपने 55 फीसदी हथियार रूस से खरीदता है जबकि अमेरिका के साथ भारत के संबंध पिछले 10 वर्षो में काफी मजबूत हुए हैं। जिस देश में यूक्रेन ने सबसे पहले फरवरी 1993 में एशिया में अपना दूतावास खोला वह भारत था। तब से भारत और यूक्रेन के बीच व्यापारिक, रणनीतिक और राजनयिक संबंध मजबूत हुए हैं। यानी भारत इनमें से किसी भी देश को परेशान करने का जोखिम नहीं उठा सकता। रूस ने अब तक भारत-चीन सीमा विवाद पर तटस्थ रुख अपनाया है। अगर भारत यूक्रेन का समर्थन करता है तो वह कूटनीतिक रूप से रूस को चीन के पक्ष में ले जाएगा। शायद यही कारण है कि हाल ही में जब अमेरिका सहित 10 देश संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन पर एक प्रस्ताव लेकर आए भारत ने किसी के पक्ष में मतदान नहीं किया। भारत के लिए चिंता की बात यह भी है कि इस समय यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय फंसे हुए हैं जिनमें से 18 हजार मेडिकल के छात्र हैं। यूक्रेन और रूस के रिश्ते को समझना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन के लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन पूर्वी यूक्रेन के लोगों की मांग है कि यूक्रेन को रूस के प्रति वफादार रहना चाहिए। यूक्रेन की राजनीति में नेता दो गुटों में बंटे हुए हैं। एक दल खुले तौर पर रूस का समर्थन करता है और दूसरा दल पश्चिमी देशों का समर्थन करता है। यही वजह है कि आज यूक्रेन दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच फंसा हुआ है।

जिसके परिणामस्वरूप उसने यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। रूस पर आरोप लगते हैं कि वो यूक्रेन के अलगाववादियों को पैसे और हथियारों से मदद कर रहा है। रूस इन आरोपों को ख़ारिज करता है। हालांकि वो खुलकर अलगाववादियों का समर्थन करता है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में मौजूद डोनबास को औद्योगिक शहर माना जाता है। वहां पर 2014 में हुई लड़ाई के दौरान 14,000 से अधिक लोग मारे गए थे। यूक्रेन और पश्चिमी देशों के आरोप हैं कि रूस अपने सैनिकों से भी विद्रोहियों की मदद कर रहा है। हालांकि रूस कहता है कि विद्रोहियों का साथ देने वाले रूसी स्वयंसेवक हैं। 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने एक शांति समझौते की मध्यस्थता की, जिससे जंग रुक सकी लेकिन इससे कोई राजनीतिक समाधान नहीं निकला। इस साल संघर्ष विराम उल्लंघन में तब तेज़ी दिखी जब यूक्रेनी सीमा के नज़दीक रूसी सैनिकों ने युद्धाभ्यास शुरू किया लेकिन अप्रैल में रूस के इसे रोकने के बाद तनाव थोड़ा कम हुआ।

रूस-यूक्रेन युद्ध में चीन की भूमिका संदिग्ध

रूस-यूक्रेन युद्ध में चीन के रुख की खूब चर्चा हो रही है। चीन ने खुलकर रूस का समर्थन किया है। लेकिन उसके यूक्रेन के साथ भी मजबूत राजनयिक और व्यापारिक संबंध हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने तो रूस के खिलाफ लगे प्रतिबंधों को लेकर अमेरिका को जमकर खरी-खोटी सुनाई है। चीन का दावा है कि अमेरिका पूर्वी यूरोप में जारी तनाव की आड़ में भय और दहशत का माहौल बना रहा है। बड़ी बात यह भी है कि यूक्रेन से जारी तनाव के बीच फरवरी में ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। जिसके बाद चीन ने यूक्रेन संकट को लेकर रूस का खुला समर्थन किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि यूक्रेन रूस विवाद में चीन का क्या महत्व है। दूसरी ओर अमेरिका के कूटनीतिक तौर पर असफल होने की खूब चर्चा हो रही है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे और यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर लोगों के बीच अमेरिका के सुपरपावर होने का दंभ खत्म होता नजर आ रहा है।

चीन के यूक्रेन से सैन्य और व्यापारिक संबंध- बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि चीन का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग को यूक्रेन से ही खरीदा था। चीन अपने युद्धपोतों के लिए गैस टरबाइन इंजन और विमानों के लिए जेट इंजन का आयात भी यूक्रेन से करता है। रूस और यूक्रेन दोनों देशों के लिए चीन कच्चे माल का सबसे बड़ा स्रोत भी है। चीन और यूक्रेन बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव के जरिए रेलवे और पोर्ट के डेवलपमेंट से जुड़े कई प्रॉजेक्ट पर एक साथ काम कर रहे

ताज़ा तनाव की वजह?- रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने 2015 के शांति सौदे का सम्मान नहीं किया है और पश्चिमी देश यूक्रेन को इसका पालन कराने में नाकाम रहे हैं। इस सौदे के तहत रूस को एक कूटनीतिक जीत मिली थी और उसने यूक्रेन को विद्रोहियों के गढ़ों को स्वायत्तता देने और उन्हें आम माफ़ी देने के लिए बाध्य

रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने 2015 के शांति सौदे का सम्मान नहीं किया है और पश्चिमी देश यूक्रेन को इसका पालन कराने में नाकाम रहे हैं। इस सौदे के तहत रूस को एक कूटनीतिक जीत मिली थी

किया था। हालांकि इस सौदे पर अमल नहीं हो पाया। इस पर अमल न होने के लिए यूक्रेन रूस को ज़िम्मेदार ठहराता है। उसका कहना है कि रूसी समर्थित अलगाववादियों ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और पूर्व में विद्रोहियों के गढ़ में रूसी सैनिकों की मौजूदगी है। हालांकि रूस इन दावों को ख़ारिज करता

हैं। चीन अपने सूअरों को खिलाने के लिए हर साल यूक्रेन से भारी मात्रा में मक्के की खरीदारी भी करता है। चीन के कुल मक्के के आयात का 90 फीसदी हिस्सा अकेले यूक्रेन से आता है। एक साल पहले चीन ने यूक्रेन की विमान इंजन निर्माता कंपनी मोटर सिच पर कब्जा करने के लिए चाल भी चली थी। लेकिन, अमेरिका और रूस ने चीन के इस प्लान को फेल कर दिया था। मोटर सिच दुनिया की जानी मानी विमान इंजन निर्माता कंपनी है। इस कंपनी ने रूसी एमआई हेलिकॉप्टर, एंटोनोव एयरक्राफ्ट सहित कई विमानों के लिए इंजन बनाए हैं। इस कंपनी के बने इंजनों को भारतीय वायुसेना भी अपने हेलिकॉप्टरों और एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करती है। चीन अपने जे-20 स्टील्थ फाइटर जेट को ताकतवर बनाने के लिए एक शक्तिशाली इंजन की तलाश कर रहा था। चूंकि, लड़ाकू विमानों के इंजन की तकनीकी बहुत जटिल होती है और चीन के पास ऐसा कोई इंजन नहीं है जो जे-20 को उतनी ताकत दे सके जितना ड्रैगन चाहता है। इसके लिए चीन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक साजिश रची थी।

रूस के साथ भी व्यापार बढ़ा रहा चीन- चीन और रूस के बीच भी काफी घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों देश अमेरिका को खतरे के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि चीन और रूस पिछले कुछ साल में एक दूसरे के काफी करीब आए हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों की काट खोजने के लिए दोनों देशों ने अपने व्यापार को भी काफी बढ़ाया है। पिछले साल चीन और रूस के बीच कुल 140 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था। रूस के कुल निर्यात का 70 फीसदी हिस्सा तेल-गैस और खनिज से जुड़ा हुआ है। हाल में ही पुतिन के रूस दौरे के समय बीजिंग ने मॉस्को से बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस खरीदने का समझौता भी किया है। अकेले दोनों देशों के बीच गैस का व्यापार 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है। ऐसे में कहा जा रहा है कि रूस पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण यूरोपीय देशों को गैस न बेचकर अब एशियाई देशों में नए खरीदार ढूंढ रहा है।

रहा है। इन आरोप-प्रत्यारोपों के बीच रूस ने यूक्रेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ बैठक करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि 2015 के शांति समझौते को यूक्रेन द्वारा न मानना व्यर्थ है। वहीं रूस लगातार अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी देशों पर यूक्रेन की हथियारों से मदद करने और संयुक्त सैन्य अभ्यास करने की आलोचना करता रहा है। उसका कहना है कि ये यूक्रेन के सैनिकों को बलपूर्वक विद्रोहियों के इलाक़े को दोबारा कब्जा करने के लिए प्रेरित करता है। इस साल की शुरुआत में पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा था कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर कब्जे की सैन्य कोशिशों के यूक्रेनी राष्ट्र के दर्जे के लिए गंभीर परिणाम होंगे। रूसी राष्ट्रपति

आरोप-प्रत्यारोपों के बीच रूस ने यूक्रेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ बैठक करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि 2015 के शांति समझौते को यूक्रेन द्वारा न मानना व्यर्थ है।

रूस-यूक्रेन विवाद की पूरी कहानी- 1991 से शुरू हुई आज जंग तक पहुंची

Vadim Savitskiy/Russian Defence Ministry Press Service/Handout via REUTERS (Reuters)

रूस और यूक्रेन के बीच जंग के पीछे की वजह इस बार NATO को माना जा रहा है। NATO यानी North Atlantic Treaty Organization, जिसे साल 1949 में शुरू किया गया था। यूक्रेन ग्ह्र में शामिल होना चाहता है लेकिन रूस ऐसा नहीं चाहता। रूस-यूक्रेन युद्ध अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। रूस ने अपने और यूक्रेन के बीच आने वालों को धमकी दी है तो वहीं, अमेरिका ने भी सख्त चेतावनी के साथ कहा है कि अंजाम बहुत बुरा होगा। रूस को कीमत चुकानी होगी। ब्रिटेन और दूसरे देश भी रूस के खिलाफ खड़े हैं। यह जानना जरूरी है कि आखिर इस विवाद की जड़ क्या है? सोवियत संघ के जमाने में कभी मित्र रहे ये प्रांत दो देश बनने के बाद एक दूसरे के शत्रु क्यों बन गए हैं? यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी है। 1991 तक यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ (USSR) का हिस्सा था। अलग होने के बाद भी यूक्रेन में रूस का प्रभाव काफी हद तक दिखाई देता था। यूक्रेन की सरकार भी रूसी शासन के आदेश पर ही काम करती थी। लेकिन, बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और अल्पसंख्यक रूसी भाषी लोगों के बहुसंख्यक यूक्रेनी लोगों पर शासन ने विद्रोह की चिंगारी सुलगा दी।

1991- यूक्रेन ने रूस से आजादी का ऐलान किया। रेफरेंडम से लियोनिद क्रावचुक राष्ट्रपति बने।

1994- लियोनिद कुचमा ने लियोनिद क्रावचुक को चुनाव में हराया।

लगातार रूसियों और यूक्रेनियों को एक ही लोग कहते आए हैं और वो दावा करते हैं कि सोवियत समय में यूक्रेन को ग़लत तरीक़े से ऐतिहासिक रूसी ज़मीन मिल गई थी। वहीं पुतिन की चिंता यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को लेकर भी है। वो चेता चुके हैं कि नाटो उनके लिए एक सीमा रेखा की तरह है। उन्होंने कहा है कि नेटो सदस्यों की यूक्रेन में सैन्य ट्रेनिंग सेंटर बनाने की योजना है जो यूक्रेन को नाटो में बिना शामिल हुए उसके ख़िलाफ़ सैन्य मज़बूती देगी। बीते सप्ताह पुतिन ने ज़ोर देते हुए कहा था कि रूस को अमेरिका और उसके सहयोगियों से विश्वसनीय और दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी चाहिए कि वे पूर्व की ओर नाटो के

1999- कुचमा एक बार फिर से राष्ट्रपति चुने गए. चुनाव में अनियमितता के आरोप लगे।
2004- रूस के पक्षधर विक्टर यानूकोविच राष्ट्रपति बने, चुनाव में धांधली का आरोप लगा, प्रदर्शन हुए, ऑरेंज रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, पश्चिम के पक्षधर विक्टर यूस्चेन्को को राष्ट्रपति चुना गया।
2005- यूस्चेन्को ने रूस का दबदबा कम करने का संकल्प लिया, यूक्रेन को नाटो और EU में शामिल करने की बात कही।
2008- नाटो का यूक्रेन से वादा, आप हमारे गठबंधन का हिस्सा होंगे।
2010- यानूकोविच ने राष्ट्रपति चुनाव में यूलिया टिमशेंको को हराया।
2013- यानूकोविच ने US के साथ ट्रेड वार्ता को सस्पेंड किया, रूस के साथ ट्रेड समझौते किए, कीव में बड़ा प्रदर्शन शुरू हुआ।
2014- 14 हजार से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत, संसद ने यानूकोविच को हटाने के लिए वोट किया, यानूकोविच यूक्रेन छोड़ रूस भाग गए, लड़ाकों ने यूक्रेन के क्रीमिया में संसद पर रूसी झंडा फहराया, 16 मार्च को रूस ने इसे रेफरेंडम से रूस में शामिल किया।
2017- यूक्रेन और EU के बीच फ्री मार्केट ट्रेड की डील हुई।
2019- यूक्रेन के ऑर्थोडॉक्स चर्च को आधिकारिक मान्यता मिली, आधिकारिक मान्यता मिलने पर रूस इससे नाराज हुआ।
जून 2020- IMF ने 5 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता यूक्रेन को दी।
जनवरी 2021- यूक्रेन ने अमेरिका से नाटो में शामिल होने की अपील की।
अक्टूबर 2021- यूक्रेन ने Bayraktar TB-2 ड्रोन का इस्तेमाल किया, ड्रोन के इस्तेमाल से रूस नाराज हुआ।
नवंबर 2021- रूस ने यूक्रेन की सीमा पर सेनाओं की तैनाती बढ़ाई।
7 दिसंबर 2021- रूसी सैनिकों की संख्या बढ़ाने पर बाइडेन की रूस को चेतावनी, रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो आर्थिक पाबंदियां लगेंगी-US
10 जनवरी 2022- यूक्रेन-रूस तनाव के बीच US और रूस के राजनयिकों की वार्ता विफल।
14 जनवरी 2022- यूक्रेन पर साइबर हमले की चेतावनी।
17 जनवरी 2022- रूस की सेना बेलारूस पहुंचनी शुरू हुई।
24 जनवरी 2022- नाटो ने सेना को स्टैंडबाई पर रखा।
28 जनवरी 2022- पुतिन ने कहा- रूस की मुख्य मांग सुरक्षा थी जो स्वीकार नहीं की गई।
2 फरवरी 2022- US ने कहा- 3000 अतिरिक्त सैनिकों को पोलैंड, रोमानिया भेजेगा।
4 फरवरी 2022- पुतिन को चीन का समर्थन मिला, यूक्रेन को नाटो का हिस्सा नहीं होना चाहिए: चीन
7 फरवरी 2022- पुतिन से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, मैक्रों बोले- पुतिन मान गए, रूस बोला- डील नहीं हुई।
9 फरवरी 2022- जो बाइडेन ने कहा- यूक्रेन पर रूस कभी भी हमला कर सकता है, अमेरिका ने अमेरिकी लोगों से देश छोड़ने की बात कही।
15 फरवरी 2022- रूस ने कहा- उसकी कुछ सेना वापस लौट रही है।
18 फरवरी 2022- US राजदूत ने कहा- रूस ने यूक्रेन सीमा पर सैनिक बढ़ाए।
19 फरवरी 2022- रूस की सेना ने परमाणु हथियारों का अभ्यास किया।
21 फरवरी 2022- रूस ने यूक्रेन के दो हिस्सों- लोहान्स्क-दोनेत्स्क को मान्यता दी।
24 फरवरी 2022- रूस ने यूक्रेन पर सैन्य ऑपरेशन का ऐलान किया और जंग शुरू हो गई।

किसी भी कदम से वो ख़ुद को दूर रखेंगे और रूसी क्षेत्र के नज़दीक उसके लिए ख़तरा पैदा करने वाले हथियारों की तैनाती से भी दूर रहेंगे। पुतिन ने यहाँ तक भी कह दिया है कि उसे इस पर कोई ज़ुबानी भरोसा नहीं बल्कि कानूनी गारंटी चाहिए। बीते सप्ताह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के बीच इसी मुद्दे पर एक वर्चुअल बैठक हुई थी। पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोफ़ ने बताया है कि अपनी मांगों के बारे में पुतिन ने बाइडन को इसी बैठक में सूचित कर दिया था। हालांकि कई विश्लेषकों का मानना है कि रूस की मांग को बाइडन ने कोई तवज्जो नहीं दी है। बाइडन ने कह दिया था वो किसी की भी सीमा रेखा को स्वीकार नहीं करने वाले हैं।

अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिये कृत-संकल्पित है सरकार

नीरज शर्मा

राज्य सरकार अनुसूचित जातियों के कल्याण और उनके सर्वांगीण विकास के लिये कृत संकल्पित है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के मान से प्रदेश के कुल बजट में 16 प्रतिशत का प्रावधान कर इन वर्गो के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान के लिये अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित हैं।

मध्यप्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा-दीक्षा के लिये कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी है। चाहे छात्रवृत्ति हो या मैस का बेहतरीन इंतजाम अथवा विदेश में पढ़ाई की बात हो, सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये खुले हाथ खर्च किया जा रहा है।

अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिये सरकार ने खोला खजाना

अनुसूचित जाति वर्ग के 4 लाख 48 हजार विद्यार्थियों को 480 करोड़ रूपये की पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है। इसी प्रकार राज्य छात्रवृत्ति के रूप में 16 लाख 37 हजार विद्यार्थियों को 154 करोड़ रूपये की राज्य छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है। इसके अलावा 80 हजार विद्यार्थियों को 115 करोड़ रूपये की आवास सहायता का वितरण किया गया। यही नहीं 50 विद्यार्थियों के लिये विदेश अध्ययन की सुविधा के लिये प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष 50 हजार यूएस डॉलर की छात्रवृत्ति की पात्रता है। उल्लेखनीय है कि कुल 1750 सीट क्षमता के 10 कन्या छात्रावास भवन स्वीकृत किये गये हैं। इसके लिये 83 करोड़ 55 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। अनुसूचित जाति के 93 हजार 752 विद्यार्थियों के लिये आवासीय सुविधा के लिये 1913 छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा के लिये 640 सीटर 10 ज्ञानोदय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। कुल 1933 छात्रावासों में मैस संचालन के लिये शिष्यवृत्ति की राशि 106 करोड़ 20 लाख

रुपये का प्रावधान है।

अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों के लिये भी बड़ी राशि से विभिन्न कार्य पूर्ण अथवा प्रगतिरत हैं। अनुसूचित जाति बस्तियों के विकास के लिये 30 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति के युवाओं के स्व-रोजगार एवं प्रशिक्षण के लिये भी प्रावधान किये गये हैं।

रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण

अनुसूचित जाति के 8 हजार युवाओं को रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये 32 करोड़ 41 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। कृषि एवं सहयोगी व्यवसायों के अतिरिक्त आय-सृजन के लिये 52 हजार 855 युवाओं को 52 करोड़ 85 लाख का प्रावधान किया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की पूर्व तैयारी के लिये 7 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है।

आदर्श ग्राम योजना में अग्रणी मध्यप्रदेश

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश के सभी राज्यों में अग्रणी है। अप्रैल 2022 तक 500 चयनित ग्राम आदर्श घोषित कर दिये जायेंगे। योजना में चयनित प्रदेश के 1 हजार 74 ग्रामों की ग्राम विकास योजनाएँ तैयार की जा चुकी हैं।

इन ग्रामों में अधोसंरचना विकास एवं सामाजिक-आर्थिक कल्याण गतिविधियों से नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के कार्य प्रगति पर हैं। देश में योजना में पूर्ण 4 हजार 110 कार्यो में से सर्वाधिक 1 हजार 16 कार्य मध्यप्रदेश में पूर्ण किये गये हैं। देश में प्रगतिरत 7 हजार 776 कार्यो में सर्वाधिक एक हजार 772 कार्य प्रदेश के हैं। आदर्श ग्रामों में हितग्राहियों को अन्य विभागों की योजनाओं का लाभ दिलाने में भी प्रदेश अग्रणी है। लाभान्वित 5 लाख 29 हजार हितग्राहियों में 2 लाख 93 हजार से ज्यादा हितग्राही मध्यप्रदेश के हैं।

अनुसूचित जाति के महापुरूषों की स्मृति में पुरस्कार

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के महापुरूषों की स्मृति में प्रमुख रूप से 5 पुरस्कार स्थापित किये गये हैं, जो इस प्रकार ; संत रविदास स्मृति पुरस्कार, संत रविदास कर्मठ पुरस्कार तथा संत रविदास सामाजिक समरसता पुरस्कार, महर्षि वाल्मीकि स्मृति पुरस्कार, डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर स्मृति सम्मान पुरस्कार, संत कबीर पुरस्कार और श्री विष्णु कुमार अनुसूचित जाति सेवा सम्मान पुरस्कार।

जैविक खेती में देश में अग्रणी है मध्यप्रदेश

सुरेश गुप्ता

देश के अन्य प्रदेश आज जब जैविक खेती की दिशा में कार्य शुरू कर रहे हैं तो मध्यप्रदेश की तारीफ करनी होगी जहाँ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह ने वर्ष 2011 में ही जैविक कृषि नीति तैयार कर उस पर अमल शुरू कर दिया था। इसी का परिणाम है कि मध्यप्रदेश को न केवल जैविक कृषि लागू करने वाला देश के पहले प्रदेश बल्कि देश में सर्वाधिक प्रमाणित जैविक कृषि क्षेत्र वाले प्रदेश होने का गौरव भी हासिल है।

कृषि के क्षेत्र में मध्यप्रदेश की अपनी विशेषताएँ हैं और यह पिछले डेढ़ दशक में प्रमाणित भी हुआ है। इस अरसे में प्रदेश की कृषि विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। खेती-किसानी नुकसान के जाल से बाहर निकली। अन्नदाताओं को उनकी मेहनत का फल वाजिब दामों के रूप में मिला। प्राकृतिक आपदाओं और मानसून की बेरूखी से होने वाले नुकसान के समय में सरकार के किसानों के साथ खड़े होने से प्रदेश का कृषि परिदृश्य लगातार बेहतर हुआ।

आर्गेनिक वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 के आधार पर वर्ष 2019 में विश्व का 72.3 मिलियन हेक्टयर क्षेत्र जैविक खेती हेतु उपयोग में लिया गया है। इसमें एशिया का 5.1 मिलियन हेक्टयर क्षेत्र भी शामिल है। भारत में भी पिछले कुछ वर्षो में जैर्विक खेती में वृद्धि हुई है जिसमें मध्यप्रदेश जैसे राज्यों का विशेष योगदान है। इसका मुख्य कारण अधिक रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों से होने वाला दुष्प्रभाव हैं, जिसने सरकार को इस दिशा में विचार करने के लिए प्रेरित किया।

जैविक खेती के अंतर्गत मुख्यतः खाद्यान्न फसलें, दलहन, तिलहन, सब्जियाँ तथा बागान वाली वाली फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। इन सब फसलों में जैविक खेती का बढ़ता प्रचलन मुख्यतः उपभोक्ता की माँग पर आधारित है। उपभोक्ता की माँग मुख्यतः खाद्य उत्पाद की

गुणवत्ता पर निर्भर करती है। पारम्परिक खेती में बढ़ते रसायनों का उपयोग तथा उनके कुप्रभाव, दूरगामी स्तर पर उपभोक्ता में अविश्वास का कारण बन रहे हैं।

जैविक खेती से उत्पन्न खाद्य उत्पादों की विदेशों में बढ़ती माँग भी इसके महत्त्व को प्रदर्शित करती है। मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, न्यूजीलैंड, स्विटज़रलैंड, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात तथा वियतनाम जैसे देशों में निर्यात की संभावनाएँ बनी हैं। मुख्यमंत्री ने कृषि निर्यात पर विशेष ध्यान देने के लिये कहा है। इस दृष्टि से मध्यप्रदेश के लिये भी भविष्य में जैविक उत्पाद के निर्यात की नई संभावनाएँ बनेंगी।

जैविक खेती

प्रदेश में जैविक खेती का कुल क्षेत्र लगभग 16 लाख 37 हजार हेक्टेयर है, जो देश में सर्वाधिक है। जैविक उत्पाद का उत्पादन 14 लाख 2 हजार मी.टन रहा, जो क्षेत्रफल की भाँति ही देश में सर्वाधिक है। जैविक खेती को प्रोत्साहन स्वरूप प्रदेश में कुल 17 लाख 31 हजार क्षेत्र हेक्टेयर जैविक प्रमाणिक है, जिसमें से 16 लाख 38 हजार एपीडा से और 93 हजार हेक्टेयर क्षेत्र, पी.जी.एस. से पंजीकृत है। इस तरह पंजीकृत जैविक क्षेत्र के मामले में भी मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है।

प्रदेश ने पिछले वित्त वर्ष में 2 हजार 683 करोड़ रुपये के मूल्य के 5 लाख मी.टन से अधिक के जैविक उत्पाद निर्यात किये हैं। प्रदेश का जैविक उत्पाद निर्यात लगातार तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2020-21 में प्रदेश में 5 लाख 41 हेक्टेयर में जैविक फसलों की बोनी की गई। अब भारत सरकार की सहायता से प्रदेश में प्राकृतिक कृषि पद्धति के अंतर्गत क्लस्टर आधारित कार्यक्रम लिया गया है। इस वर्ष प्रदेश में 99 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य है। प्रदेश जैविक खेती की

अपार संभावनाओं से पूरित है। यहाँ सभी धान्य फसल, सब्जियाँ, फल, मसाले, सुगंधित एवं औषधीय फसलें न्यूनतम रासायनिक इनपुट के उपयोग से ली जाती हैं। प्रदेश के पास प्राकृतिक चारागाहों, प्राकृतिक उपवनों, सुदूर जनजातीय जिलों में अप्रदूषित कृषि भूमि का बड़ा क्षेत्र और नर्मदा घाटी के उपजाऊ क्षेत्र उपलब्ध है। साथ ही प्रदेश के प्राकृतिक एवं घने वनों में प्रचुर मात्रा में पलाश, रोहिणी, इत्यादि के पुष्प भी उपलब्ध है।

प्रदेश में कई जिले, ग्राम, विकासखण्ड और ग्राम पंचायत क्षेत्र ऐसे हैं, जो राज्य औसत से कम से कम 50 से 60 प्रतिशत कम बाह्य आदान जैसे रासायनिक उर्वरक, कृषि रसायन आदि का उपयोग कर रहे हैं। इस दृष्टि से अधिकांश जनजातीय जिले जैसे मंडला, डिंडौरी, बैतूल, झाबुआ, अलीराजपुर आदि जैविक कृषि विकास के अनुकूल है।

गौ-वंश आधारित ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था प्रदेश में प्राकृतिक/जैविक खेती के विस्तार को मिशन मोड में गति देने में मददगार प्रमाणित होने वाली है।

जैविक खेती में प्रदेश को देश में अग्रणी बनाने में परम्परागत कृषि विकास योजना का भी योगदान रहा है। योजना में भारत सरकार द्वारा अभी तक 3,728 क्लस्टर अनुमोदित किये गये हैं। इन क्लस्टरों में करीब एक लाख 16 हजार कृषक शामिल

है, जो सभी पीजीएस पोर्टल पर पंजीकृत है। पंजीकृत कृषकों के जैविक उत्पादों की स्थानीय स्तर पर तथा जैविक केन्द्र, मंडला और जबलपुर के माध्यम से मार्केटिंग में मदद की जा रही है।

प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2008 से अब तक के अरसे में राष्ट्रीय विकास योजना में भी 20 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। प्रमुख रूप से नाडेप एवं बर्मी कम्पोस्ट पिट निर्माण, जैव उर्वरक एवं पोषक तत्व वितरण, जैविक खेती जागरूकता अभियान, नर्मदा नदी के किनारों के सभी जिलों के सभी विकासखण्डों में जैविक खेती कार्यक्रम, जैविक प्रक्षेत्रों की स्थापना, हरी खाद के लिए सहायता, जैव उर्वरकों की निर्माण इकाइयों की स्थापना, नर्मदा किनारे के गाँवों में बायोगैस प्लांट का निर्माण और जैव उर्वरकों के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं के निर्माण की इन परियोजनाओं से जैविक खेती को प्रदेश में गति मिली है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर प्राकृतिक और जैविक कृषि की विस्तृत कार्य-योजना तैयार की जा रही है। नर्मदा के किनारे के सिंचित परन्तु अधिक रसायन के उपयोग वाले कृषि क्षेत्रों को चिन्हित कर प्रांरभिक तौर पर किसानों के कुल रकबे में से कुछ क्षेत्र में जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने पर काम किया जायेगा। राज्य जैविक खेती विकास परिषद का पंजीयन भी किया गया है। प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में जैविक/प्राकृतिक खेती को शामिल करने की योजना है। दोनों कृषि विश्वविद्यालय में कम से कम 25 हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती प्रदर्शन क्षेत्र में बदला जायेगा।

कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निर्मित पाठ्यक्रम को प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों- गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर और राजमाता विजयाराजे कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारी है। स्नातक उपाधि के चतुर्थ वर्ष के प्रथम सत्र में ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव कार्यक्रम में एक तिहायी विद्यार्थियों को विशेष रूप से प्राकृतिक कृषि में प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रदेश के दोनों कृषि विश्वविद्यालयों के कृषि फार्म में कम से कम 25 हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक कृषि प्रदर्शन क्षेत्र में बदला जायेगा। पाठ्यक्रम में सस्य विज्ञान, मृदाविज्ञान, पौध संरक्षण, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, पशुपालन, वाटरशेड प्रबंधन तथा विस्तार शिक्षा आधारित विषयों में प्राकृतिक कृषि अध्याय का समावेश किया गया है।

38 को फांसी
आजाद भारत की सबसे बड़ी सजा

प्रमोद भार्गव

14 साल पहले सिलसिलेबार बम धमाकों से गुजरात के अहमदाबाद को दहला देने वाले 38 आतंकवादियों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा विशेष अदालत ने दी है। इसी मामले में 11 अन्य दोषियों को आखिरी सांस तक उम्रकैद की सजा सुनाई गई हैं। इन देशद्रोही क्रूर आतंकियों ने 26 जुलाई 2008 को समूचे अहमदाबाद को आतंक की चपेट में लेते हुए 56 लोगों की जान ले ली थी और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। इनमें से कई स्थाई विकलांगता और मानसिक रोग का शिकार हो गए हैं। इसके पहले इतनी बड़ी मौत की सजा 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में शामिल 26 दोषियों को तमिलनाडू की टाडा अदालत ने सुनाई थी। ये आतंकी मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर-प्रदेश और कर्नाटक के रहने वाले हैं। अतएव इनका जाल लगभग पूरे देश में फैला हुआ था। इस कठोर फैसले से जहां न्याय के प्रति विश्वास पैदा होता है, वहीं इसमें 14 साल का लंबा समय लगा, इससे यह भी पता चलता है कि न्याय की गति 21वीं सदी के कंप्युटर युग में भी कछुआ चाल से चल रही है। अभी भी यह कहना मुश्किल है कि इन्हें जल्द फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा ? इस मामले की अपील ऊपर की अदालतों में की जाएगी। यदि आतंक व देशद्रोह से जुड़ा मामला होने के कारण निपटारा जल्द भी होता है तो राश्ट्रपति के यहां लगाई जाने वाली दया याचिकाएं, इनके जिंदा रहने की मियांद बढ़ाएं रखेंगी। हालांकि कुछ समय से धन लेकर मानवाधिकारों के हनन की वकालात करने वाले कथित समाजसेवियों की संख्या में कमी आई हैं। फिर भी मृत्युदंड को टालने के प्रावधानों पर वैधानिक अंकुश लगाने की जरूरत है।

भारत में मृत्युदंड लगातार बहस का मुद्दा बना रहा है। बाटला हाउस हालांकि शीर्ष न्यायालय का फैसला जो भी हो,भारतीय दंड संहिता में जब तक मौत की सजा का प्रावधान है,तब तक जघन्य अपराधों में अदालत मौत की सजा देती रहेगी। इस सजा को खत्म करने का अधिकार संसद को है। और संसद एकमत से हत्या की धारा 302 और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की धारा 121 को विलोपित करने का विधेयक पारित करा ले,ऐसा निकट भविष्य में संभव भी नहीं है। संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरू और मुंबई हमले के एकमात्र जिंदा बचे पाकिस्तानी हमलावर अजमल आमिर कसाब आदि को मृत्युदंड के बाद फांसी के फंदे पर लटकाया भी गया है। ये दोनों ही मामले दुर्लभतम होने के साथ देश की संप्रभुता को चुनौती देने की राष्ट्रविरोधी मुहिम से जुड़े थे। यहां यह भी गौरतलब है कि खालिस्तान सर्मथक आतंकी देविदंर पाल सिंह भुल्लर का अपराध भी अफजल और कसाब की प्रकृति का है,इसलिए भुल्लर के अपराध को इस फैसले के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाना चाहिए? हालांकि भुल्लर मामले में 12 अप्रैल 2013 को अदालत ने कहा भी था कि दया याचिका पर फैसले में देरी फांसी की सजा माफ करने का आधार नहीं बन सकती है। इसी तरह बाटला हाउस में षामिल रहें आजमगढ़ के हत्यारे आतंकियों और लश्करे-ए-तैयाबा की आतंकी इशरत जहां को निर्दोश बताने की देशव्यापी मुहिम कथित समाजिक कार्यकर्ता व कुछ प्रमुख नेताओं ने छेड़ी हुई थी। ऐसे देशद्रोही अपराधियों के पक्ष में जनमत बनाने का अभियान विदेशों से आर्थिक मदद हासिल करने वाले स्वयंसेवी संगठन शामिल रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रहमंत्री अमित शाह की आतंक पर लगाम लगाने की दृढ़ता के चलते इन एनजीओ की अब आवाजों पर ताले पड़े हुए हैं।

दरअसल देशद्रोह और जघन्य से

जघन्यतम अपराधों में त्वरित न्याय की तो जरूरत तो है ही, दया याचिका पर जल्द से जल्द निर्णय लेने की जरूरत भी है। शीर्ष न्यायालय ने यह तो कहा है कि दया याचिका पर तुरंत फैसला हो,लेकिन राष्ट्रपति के लिए क्या समय सीमा होनी चाहिए, यह सुनिश्चित नहीं है। क्योंकि अकसर राष्ट्रपति दया याचिकाओं पर निर्णय को या तो टालते हैं, या फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलते हैं। हालांकि महामहिम प्रणब मुखर्जी इस दृष्टि से अपवाद रहे हैं। उन्होंने ही अफजल गुरू और अजमल कसाब की दया याचिकाएं खारिज फांसी के फंदे पर लटकाने का रास्ता साफ किया था। जबकि पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने या तो दया याचिकाएं टालीं या मौत की सजा को उम्र कैद में बदला। यहां तक कि उन्होंने महिला होने के बावजूद बलात्कार जैसे दुश्कर्म में फांसी पाए पांच आरोपीयों की सजा आजीवन कारावास में बदली थी।

दरअसल दया याचिका के चलते विलंब होता है तो मौत की प्रतीक्षा कर रहे कैदी मानसिक रोगी हो सकते हैं ? इस आधार पर मानसिक रूप से विक्षिप्त कैदी को फांसी की सजा देना उचित नहीं माना जाता। वास्तव में दया याचिकाओं पर अंतिम निर्णय में होने वाली देरी के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल जिम्मेदार होते हैं। लेकिन ये दोनों ही पद संवैधानिक हैं, इसलिए अदालतें इन पर टिप्पणी करने में संवैधानिक मर्यादा का पालन करती हैं। संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों को दया याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार मिला हुआ है। चूंकि ये देश और राज्यों के सर्वोच्च पद हैं, इसलिए संविधान निर्माताओं ने दया याचिका पर निर्णय को समय की सीमा में नहीं बांधा। हालांकि दया-याचिका पर कानूनी प्रक्रिया संवैधानिक व्यवस्था की बाध्यता के चलते महज कागजी खानापूर्ति भर है, लिहाजा इन सर्वोच्च पदाधिकारियों को भी अपनी जवाबदेही महसूस करने की जरुरत है, जिससे भविष्य में दया-याचिकाओं पर

अनावश्यक विलंब न हो?

हालांकि किसी भी देश के उदारवादी लोकतंत्र में न्याय व्यवस्था आंख के बदले आंख या हाथ के बदले हाथ जैसी प्रतिशोघात्मक मानसिकता से नहीं चलाई जा सकती? लेकिन जिस देशों में मृत्युदंड का प्रावधान है,वहां यह मुद्दा हमेशा ही विवादित रहता है कि आखिर मृत्युदंड सुनने का तार्किक आधार क्या हो? इसीलिए भारतीय न्याय व्यव्स्था में लचीला रुख अपनाते हुए गंभीर अपराधों में उम्र कैद एक नियम और मृत्युदंड अपवाद है। इसीलिए देश की शीर्षस्थ अदालतें इस सिद्धांत को महत्व देती हैं, कि अपराध की स्थिति किस मानसिक परिस्थिति में उत्पन्न हुई? अपराधी की समाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक स्थितियों व मजबूरियों का भी ख्याल रखा जाता है। क्योंकि एक सामान्य नागरिक सामाजिक संबंधों की जिम्मेदारियों से भी जुड़ा होता है। ऐसे में जब वह अपनी बहन, बेटी या पत्नि को बलात्कार जैसे दुष्कर्म का षिकार होते देखता है तो आवेश में आकर हत्या तक कर डालता है। भूख, गरीबी और कर्ज की असहाय पीड़ा भोग रहे व्यक्ति भी अपने परिजनों को इस जलालत की जिदंगी से मुक्ति का उपाय हत्या में तलाशने को विवश हो जाते हैं। जाहिर है, ऐसे मजबूरों को मौत की सजा के बजाय सुधार और पुनर्वास के अवसर मिलने चाहिए? क्योंकि जटिल होते जा रहे समय में दंड के प्रावधानों को तात्कालिक परिस्थिति और दोशी की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर भी आंकना जरूरी है। परंतु बलात्कार और फिर महिला की हत्या भिन्न प्रकृति के अपराध हैं।

दया याचिका पर सुनवाई के लिए यह मांग हमारे यहां उठ रही है कि इसकी सुनवाई का अधिकार अकेले राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में न हो? इस बाबत एक बहुसदस्यीय जूरी का गठन हो। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, उप राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और कुछ अन्य विशेषाधिकार संपन्न लोग भी षमिल हों? यदि इस जूरी में भी सहमति न बने तो इसे दोबारा शीर्ष अदालत के पास प्रेसिडेंशियल रेंफरेंस के लिए भेज देना चाहिए। इससे गलती की गुंजाइस न्यूनतम हो सकती है? इसके उलट एक विचार यह भी है कि राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजने का प्रावधान खत्म करके सुप्रीम्र कोर्ट के फैसले को ही अंतिम फैसला माना जाए? यह विचार ज्यादा तार्किक है, क्योंकि न्यायालय अपराध की प्रकृति, अपराधी की प्रवृति और परिस्थिति के विष्लेशण के तर्को से सीधे रूबरू होती है। फरियादी का पक्ष भी अदालत के समक्ष रखा जाता है। जबकि राष्ट्रपति के पास दया याचिका पर विचार का एकांगी पहलू होता है? जाहिर है न्यायालय के पास अपराध और उससे जुड़े दंड को देखने के कहीं ज्यादा साक्ष्यजन्य पहलू होते हैं। लिहाजा तर्कसंगत उदारता अदालत ठीक से बरत सकती है?

राज हठ अलोकतांत्रिक होता है

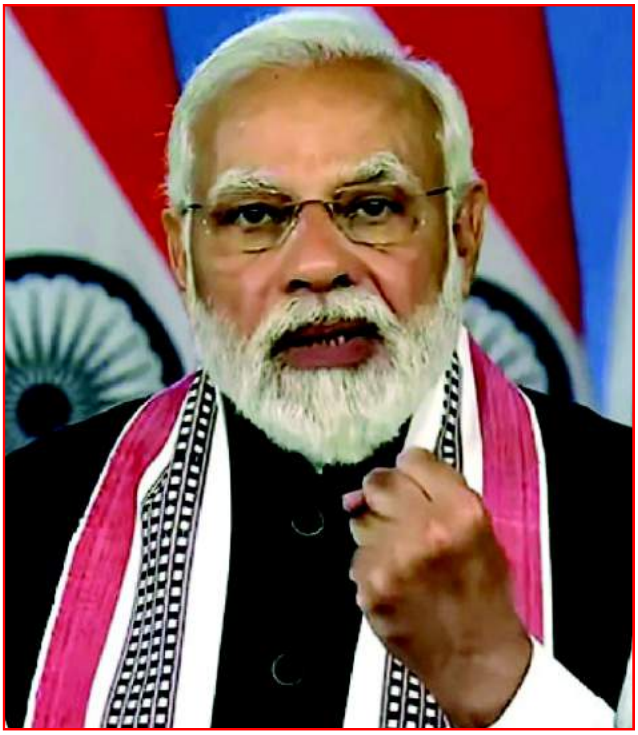

रघु ठाकुर

दुनिया में लगभग सभी स्थानों पर लोगों ने अपने अनुभवों को कुछ कहानियों या लोकोक्तियों में दर्ज किया है, जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी अलिखित रूप में हस्तांतरित होती रही हैं, ऐसी ही एक लोकोक्ति है कि तीन हठ खतरनाक होती हैं :-

1. बाल हठ 2. राज हठ 3. और तिरिया हठ।

अगर हम अपने समाज की घटनाओं का आज भी विश्लेषण करें तो कहीं न कहीं यह तीनों हठ दिखती और प्रमाणित होती हैं। जहां तक बाल हठ का प्रश्न है, लोग अपने परिवारों में रोज इसे अनुभव करते हैं। अमूमन बच्चे हठ करते हैं, और जब माता पिता उसके सामने झुक जाते हैं तब वो स्वभाव से जिद्दी बन जाते हैं। भारतीय राजनीति में भी बाल हठ को हमने विशेषतः सत्ताधीश परिवारों में देखा है। वैसे तो ये घटनायें सभी परिवारों में घटती है, परंतु मीडिया और इतिहास तो राजाओं का होता है, इसलिये उनका जिक्र ज्यादा होता है। शायद ऐसे ही बाल हठ का परिणाम था कि श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने छोटे पुत्र स्व. संजय गाँधी के हठ पर आपातकाल लगाया था। और यह राज हठ ही का एक उदाहरण था कि उन्होंने तमाम दुनिया के लोकतांत्रिक देशों की राय की उपेक्षा करते हुये, आपातकाल को लगभग 2 वर्ष जारी रखा। हठ के उदाहरण हमें भगवान राम के जमाने से आज तक अनेकों मिल जाते हैं। कैकेयी ने राम को वनवास देने की माँग और दशरथ के द्वारा उसे स्वीकार करना भी एक प्रकार का हठ ही था।

राज हठ तो निरंतर जारी है, और आज भी हम पुराने और नये राजाओं के जो पेट से पैदा हुए हों या पेटी से उनके व्यवहार में देख सकते हैं। हमारे यहां यह भी कहा जाता है कि समझदार व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करता है उसे सुधार करता है, और अगर वह संवेदनशील हो तो वह प्रायश्चित भी करता है। परंतु देश में समझदार लोगों

ने मान लिया था की राजा समझदार नहीं होते और इसलिये वे हठ पर कायम रहते हैं, और सुधार नहीं करते। अंग्रेजी की तो कहावत ही है The King Do Never Wrong याने राजा कभी गलत नहीं होता। और यह दुखद है कि अब लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित नये राजा भी उसी ब्रिटिश कालीन राजतंत्र की परंपरा पर चल रहे हैं। श्रीमती इन्दिरा गाँधी के राजहठ और उनके सुपुत्र श्री संजय गाँधी के बाल हठ ने उन्हें आपातकाल लगाने, संविधान को निलंबित करने और लोकतंत्र को क्षत विक्षत करने की हठ पर कायम रखा। यद्यपि उसका परिणाम न केवल उनके चुनाव हारने का हुआ बल्कि आजादी के आँदोलन से स्थापित कांग्रेस की नींव ही कमजोर पड़ गयी। आज की कांग्रेस भी अपने नेतृत्व के राज हठ और बाल हठ का शिकार है। पश्चिम बंगाल में 1977 में सी.पी.एम. की सरकार बनी थी जो लगातार लगभग 38 वर्ष तक कायम रही परंतु जब उसी सरकार ने नंदीग्राम आदि में छोटे किसानों की बरगा भूमि को छीन कर टाटा को देने का फैसला किया तथा यह भी भुला दिया कि ये बरगा

2014 में नरेन्द्र मोदी कुछ हिन्दू भावनाओं, कुछ मीडिया के प्रचार और कुछ पूँजीपतियों के खुले समर्थन और कुछ कांग्रेस की दिल्ली सरकार की गलतियों के कारण दिल्ली को गद्दी पर पहुंच गये।

वाले किसान वही हैं, जिन्हें उन्ही की सरकार ने जमीन की मालकियत दी थी, तो उसका परिणाम निकला की 38 वर्ष की सी.पी.एम. सरकार समाप्त हो गई। यह उनके राज हठ का परिणाम ही है कि हाल के बंगाल के चुनाव में सीपीएम और कांग्रेस के गठजोड़ को विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिल सकी।

यह भी राज हठ ही है कि श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने 1977 में अपनी व अपने बेटे की भूल को स्वीकार नहीं किया और पश्चिम बंगाल की सीपीएम सरकार ने बरगा भूमि छोटे किसानों से छीनकर एक उद्योगपति को देने पर आज तक खेद व्यक्त नहीं किया।

2014 में नरेन्द्र मोदी कुछ हिन्दू भावनाओं, कुछ मीडिया के प्रचार और कुछ पूँजीपतियों के खुले समर्थन और कुछ

कांग्रेस की दिल्ली सरकार की गलतियों के कारण दिल्ली को गद्दी पर पहुंच गये। यद्यपि वे लोकतांत्रिक तरीके से चुने गये थे परंतु, केन्द्रीय सत्ता में पहुंचते ही वो राजतंत्रीय मानस और राज हठ का शिकार हो गये। उन्होंने विपक्ष या देश की जनता तो दूर अपने ही पार्टी के वरिष्ठ व समकक्ष सभी लोगों को उसी प्रकार दूर कर दिया जिस प्रकार 1971 में दो तिहाई बहुमत से चुने जाने के बाद श्रीमती इन्द्रा गाँधी ने अपने वरिष्ठ और समकक्ष सहयोगियों को किनारे किया था। लगभग सारे मंत्रालय पी.एम.ओ. से चलने लगे। साथ ही विदेश विभाग हो या रक्षा विभाग हो सभी विभागीय मंत्री लगभग बेरोजगार मंत्री हो गये। उन्होंने अपने सत्ता की ठसक में भूमि अधिग्रहण कानून को सीधे अध्यादेश के माध्यम से लागू करा दिया हालांकि पर्याप्त बहुमत के अभाव में वह राज्यसभा के अधिवेशन में उसे पारित नहीं करा सके। इतना ही नहीं 6 माह बीत जाने के बाद उन्होंने इसी राज हठ के घमंड में पुनः वही अध्यादेश जारी किया परंतु फिर भी वह पारित नहीं करा सके और तब जाकर ये अध्यादेश वापिस हुये।

राज हठ याने राजा का घमंड अलोकतांत्रिक होता है। और मतदाताओं और देश की एक अर्थ में अवमानना होती है, अपने इसी राजमद में उन्होंने नोटबंदी को बगैर पर्याप्त विचार किये लागू किया था। यद्यपि मैं नोट बंदी का समर्थक हूँ, क्योंकि मेरी राय में इससे देश में गरीबों को कोई नुकसान नहीं हुआ। जिनके पास रूपया ही नहीं था उन्हें बंदी या गैर बंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना अवश्य है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने कुछ सलाह मशविरा कर उसे लागू किया होता तो उसके और बेहतर परिणाम होते तथा आम आदमी को जो कष्ट हुये वो नहीं होते। बल्कि उन्होंने तो एक प्रकार से उस दिन अपने मंत्री, मण्डल को कैद में रख कर घोषणा की थी। किसी भी मंत्री को बताया नहीं गया था। सारे मंत्री प्रधानमंत्री के बैठक कक्ष में बंद थे और प्रधानमंत्री उन्हें बैठाकर बाहर मीडिया को नोट बंदी की जानकारी दे रहे थे। यह बात अलग है कि देश ने उस नोटबंदी को अगले आम चुनाव में भुला दिया। इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि विपक्ष ने संपूर्ण नोट बंदी को ही नकारा तथा बाद में एक पुलवामा की घटना से उन्हें जनता ने पुनः विशाल बहुमत से सत्ता में ला दिया। हमारे देश के मतदाता आम तौर पर जजबाती रहे हैं और भावनाओं में बहकर और विवेक छोड़कर निर्णय करते हैं। कारगिल के नाम पर स्व. अटल बिहारी वाजपेयी पुनः प्रधानमंत्री बने थे और पुलवामा के नाम पर नरेन्द्र मोदी। जजबाती बहाव में किसी ने यह नहीं सोचा कि कारगिल या पुलवामा क्यों और कैसे हुआ था? क्या इनमें केन्द्र सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती?

इस बार याने 2019 में पुनः स्पष्ट और विशाल बहुमत से जीतने के बाद नरेन्द्र मोदी ने कृषि कानून लागू कर दिये। इनके बारे में उन्होंने न देश में कोई चर्चा चलाई और न किसान संगठनों से कोई बात की, ना अपने दल को ही विश्वास में लिया। तथा उसी राज हठ के आधार पर कानून लागू कर दिया। पुनः स्पष्ट कर दूँ की मैं बिजली कानून को छोड़कर अन्य कृषि कानूनों का ना पूर्णतः विरोध में हूँ और न पक्ष में। मेरा तो यह विचार था कि इन कानूनों के जन विरोधी प्रावधानों को हटाया जाये और जन उपयोगी पक्ष को रखा जाये। मैंने इस संबंध में किसान संगठनों और सरकार को लिखित प्रस्ताव भी भेजे थे परंतु राज हठ किसी अच्छी राय को स्वीकार नहीं करता, भले ही वह पतन का शिकार हो जाये। यह भारत राम और कृष्ण के काल से भी देख रहा है। 5 गाँव भी देने को कौरव पक्ष तैयार नहीं था और अंत में महाभारत हुआ। मंदोदरी की सलाह को रावण ने स्वीकार नहीं किया और जो अंत हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। लगभग डेढ़ वर्ष के लंबे टकराव के बाद अब उत्तर प्रदेश चुनाव को ध्यान में रखकर विवश होकर प्रधानमंत्री ने अपने हठ पर कुछ विराम लगाया है, परंतु इसे उनकी भूल स्वीकारोक्ति या प्रायश्चित नहीं माना जाना चाहिये। क्योंकि इन कानूनों को वापस करने की घोषणा करते हुये उन्होंने फिर उसी राज-तंत्रीय मानस का प्रदर्शन किया है। उन्होंने यह कहा कि हमें खेद है कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं सके। अगर उनमें लोकतांत्रिक भाव होता तो वे कहते की हमे खेद है कि हमने देश के किसानों से और देश से पर्याप्त विचार किये बिना इन कानूनों को लागू किया था, इसके परिणामस्वरूप पूरे देश को तकलीफ उठाना पड़ी। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर लगभग 1 साल तक बंद रहे। आम आदमी, कर्मचारी, दुकानदार सभी परेशान रहे और प्रशासन तथा पुलिस भी पीड़ित रही।

किसान आँदोलन के बारे में भिन्न-भिन्न प्रकार की राय हो सकती है, परंतु लोकतंत्र में जनता और जनमत ही सर्वोपरि है, यह माना जाना चाहिये परंतु राज हठ और राज मद जनतांत्रिक ताकत मिलने के बाद में अक्सर अपने लोकतांत्रिक दायित्व को भुला देता है।

एन.आर.सी. को भी इसी प्रकार कोई पूर्व विचार के बगैर लागू किया गया तथा बाद में आसाम, बिहार आदि राज्यों के चुनाव को जीतने के नजरिये से स्थगित किया। कोरोना की रोकथाम के लिये इसी प्रकार अचानक एकांकी ढंग से जनता कर्फ्यू फिर लॉकडाऊन की घोषणा की थी। उन्होंने अपनी सरकार में, अपने दल में, अपने देश में कोई संवाद नहीं किया। जिसके परिणामस्वरूप लाखों करोड़ों मजदूरों और गरीबों को भारी कष्ट उठाना पड़ा और उसके लिये भी उन्होंने एक बार भी अपनी भूल को नहीं स्वीकारा, न ही खेद व्यक्त किया। नरेन्द्र मोदी का मानस भी मूलतः अलोकतांत्रिक मानस है। हो सकता है कि इसके पीछे उनकी मातृ संस्था का शिक्षण और परंपरा हो जो एक चालक के पीछे भेड़ के समान चलने का शिक्षण देती है। देश में यह स्थापित और प्रमाणित तथ्य है कि परिवारवाद से या पेट से जो सत्ताधीश निकलते हैं वे लोकतांत्रिक नहीं होते, वह परिवार व्यक्ति परिवार हो या संगठन परिवार। हालांकि राजनीतिक दलों और आम जनता को भी अपनी इस भूल को स्वीकारना और सुधारना होगा की वे सत्ताधीश के आगे चाहे वह राज सत्ता का हो या दलीय सत्ता का घुटने नहीं टेकेंगे। जनमत में सच बोलने का साहस या निर्णय करने का साहस वह क्यों छोड़ देता हैं? ब्रिटेन ने चर्चिल के प्रधानमंत्रित्व काल में द्वितीय विश्वयुद्ध में विजय हासिल की थी और हिटलर जैसे तानाशाह की समाप्ति हुई। परंतु यह ब्रिटिश मतदाताओं की लोकतांत्रिक परिपक्वता थी की उन्होंने इतनी बड़ी विजय के बाद भी चर्चिल और उनकी पार्टी को आम चुनाव में हरा दिया। और दूसरी तरफ भारत जैसा देश है जहां कारगिल के घुसपैठियों को ससम्मान और सुरक्षित विदा किया जाता है, कंधार विमान अपहरण कांड में कुछ लोगों की वापसी के लिये जेल में बंद आतंकवादियों को ससम्मान कंधार पहुंचाया जाता है। पुलवामा में अवैध तरीके से वाहन प्रवेश हो जाता है। पर कारगिल युद्ध - पुलवामा के नाम पर इसके लिये जिम्मेदार सरकार को 5 साल के लिये विशाल बहुमत के साथ राज करने का पट्टा दे दिया जाता है।

राज मद और राजतंत्रीय परंपरा अब केन्द्र से चलकर राज्यों और राज नेताओं से चलकर अफसरों और राजनैतिक दलों में पहुंच गई है। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री से सालों साल तक आम लोग तो दूर उनकी सरकार के मंत्री और सांसद भी नहीं मिल

पाते। अनेकों मुख्यमंत्री भी उनकी शैली का अनुकरण करने लगे हैं। जो अब एक छोटे से गिरोह को छोड़कर प्रतिपक्ष तो दूर अपने दलों में भी संवाद नहीं करते। और अब मंत्रियों ने भी यही नकल शुरू कर दी है। म.प्र. सरकार के अनेकों मंत्रियों का भी यही तरीका हो गया है। तथा अफसरशाही भी अब इसी रास्ते पर है, सुना है कि श्रीमती सोनिया गाँधी और श्री राहुल गाँधी से वर्षानुवर्ष तक लोग मिल नहीं पाते हालांकि इसके परिणाम भी सामने हैं। मैं नेहरूवादी नहीं हूँ ना कांग्रेस का समर्थक परंतु यह स्वीकार करना होगा कि स्व. जवाहरलाल नेहरू ने प्रशासन तंत्र के लिये कुछ परिपाटियां डाली थी। विशेषतः 1947 से 1957 तक उनका मिलना जुलना, पत्राचार और संवाद व्यापक और जन सुलभ था। यहां तक की स्व. संजय गाँधी के प्रभावी होने के पहले श्रीमती इन्द्रा गाँधी भी लोगों से संवाद करती थी। म.प्र. के कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों स्व. प्रकाश चंद सेठी, स्व. अर्जुन सिंह, और श्री दिग्विजय सिंह स्व. मोती लाल का असहमतियों के बाद भी व्यापक संवाद का लोकतांत्रिक स्वभाव था। परंतु अब कांग्रेस या भा.ज.पा. या अन्य दलों में सत्ताधारी मुख्यमंत्री या मंत्री मद मस्त तानाशाह जैसे बन गये हैं जो केवल चाटुकारों से, नौकरशाहों से और धनपतियों से ही संवाद करते हैं, स्व. जवाहरलाल नेहरू जी ने तो यह परंपरा स्थापित की थी कि उनके पास आने वाले हर पत्र का उत्तर या प्राप्ति की सूचना दी जाये। सांसदों को तो पहले पत्र प्राप्ति का पत्र फिर की गई कार्यवाही का विवरण लिखकर भेजते थे। अब स्थिति यह है कि आम जनता तो दूर सांसदों के पत्रों का भी उत्तर नहीं मिलता और कई बार उत्तर इतने विलंब से मिलते हैं कि उसका कोई औचित्य नही रह जाता। मेरे एक सांसद मित्र ने, 2019 के आरंभ में एक पत्र केन्द्र के एक मंत्री को लिखा था। उसका उत्तर उन्हें 2021 के अंत में मिला है। याने लगभग 3 वर्ष के बाद।

लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने के लिये जनमत को लोकतांत्रिक मानस के लिये समर्थन करना और सरकारों को जनोन्मुखी बनना तथा आमजन से व्यापक संवाद करना चाहिये। स्व मोतीलाल बोरा ने तो यह परंपरा बनाई थी कि वे जब समय तय करते थे तो पहले विरोधी पक्ष के लोगों को बुलाते थे फिर अपने दल वालों को। यही लोकतंत्र है।

Dcance of Dance forms

Dr. Vidyulata Authey

First archaeological proof of dance comes from 9000 years old cave paintings in India. The earliest historical records showing the origins of dance are cave paintings in India dating about 8000 BCE. Egyptian tomb paintings also depict dance as old as around 3300 BCE. These early dance forms may have been religious in nature and later, everatually, people were incorporating dance in the celebrations of wine God Dionysus and later Roman Bacchus.

Dance has been the part of human history and the earliest origins, in bringing

transcendence to spiritual rituals and creating bonds within communities. Dance styles have changed through history. As today also dance is one of the most expressive art forms. There are 28 different types of dance form around the world.

Aristotle stated in the poetics that dance is rhythmic movement and its purpose is to represent men's characteristic, as well as what they do to ourself. The English ballad master John weaver wrote in 1721 that dancing is an elegant and regular movement harmoniously composed of beautiful attitudes and

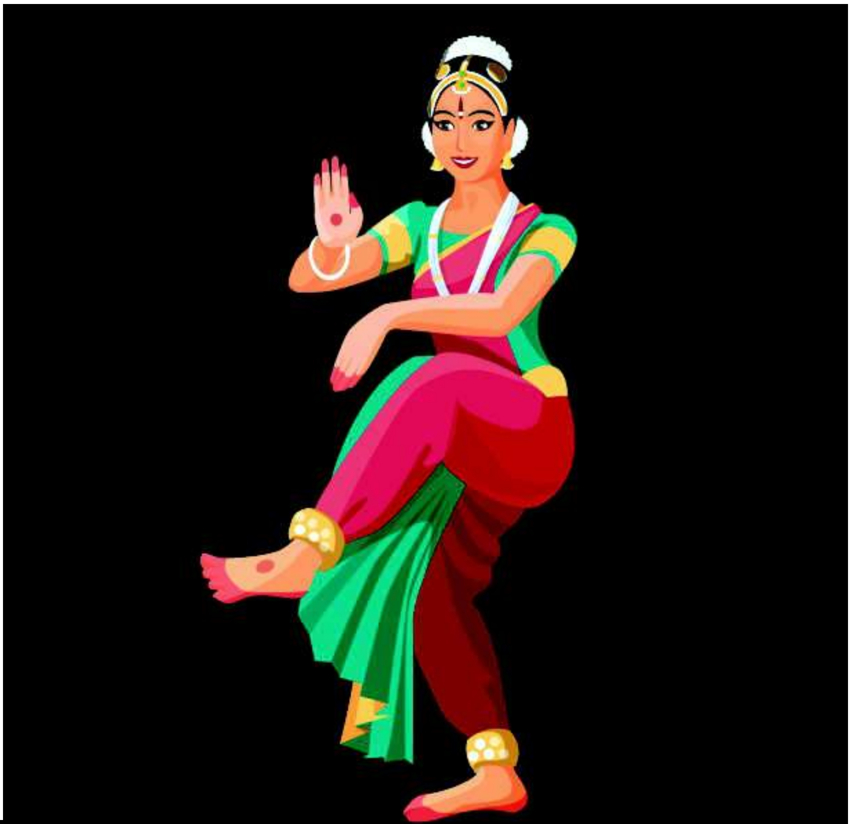

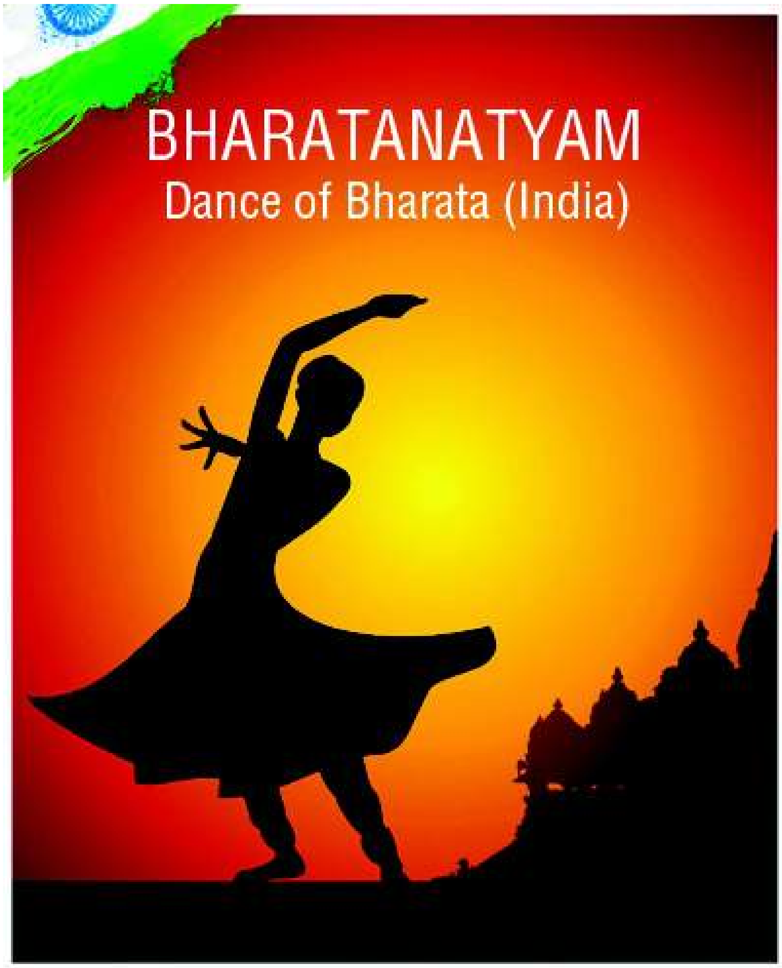

contrasted graceful posture of the body. In 19th century French dance historian Gaston Vullier emphasized the quality of grace ,harmony and beauty distinguishing "True " dance. Full form of Dance is discipline, attitude, new, confidence and expression.

In India the classical dance forms recognized by the Sangeet Natak academy and the ministry of culture are -

- Bharatanatyam from Tamil Nadu (National dance of India)
- Kathak from Uttar Pradesh
- Kuchipudi from Andhra Pradesh
- Odissi from Odisha
- Sattriya from Assam
- Manipuri from Manipur
- Mohiniyattam from Kerala.

Kathakali from Kerala is not included.

Famous around the world are Indian classical and Folk dances .(Bollywood dance)

■ Ballet from Russia
■ Flamenco from Spain
■ Break dance in United State
■ Belly dance from middle East
■ Rango from Argentin .
■ Kabuki Japan
■ Salsa in Cuba
■ Samba of Brazil.

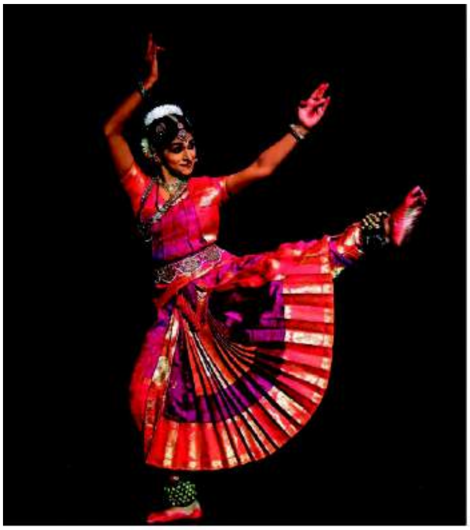

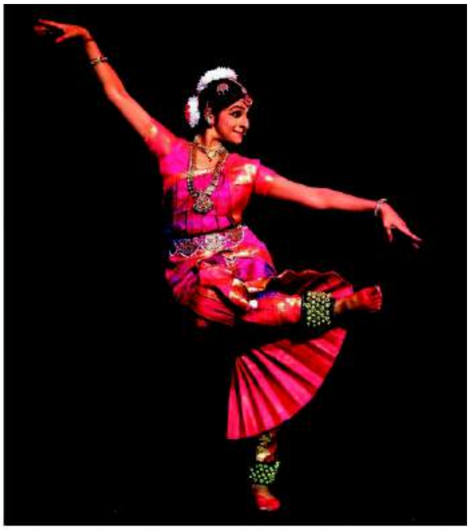

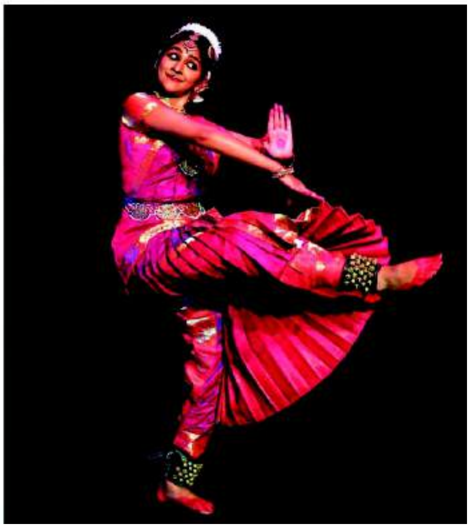

In my view there are three types of dances 1 Meditative Coherence with universe: this relate to nature & cosmic energy which sets an individual in the rythem of universe. 2 spontaneous dance Dancing with music or song without preparation: this is vibration along with the beats of music, mostly seen during religious rituals in india. 3 choreographed dance: Well prepared before performing,dressed and designed according to the need of style with space, time and expression.

The roots of the Indian dance traces back to the period of Veda which is around 1000 BC. The Natya Shastra in India is written by Bharat Muni who was inspired by Brahma. Natraja is also a depiction of Hindu God Shiva, as the divine cosmic dancer.

The purpose of the dance is to release human from evolution and the idea of the self and of the physical world. When Nataraja dances, matter, energy and sound are sorted out through the vibration of his drum. Shiva's dance is the origin of all moments in the universe. His dance is to destroy our ignorance and lead his devotees out of this illusionary world. He grants them liberation from ' Samsara.' Thus the connectivity of vibrations and energy motions almost present in a dancer, if one analyzes it. This can help a person to reach God. Therefore Temple dances and Kirtan Dhyan are so much popular in India.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.

SAWARNA COSMETICS

SHOP NO. 101/152, NEW MARKET,
BHOPAL, M.P. 462016

सावधानी से गाड़ी चलाएँ
या आप उसी जगह पँहुच जाएंगे
जहाँ जाना नहीं चाहते हैं।
जनहित के लिए जारी
निधि ट्रस्ट